सरकारी योजनाएँ और हम

– आइये जाने अपनी सरकारी विकास योजनाओं को!

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान

भारत जननी परिसर, रानीपुर भट्ट, पोस्ट-सीतापुर, चित्रकूट-210204 (उ.प्र.), दूरभाष : 05198-224332
E-mail : abssschitrakoot@rediffimail.com : absss@sancharnet.in

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
	अपनी बात	2
1.0	**आपूर्ति विभाग**	**3.5**
1.1	सस्ते गल्ले की दुकान चयन की प्रक्रिया	3
	■ ग्रामीण क्षेत्र में उचित दर की दुकानों की नियुक्ति	3
	■ शहरी क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की नियुक्ति	4
1.2	बी0 पी0 एल0 योजना	4
1.3	अन्नपूर्णा योजना	4
1.5	पेट्रोल डीजल पम्प	4
1.6	अन्त्योदय योजना	5
2.0	**समाज कल्याण विभाग**	**6–8**
2.1	राष्ट्रीय वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना	6
2.2	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	7
	■ समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाएँ	7
2.3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना	7
2.4	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान	8
2.5	अनुसूचित जाति हेतु बीमारी में अनुदान	8
2.6	निराश्रित विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान	8
2.7	अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न में सहायता हेतु अनुदान	8
3.0	**महिला कल्याण विभाग**	**8–10**
3.1	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	8
3.2	पति की मृत्योपरान्त निराश्रित विधवा महिलाओं के भरण–पोषण हेतु अनुदान	9
3.3	बालिका समृद्धि योजना	10
4.0	**बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग**	**10**
4.1	समेकित बाल विकास परियोजना	10
5.0	**विकलांग कल्याण विभाग**	**11–14**
5.1	निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को भरण–पोषण हेतु अनुदान पेंशन	13
5.2	कृत्रिम अंग अनुदान योजना	13
5.3	विकालांग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना	13
5.4	परिवहन निगम के बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा	13
5.5	विकलांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार	13
5.6	दुकान निर्माण हेतु ऋण	14
6.0	**पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**	**15**
6.1	पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना	15
6.2	दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना	15
6.3	अनावर्ती सहायता योजना	15
6.4	पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की योजनाएं	15
7.0	**ग्राम्य विकास विभाग**	
7.1	इन्दिरा आवास योजना	17
7.2	प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना	17
7.3	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	18
7.4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19
7.5	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	19
7.6	अम्बेडकर ग्राम विकास योजना	21
7.7	सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास निधि/विधायक निधि समग्र ग्राम विकास योजना	21
7.8	राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम	21
7.9	राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	22
7.10	ग्रामीण पेयजल योजना	23
7.11	ऋण सह अनुदान आवास कार्यक्रम	24
7.12	समग्र ग्राम्य विकास योजना (उ0प्र0)	24
8.0	**चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**	
8.1	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	25
8.2	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य	26
8.3	टीकाकरण	29
8.4	संचारी रोग एवं उनसे बचाव	31
8.5	कूड़े–कचरे का निपटान	36
8.6	रजि जनित रोग (एस0टी0आई0)	36
8.7	स्वच्छ पानी	37
8.8	रक्तदान–जीवनदान	38
9.0	**पंचायतीराज विभाग**	**39**
9.1	पंचायतीराज व्यवस्था का स्वरूप	39
9.2	ग्राम पंचायत को सौंपे गये कार्य	40
9.3	पंचायत समितियाँ	41
9.4	क्षेत्र पंचायत के कार्य	41
9.5	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	43
9.6	ग्यारहवाँ वित्त आयोग	44
9.7	निर्माण कार्य की गुणवत्ता स्वयं जाँचे	45
10.0	**शिक्षा विभाग की योजनायें**	**46**
10.1	ग्राम अभिदान निधि	46
10.2	ग्राम शिक्षा निधि	46
10.3	शिक्षा मित्र योजना	46
10.4	शिक्षा गारण्टी योजना	49
11.0	**जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग**	
11.1	युवक एवं महिला मंगल दल	50
11.2	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	50
11.3	ग्रामीण व्यायामशाला	50
11.4	ग्रामीण स्टेडियम/अखाड़ा की स्थापना	50

सरकारी योजनाएँ और हम

– आइये जाने अपनी सरकारी विकास योजनाओं को !

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
11.5	व्यायामशाला	50
11.6	ग्रामीण युवा विचार गोष्ठी	50
12.0	**कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ**	12.1
किसान मित्र योजना	51	
12.2	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	51
12.3	कृषि उत्पादन मण्डी समिति/मण्डी परिषद द्वारा संचालित योजनाएँ	52
12.4	केन्द्र पुरोनिधानित स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन	53
12.5	मृदा परीक्षण	53
12.6	जैव उर्वरक	54
12.7	कृषि विभाग से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ	55
13.0	**सिंचाई विभाग**	
13.1	निःशुल्क बोरिंग योजना	56
13.2	पम्पसेट स्थापना, अनुदान स्वीकृति एवं समायोजन	57
14.0	**भूमि एवं जल संरक्षण विभाग**	
14.1	जलागम विकास योजना	58
14.2	भूमि एवं जल संरक्षण के अन्य कार्य	58
14.3	किसान क्रेडिट कार्य	58
15.0	सहकारिता विभाग	59
16.0	मत्स्य पालन विभाग	60
17.0	पशुपालन विभाग की योजनाएँ	62
18.0	अर्थ एवं संख्या विभाग	62
19.0	जिला नियोजन	63
20.0	श्रम विभाग	64
21.0	वन विभाग की योजनाएँ	65
22.0	वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान (नेडा) की योजनाएँ	67
23.0	जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा संचालित योजनाएँ	68
24.0	जिला ग्रामोद्योग विभाग की योजनाएँ	69
25.0	जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित योजनाएँ	71
26.0	उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों हेतु कार्यक्रम	72
27.0	मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना	74

विकास, सामाजिक न्याय, हकदारी, कानून, समाज, पर्यावरण, योजना, अधिकार एवं कर्तव्य विषयक जागरूकता एवं साक्षरता श्रंखला माला
क्रमांक – 3

मार्गदर्शन एवं संरक्षण
गोपाल भाई

संकलन एवं सम्पादन
भागवत प्रसाद

शब्दांकन
कुमार अरविंद

वर्ष – **2004–2005**

सीमित वितरण हेतु

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान

भारत जननी परिसर,
रानीपुर भट्ट, पो0 – सीतापुर
जनपद – चित्रकूट (उ0प्र0) 210204
द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित
दूरभाष : 05198–224332
E-mail : absss@sancharnet.in
bhagwat_absss@sify.com
abssschitrakoot@rediffmail.com

"This document is an output from a project funded by the Department for International Development (DFID), U.K. for the benefit of the developing countries. The views expressed are not necessarily those of the Management Consultant (Development Alternative & Pricewater House Coopers Pvt.Ltd., New Delhi) or Department for International Development (DFID), U.K."

संदर्भ

– विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सौंपी गई योजनायें–एक परिचय, पंचायतीराज विभाग (उ0प्र0)
– जन चेतना 2004, पंचायतीराज विभाग बाँदा

सहयोग– पैक्स कार्यक्रम (Poorest Areas Civil Soceity Programme), नई दिल्ली

अपनी बात

जानकारी का अभाव ही सारी समस्याओं की जड़ है। जानकारी, ज्ञान के अभाव में ही आदिवासी, दलित, भूमिहीन, गरीब एवं वंचित वर्ग निरन्तर शोषण–उत्पीड़न के शिकार हैं, सदियों से ठगे जा रहे है। जानकारी, जागरूकता, विषय विशेष का ज्ञान–संज्ञान चाहे वह किसी भी रूप में हो यथा–कानूनी जागरूकता, अधिकार, हक़दारी, प्रक्रिया इत्यादि हमेशा से शक्ति स्थापना के माध्यम रहे हैं। इन तक जिन समुदायों की पकड़ रही, वही समुदाय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक क्षितिज की बुलन्दियों तक पहुँचे तथा वंशानुगत रूप से आगे बढ़े, बढ़ते रहे परन्तु शेष समुदाय गहन अंधकार, अज्ञानता एवं सूचनाओं की पहुँच से कोसो दूर रहा फलस्वरूप आदिवासी, दलित, भूमिहीन आदि समुदाय वंचना एवं सीमान्तीकरण का शिकार रहा। आजादी के 58 वर्षों के बाद आज भी वंचना एवं सीमान्तीकरण की प्रक्रिया जारी हैं।

सरकारों द्वारा व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं क्षेत्रीय विकास हेतु विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन किया गया, किया जा रहा है परन्तु अधिकांश जन मानस योजनाओं की सूचना, ज्ञान–संज्ञान एवं जानकारी से अछूता रहा। सरकारी तन्त्र भी योजनाओं पर कुण्डली मारकर बैठने में ही अपना सुकून महसूस किया। प्रचार–प्रसार की सतत, व्यवहारिक, सरल एवं आसान पहुँच से आदिवासियों, दलितों, भूमिहीनों, महिलाओं, निर्धनों एवं मजदूरों को दूर रखा। आज भी योजनाओं के उद्देश्य, पात्रता, लाभार्थी, प्रक्रिया, कार्यप्रणाली एवं पहुँच के माध्यम, तरीकों की जानकारी का घनघोर अभाव है, प्रचार–प्रसार का संकट है। फलस्वरूप सरकारी विकास योजनाओं की जानकारी, उन तक पहुँच तथा हक़दारी ग्रामीण भारत के अधिकांश लोगों के लिए एक सपना ही है। आदिवासी, दलित, भूमिहीन, मजदूर, वंचित एवं सीमान्त वर्ग सरकारी योजनाओं की ओर स्वाती की बूंद की तरह टुकुर–टुकुर निहारने को विवश है।

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान, चित्रकूट समाज के अन्तिम व्यक्ति के साथ है। सामाजिक न्याय, प्राकृतिक संसाधनों पर हकदारी, सरकारी योजनाओं तक पहुँच एवं नियंत्रण के उद्देश्य से ''सरकारी योजनायें और हम'' पुस्तक का प्रकाशन संस्थान द्वारा लोकहित में किया जा रहा है ताकि विकास की रोशनी सबसे अन्तिम तथा निर्धनतम व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी का ज्ञान अनिवार्य ही नही अपितु अपरिहार्य भी है।

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान द्वारा ''सरकारी योजनायें और हम'' पुस्तिका का प्रकाशन इसी उद्देश्य से प्रस्तुत है। सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक प्रामाणिक, तथ्यपरक, प्रक्रिया परक, सरल एवं व्यावहारिक रूप में पहुँचाने का हर संभव प्रयास रहा है। जाने–अनजाने इस पुस्तिका के प्रकाशन में संस्थान ने विभिन्न सन्दर्भों से प्रामाणिक जानकारी एकत्रित की है। लोकहित में आभार सहित प्रकाशन कर रहे हैं। क्षमा करेंगे। त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। आप सब मनीषी है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हमारा प्रयास होगा कि अगले संस्करण में हम और प्रमाणिक जानकारी आप तक पहुँचा सके।

विश्वास है यह पुस्तक सामाजिक क्षेत्र के सहजकर्ताओं, तृणमूल कार्यकर्ताओं, सोशल एक्टिविस्ट, ग्राम सभा सदस्यों, पंचायत सदस्यों, कर्मियों एवं सामान्य जन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

भवदीय

साभार सहित

(भागवत प्रसाद)
निदेशक

अध्याय – 1

आपूर्ति विभाग

आपूर्ति विभाग के कार्य :– (1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को नियमित दरों पर सरकारी सस्ता गल्ला यथा खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध कराना। (2) गरीबी की रेखा (शहरी क्षेत्र में रु0 58.00 दैनिक मजदूरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु0 9000.00 वार्षिक आय) से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को प्रतिमाह 6 कि0 ग्राम चावल, 14 किग्रा0 गेहूँ क्रमशः 6.15 व रु0 4.65 प्रति किग्रा0 की दर से उपलब्ध कराना, (3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम सभा में एक उचित दर की दुकान खोला जाना सुनिश्चित करना, (4) शासन की नीति के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को नये सफेद राशन कार्ड, (5) गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों को पीले नए राशनकार्ड जारी करना तथा वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

1.1 सस्ते गल्ले की दुकान चयन की प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्र :– शासनादेश संख्या 3967/खा0 दिनांक 03 जुलाई 1990 द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा में उचित दर दुकान की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में करायी जाती है तथा पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावित व्यक्ति के नाम से उचित दर दुकान संबन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जाती है। अनुबन्ध शुल्क 250/– रूपया एवं अनुबन्ध जमानत धनराशि 5000/– रुपया जमा कराकर अनुबन्ध स्थायी किया जाता है। राशन की दुकानों को नियुक्ति, निलम्बन एवं निरस्तीकरण का कार्य संबंधित उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी एवं जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा किये जाने के भी आदेश है।

(क) करणीय व्यावहारिक अनुबन्ध शर्ते :– अनुबन्ध शर्तों के अनुसार, नियुक्त उचित दर दूकानदार अपने दुकान के समक्ष स्टाक बोर्ड, रेट बोर्ड, दुकान खुलने का समय, एस0डी0एम0 एवं जिला पूर्ति अधिकारी का फोन नम्बर प्रदर्शित करेगा। दुकान से सम्बन्धित अभिलेख स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, निरीक्षक पुस्तिका/शिकायत पेटिका एवं शिकायत पुस्तिका दुकान पर रखेगा।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र में उचित दर की दुकानों की नियुक्ति :– शासनादेश संख्या 2715/29–6–2002/162 खा/2001 दिनांक 17/2002 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त ग्राम पंचायतों में चयन उपरान्त आरक्षण लाटरी सिस्टम द्वारा उपजिलाधिकारी 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति, दो प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को ध्यान में रखकर निर्धारित करेंगे। ग्राम पंचायत की आबादी 4000 यूनिट पर एक दुकान नियुक्त किए जाने का आदेश है। तथा 4000 यूनिट से अधिक होने पर एक और दुकान नियुक्त किए जाने का आदेश है। इसके बाद ग्राम पंचायत की धनराशि जमा करायेंगे। दुकान का अनुबन्ध करते समय 100/–रूपये का स्टैम्प नानजूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जमा कराकर अनुबन्ध स्थायी किया जाता है। दुकानदार अपने दुकान के समक्ष साइनबोर्ड, स्टाकबोर्ड, रेट बोर्ड, दुकान खुलने के समय, एस0डी0एम0 एवं जिलापूर्ति अधिकारी का फोन नं0 प्रदर्शित करेगा। दुकान से सम्बन्धित अभिलेख, स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर निरीक्षण पुस्तिका, शिकायत पेटिका एवं शिकायत पुस्तिका दुकान पर रखेंगे।

शहरी क्षेत्र :– शहरी क्षेत्र में दुकान नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से चयनित व्यक्ति के नाम से उचित दर की दुकान नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। इस कमेटी में जिलाधिकारी अध्यक्ष एवं जिलापूर्ति अधिकारी संयोजक तथा अन्य नामित सदस्य होते हैं। शहरी क्षेत्र में नियुक्त दुकानदार का अनुबन्ध शुल्क 500/– रुपया एवं अनुबन्ध

जमानत धनराशि 5000/– रुपया जमा कराकर अनुबन्ध पत्र जारी किया जाता है।

(क) करणीय व्यावहारिक अनुबन्ध शर्तें :– अनुबन्ध शर्तों के अनुसार, नियुक्त उचित दर दूकानदार अपने दुकान के समक्ष स्टाक बोर्ड, रेट बोर्ड, दुकान खुलने का समय, एस0डी0एम0 एवं जिला पूर्ति अधिकारी का फोन नम्बर प्रदर्शित करेगा। दुकान से सम्बन्धित अभिलेख स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, निरीक्षक पुस्तिका/शिकायत पेटिका एवं शिकायत पुस्तिका दुकान पर रखेगा।

(ख) शहरी क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की नियुक्ति :– शासनादेश संख्या 2226/29–ख–6–2001–162 सा./ 2001 दिनांक 6 अक्टूबर 2001 द्वारा लाटरी सिस्टम में नियुक्ति किये जाने की प्रक्रिया है। इसमें 1000.00 रू0 जिलापूर्ति अधिकारी के नाम से अरनेस्ट मनी बैंक में जमा कराई जाती है। 5000/– रु0 जमानत की धनराशि जमा की जायेगी, शहरी क्षेत्र में व्यक्तिगत दुकानों की नियुक्ति 3000 यूनिट पर किए जाने का आदेश है, संस्था के लिए 4000 यूनिट पर नियुक्ति किये जाने का आदेश है। आरक्षण 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग को दिये जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में स.स.ग. की नियुक्ति पर रोक लगी है।

1.2 बी0पी0एल0 योजना

इस योजना के अन्तर्गत 9000 वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को चिन्हित किया जाता है इसके अन्तर्गत सफेद रंग के राशनकार्ड जारी किये जाते हैं। राशनकार्ड पर 35 किमी0 ग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह प्रतिकार्ड उपलब्ध कराया जाता है, जिसके अन्तर्गत 23 किग्रा0 गेहूँ तथा 12 किग्रा0 चावल दिया जाता है। गेहूँ 4.65 रुपया प्रति किग्रा0, तथा चावल 6.15 रुपया प्रति किग्रा0 पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। शासन द्वारा प्रतिमाह 2141 मीट्रिक टन गेहूँ तथा 1117 मीट्रिक टन चावल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है। आबंटित खाद्यान्न को जिला प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा अपने ब्लाक स्तरीय गोदामों पर पहुँचाया जाता है। यू0पी0एस0एफ0सी0 गोदामों से उचित दर विक्रेता द्वारा धनराशि जमा कर उठान किया जाता है।

1.3 अन्नपूर्णायोजना

इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को हरे रंग का राशन कार्ड जारी किया जाता है। इसके अन्तर्गत ऐसे लाभार्थियों का चयन किया गया है जिनकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक है तथा जो निराश्रित हैं, जिनको वृद्धावस्था पेन्शन न प्राप्त हो रही हो । ऐसे लाभार्थियों को 10 कि0ग्रा0 प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

1.4 मध्यान्ह भोजन योजना

यह योजना मुख्य रूप से प्राइमरी स्कूल के छात्रों से सम्बन्धित है। यह योजना बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी एवं जिला प्रबन्धक यू0पी0एस0एफ0सी0 के सहयोग से संचालित की जाती है। जनपद में प्राइमरी पाठशाला में अध्ययनरत छात्रों को 80 प्रतिशत प्रति माह की उपस्थिति के आधार पर 3 किग्रा0 प्रतिमाह निःशुल्क चावल उपलब्ध कराया जाता है। इसका वितरण प्रधानाध्यापक/लेखपाल के समक्ष कराया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो और गाँव से निरक्षरता मिटे।

1.5 पेट्रोल–डीजल पम्प

जन सामान्य के सुगमतापूर्वक पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध कराने के लिए ब्लाक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर पेट्रोल/डीजल पम्प एवं पेटी डीजल नियुक्त किए जाने का प्रावधान हैं। कम्पनी द्वारा समय–समय पर उपभोक्ता मूल्य का निर्धारण किया जाता है। पेट्रोल/डीजल पम्प की नियुक्ति कम्पनी द्वारा की जाती है तथा लाईसेन्स जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जबकि पेटी डीजत डीलर को नियुक्ति जिलापूर्ति कार्यालय द्वारा किया जाता है।

वितरण एवं सत्यापन :– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में उठान किये जा रहे खाद्यान/चीनी/मिट्टी के तेल का त्रिस्तरीय सत्यापन कराया जाता है। उसके उपरान्त वितरण उचित विक्रेता फुटकर विक्रेता द्वारा किया जाता। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बी0पी0एल0 कार्ड एवं अन्त्योदय कार्ड पर 700 ग्राम चीनी प्रति यूनिट उपलब्ध करायी जाती है। जिसका वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य 13.50 रुपया प्रति कि0ग्रा0 है तथा मिट्टी तेल ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय तीनों ही कार्डों पर उपलब्ध कराया जाता है। नगर क्षेत्र में मिट्टी तेल

का मूल्य 9–85 रुपया प्रति लीटर जबकि 20 किमी0 की दूरी तक 10 रु0 प्रति लीटर एवं 20 किमी0 से अधिक दूरी तक के लिए रुपया 10.05 प्रति लीटर है। उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में लेखपाल/प्रधान द्वारा किया जाता है।

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में उचित दर की दूकानों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं डीज़ल लाइसेंस नियुक्ति की प्रक्रिया

नगरीय क्षेत्र में उचित दर की दुकानों की नियुक्ति प्रक्रिया :– प्रत्येक व्यक्तिगत दुकानों की नियुक्ति 3000 यूनिट पर किये जाने का आदेश है, संस्था के लिए 4000 यूनिट होनी चाहिए। रिक्त होने पर आरक्षण का निर्धारण करने के पश्चात प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन–पत्र प्राप्त किये जाते हैं, तथा शासन द्वारा निर्धारित चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है। चयन हो जाने के पश्चात चयनित व्यक्तियों से दुकान का अनुबन्ध कराया जाता है। शासन द्वारा आरक्षण निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :–

1. अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत

सरकार द्वारा होरिजेंटल आरक्षण का भी प्रावधान है, जो इस प्रकार है:–

(क) महिलाओं को	20 प्रतिशत
(ख) लड़ाई में मारे गये सैनिकों के परिवारों के सदस्यों के सदस्य एवं भूतपूर्व सैनिक	06 प्रतिशत
(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी पत्नी/विधवा	05 प्रतिशत
(घ) विकलांग हेतु	02 प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्र :– उपर्युक्त आरक्षण के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव पर नियुक्ति की कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा की जाती है, तत्पश्चात अनुबन्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जिस ग्राम सभा की आबादी 4000 से अधिक यूनिट की होती है, ग्रामीण स्तर पर 4000 यूनिट से अधिक यूनिट होने पर एक और दुकान किये जाने के आदेश हैं। आरक्षण निर्धारण विकास क्षेत्र को एक युनिट मानकर किया जाता है।

डीजन लाइसेंसी की नियुक्ति :– उपर्युक्त आरक्षण व्यवस्था के अनुसार डीजल पम्प से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थानीय आवश्यकता/मांग के आधार पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन–पत्र आमंत्रित कर शासन द्वारा निर्धारित चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है। चयन के पश्चात् लाइसेंस फीस एवं जमानत की धनराशि जमा कराई जाती है।

1.6 अन्त्योदय योजना

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में अन्त्योदय अन्नयोजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के निर्धनतम परिवारों को 2 रुपये प्रति कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 3 रुपये प्रति कि0ग्रा0 चावल प्रति परिवार की दर से 25 कि0ग्रा0 खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

- ग्रामीण क्षेत्र में अन्त्योदय अन्नयोजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बी0पी0एल0 परिवारों में से बनायी गयी सूची में से 15.33 प्रतिशत के समतुल्य संख्या के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है।
- सर्वप्रथम वी0पी0एल0 परिवारों में सबसे निर्धनतम परिवारों की सूची ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/लेखपाल द्वारा तैयार की जायेगी। सूची इस आधार पर तैयार होगी कि ग्राम सभा के सबसे गरीबतम व्यक्ति का नाम क्र0सं0 1 पर रखा जायेगा तथा उसके उपरान्त अवरोही क्रम में लाभार्थियों के नामों की सूची तैयार कर ग्राम सभा की खुली बैठक में उसका अनुमोदन कराया जायेगा।
- शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के अधिकारियों तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिकारियों के मदद से इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत लाभार्थियों को लाल रंग का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा तथा उस पर होलोग्राम चस्पा किया जायेगा, जो खाद आयुक्त के स्तर से जारी किए जायेंगे।
- इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित किए गये परिवारों की टेस्टचेक/चेकिंग भी करायी जायेगी ताकि योजनान्तर्गत उन्हीं निर्धनतम परिवारों को लाभ मिले जो इस योजना के वास्तविक पात्र हों।

अध्याय – 2

समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की पेंशन योजनाएँ

2.1 राष्ट्रीय वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना:–

इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को एक सौ पच्चास रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को किसान पेंशन योजना में शामिल करते हुए एक सौ पच्चीस रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

पात्रता :– (1) लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक हो । (2) उसकी मासिक आय रु0 1000/– या इससे कम हो। (3) उसके पास 3.5 एकड़ से अधिक भूमि न हो, (4) जिनके 20 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई पुत्र/पौत्र न हो यदि हो तो प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी पदों पर सेवारत न हो। विकलांग अथवा लापता हो या पूर्णतया अलग रहता हो और लाभार्थी की सहायता करने में असमर्थ हो तथा किसी अन्य स्रोत से पेंशन न मिलती हो। (5) पति–पत्नी में केवल एक को ही पेंशन मिलेगी। (6) लाभार्थी को अन्य किसी विभाग से पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।

चयन एवं भुगतान प्रक्रिया :–

1. चयन का अधिकार ग्राम पंचायतों में निहित है। ग्राम सभा की खुली बैठक के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जायेगा एवं सूची खण्ड विकास कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण कार्यालय को भेजी जायेगी।
2. लाभार्थियों को सूची के आधार पर स्थानीय जांच करके ग्राम–पंचायत में विचार–विमर्श कर ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी गलत व्यक्ति को पेंशन प्राप्त न हो रही हो। यदि गलत पेंशन प्राप्त हो रही हो तो उसके निरस्तीकरण हेतु कारणों का उल्लेख करते हुये क्षेत्र पंचायत को सूचित करें। क्षेत्र पंचायत उक्त पेंशन का निरस्तीकरण जिला समाज कल्याण अधिकारी से करायेंगी।
3. बैंक इनवाइस के माध्यम से पेंशन वितरित हो रही है तो लाभार्थियों का नाम, पता एवं इनवाइस संख्या ज्ञात करके ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी लाभार्थियों को अवगत करायेंगे एवं पंजिका में अंकित करेंगे। इसी प्रकार–पंचायत विकास अधिकारी लाभार्थियों को अवगत करायेंगे एवं पंजिका में अंकित करेंगे। इसी प्रकार चेक प्रदान कराने एवं उसको रजिस्टर में दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी। (प्रारूप सं0 6)
4. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सम्पूर्ण ग्राम के व्यक्तियों का सर्वे एवं परिवार रजिस्टर एवं आर्थिक रजिस्टर के आधार पर ग्राम पंचायत में विचार–विमर्श कर ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगे जो कि वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं परन्तु जिन्हें अभी तक पेंशन प्राप्त नहीं हो पायी है। ऐसे लाभार्थियों की सूची ग्राम–पंचायत की खुली बैठक में तैयार की जायेगी तथा सर्वाधिक असहाय एवं अशक्त वृद्ध नाम सबसे ऊपर रखा जायेगा। (प्रारूप सं0–7)
5. यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति रिक्त की दशा में उक्त चयन के आधार पर सूची में से क्रमानुसार रिक्तियों की संख्या तक ग्राम–पंचायत द्वारा खुली बैठक में व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जायेगी तथा क्षेत्र–पंचायत के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ग्राम–पंचायत की सूची से ही व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान नियमानुसार करेंगे।
6. ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर वितरित होने वाली समस्त पेंशन की धनराशि के वितरण का लेखा–जोखा रखा जायेगा तथा यदि कोई धनराशि लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य कारणों से बच जाती है तो उसका पूर्ण विवरण देते हुए उसे जिला समाज कल्याण अधिकारी को वापस किया जायेगा। उक्त समस्त कार्यों के लिये ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम–प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

2.2 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले पारिवार का कमाने वाला सदस्य जब किसी कारणवश असमय मृत्यु का शिकार हो जाता है और जिसकी उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच हो तो उसके उत्तराधिकारियों को मृत्यु/होने पर रु0 10,000/– की आर्थिक सहायता दी जायेगी, जिसकी पात्रता का मापदण्ड निम्न है।

पात्रता :– परिवार के मृतक मुख्या पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच हो। परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो। यह सहायता मृतक मुखिया के परिवार के ऐसे सदस्य को अनुमन्य होगी जो मृतक के बाद परिवार के भरण–पोषण का दायित्व उठा रहा हो।

चयन व भुगतान प्रक्रिया :– आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पत्र (ब्लाक कार्यालय से प्राप्त) पर प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र दिया जायेगा, यह आयु प्रमाण पत्र शैक्षिक, मतदाता सूची, कुटुम्ब रजिस्टर एवं चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त मान्य होगा। जाति एवं आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त हो। मृत्यु का प्रकार स्वाभाविक अथवा अस्वाभाविक होना, चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र के आधार पर मान्य होगा। मृतक परिवार का मुख्य साधक होने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसके सदस्य खण्ड विकास अधिकारी तहसीलदार/पेशकार एवं समाज कल्याण अधिकारी होंगे, द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। लाभार्थी को आर्थिक सहायता की धनराशि एक मुश्त रूप में चेक द्वारा दी जायेगी।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाएँ

2.3 अनुसूचित जाति/जनजाति, विमुक्ति जाति तथा अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों को ग्राम–पंचायत स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली पद्धति

शासनादेश संख्या – 2507/26–3–99–4 (215)/90 टी0सी0, दिनांक 4–8–88 द्वारा ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में उपरोक्त श्रेणी के कक्षा 1–8 तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जिस ग्राम–पंचायत में विद्यालय स्थित है वहां की ग्राम–पंचायत स्तर पर गठित शिक्षा समिति के माध्यम से स्वीकृत एवं वितरण करने का निर्णय लिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों की ग्राम–पंचायतों को छात्रवृत्ति की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

1. प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के कक्षा 1–8 तक समस्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आय सीमा का प्रतिबंध नहीं है।
2. विमुक्ति जातियों से सम्बन्धित विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं हैं जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु0 2500/– प्रतिमाह है, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
3. अस्वच्छ पेशे में व्यक्तियों (जैसे मैला उठाने, चमड़ा उतारना, चर्मशोधन, झाड़ू, बरदारी आदि) के बच्चों को भी विशेष दरों पर 10 माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस छात्रवृत्ति के साथ–साथ रु0 500/– का एकमुश्त प्रत्येक वर्ष तदर्थ अनुदान भी देय है। आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।

उपर्युक्त छात्रवृत्ति निम्नाकिंत दरों पर प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में ही स्वीकृत विद्यार्थियों को एकमुश्त प्रदान की जायेगी। एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्ति जाति :

कक्षा 1–5	रु0 25/– प्रतिमाह 12 माह के लिए
कक्षा 6–8	रु0 40/– प्रतिमाह 12 माह के लिए
कक्षा 9–10	रु0 60/– प्रतिमाह 12 माह के लिए

आई0टी0आई0 संस्थान में अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति के छात्रों को रु0 50/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति :

कक्षा 1–5	रु0 25/– प्रतिमाह 10 माह के लिए
कक्षा 6–8	रु0 40/– प्रतिमाह 10 माह के लिए
कक्षा 9–10	रु0 50/– प्रतिमाह 10 माह के लिए
	रु0 500/– प्रतिवर्ष प्रति छात्र दतर्थ अनुदान भी देय है।

छात्रावास में रहने वाले कक्षा 3 से 8 तक 200 रुपये, कक्षा 9 एवं 10 में रुपये 250/– प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

2.4 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान :–

पात्रता : शादी अनुदान में व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो तथा उसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रु0 11000/– तथा शहरी क्षेत्रों में रु0 12,000/– वार्षिक हो।

चयन : शादी हेतु आवेदन पत्र भरकर, जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, कन्या का उम्र प्रमाण पत्र चिकित्साधिकारी से संलग्न कर खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाता है।

भुगतान : 'प्रथम आगत, प्रथम पावत' के आधार पर चयनित लाभार्थियों के रेखांकित चेक के माध्यम से रु0 10,000/– (दस हजार) का भुगतान किया जाता है।

2.5 अनु0 जाति हेतु बीमारी में अनुदान:–

चयन : दमा, टी0बी0, कैंसर इत्यादि गम्भीर रोगों से पीड़ित व्यक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के प्रमाण–पत्र सहित आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी में जमा कर देंगे।

भूगतान : चयनित लाभार्थी को रेखांकित चेक के माध्यम से रु0 2000/– (दो हजार) का भुगतान किया जाता है।

2.6 निराश्रित विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान:–

पात्रता : समस्त ऐसी आवेदिकाएं जो विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हो।

भुगतान : 'प्रथम आगत, प्रथम पावत' के आधार पर चयनित लाभार्थियों को रेखांकित चेक रु0 10,000 (दस हजार) का भुगतान किया जाता है।

2.7 अनु0 जाति उत्पीड़न में सहायता हेतु अनुदान :–

1. सामान्य चोट में अनुदान धनराशि रु0 25,000=00 स्वीकृत कर प्रथम किश्त 6250.00 प्रदान किया जाता है। शेष धनराशि वादी के मुकदमा जीतने पर ही देय होगी।
2. गंभीर चोट में रु0 50,000.00 स्वीकृत कर प्रथम किश्त रु0 12500/– प्रदान की जाती है। शेष धनराशि उपरोक्तानुसार मुकदमा निर्णय के बाद प्रदान की जाती है।
3. बलात्कार :– रु0 50,000.00 स्वीकृत किया जाता है। प्रथम किश्त रु0 25,000.00 प्रदान की जाती है। शेष धनराशि मुकदमा के निर्णय के बाद उपरोक्तानुसार प्रदान की जाती है।
4. हत्या :– परिवार के मुखिया की हत्या पर रु0 2,00,000.00 (दो लाख) तथा परिवार के किसी अन्य सदस्य की हत्या होने पर रु0 1,00,000.00 (एक लाख) स्वीकृत किया जाता है। उक्त दोनों मामले में प्रथम किस्त 75 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। शेष 25 प्रतिशत मुकदमा के निर्णय के बाद प्रदान करने का प्राविधान है। यदि वादी की जीत होती है तभी धनराशि प्रदान की जाती है।

3. महिला कल्याण विभाग

3.1 राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना :– इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रथम एंव द्वितीय जीवित बच्चों तक रु0 500/– प्रति लाभार्थी सहायता दी जाती है।

पात्रता :– ऐसी महिलाएं, जिनकी उम्र 19 वर्ष से अधिक हो, जिन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सरकारी अस्पताल में अपना पंजीकरण कराया हो और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हों, पात्र होंगी।

चयन व भुगतान प्रक्रिया :– निर्धारित प्रारूप (विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त) पर प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा जिसमें आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता मतदाता सूची, कुटुम्ब रजिस्टर एवं चिकित्साधिकारी प्रदत्त मान्य होगा। ऐसे प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसके सदस्य तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चिकित्साधिकारी एवं सहायक विकास

अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी होंगे, द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। लाभार्थी को यह धनराशि एक मुश्त दी जायेगी।

3.2 पति की मृत्युपरान्त निराश्रित विधवा महिलाओं के भरण–पोषण हेतु अनुदान

ऐसी निराश्रित महिलायें, जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो, के भरण–पोषण के लिए सहायक अनुदान के रूप में मासिक पेंशन दिये जाने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में निम्नलिखित श्रेणी की महिलायें पात्र हैं :–

1. उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. जिसका कोई लड़का या पोता (लड़के का लड़का) न्यूनतम 20 वर्ष की आयु का न हो अथवा यदि है तो संबंधित महिला का भरण–पोषण करने में असमर्थ है या नहीं करता हो।
3. जिनके पास सभी श्रोतों से होने वाली आय कुल मिलाकर रु0 1000/– मासिक से अधिक न हो।
4. जो ऐसी किसी संस्था की संवासिनी न हो जहां उसका भरण–पोषण किया जा रहा हो।
5. जिसको शासन के किसी विभाग द्वारा वृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन न मिल रही हो।

आवेदन–पत्र की स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रियाः–

1. लाभार्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जायेगा, जहां एक रजिस्टर में उसका अंकन प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर किया जायेगा।
2. प्राप्त प्रार्थना पत्र को परीक्षणोपरान्त ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा जहां पर रिक्तियों की सीमा अथवा स्वीकृत, अतिरिक्त लक्ष्यों की सीमा तक अनुदान की स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। स्वीकृति के समय कम आयु की ऐसी महिला को वरीयता दी जायेगी।
3. ग्राम पंचायतों का यह दायित्व होगा कि वे आवेदन पत्र स्वीकार करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि पात्र महिलाओं के प्रार्थना पत्रों की ही संस्तुति की जा रही है।
4. स्वीकृति के उपरान्त ऐसे प्रार्थना पत्रों को ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा जो जनपद के समस्त विकास खण्डों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को एकत्र कर जिला परिवीक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जहाँ से अनुदान राशि स्वीकृति की जायेगी।
5. जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे समस्त लाभार्थियों के बैंक खातों का पूर्ण विवरण प्राप्त कर अनुदान राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भौतिक सत्यापन के उपरान्त अंतरण की कार्यवाही की जायेगी। यह कार्यवाही सामान्यतः वर्ष में 2 बार की जायेगी।
6. जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा ग्रामवार लाभार्थियों की सूची, बैक का विवरण तथा धनराशि के अंतरण आदि के पूर्ण विवरण तैयार कराकर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सुलभ कराया जायेगा ताकि लाभार्थियों को अनुदान राशि के अंतरण की जानकारी प्राप्त हो सके।
7. योजना के अन्तर्गत समय–समय पर जारी शासनादेशों/निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्थाओं का पूरा पालन कराना होगा।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सौंपे गये कर्तत्य :–

1. ग्राम पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों में रह रही पात्र महिलाओं की सूची सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में प्रस्तुत करेंगे और सूची में उल्लिखित निराश्रित महिलाएं शासन द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा कर रही हैं अथवा नहीं तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सूची शासनादेश के अनुसार न्यूनतम आयु की वरीयता क्रम में बनायी गयी है अथवा नहीं के सम्बन्ध मे ग्राम पंचायतों की सहायता करना।
2. उपर्युक्त सूची को ग्राम पंचायत के सूचना पट पर सर्वसाधारण के सूचनार्थ चस्पा करना।
3. ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में पेंशन पा रही लाभार्थियों की सूची को अद्यावधिक रखना।
4. शासनादेश के अनुसार लाभार्थियों की सूची के अनुसार नये पात्र लाभार्थियों को पेंशन में वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत में ग्राम पंचायत की सहायता करना।
5. नये स्वीकृत पेंशन लाभार्थियों का नाम निर्धारित प्रार्थनापत्र सहित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को जिला परिवीक्षा को भेजे जाने हेतु उपलब्ध कराना।

भुगतान :– चयनित पात्र लाभार्थियों को रु0 125/– प्रति माह की दर से वर्ष में दो बार (रु0 750/– प्रति छः माह) धनराशि देय होती है।

3.3 बालिका समृद्धि योजना :–

उद्देश्य

1. पुत्रियों एवं उनकी माताओं के प्रति समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना।
2. बालिकाओं के विद्यालयों में नामांकन एवं स्थिरीकरण में योगदान देना।

सुधार :– 1. बालिकाओं की विवाह आयु में वृद्धिकरण।
2. बालिकाओं को लाभोन्मुख कार्यकलापों को प्रारम्भ करने में सहायता करना।

लक्षित समूह :–

1. गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों की वे बालिकाएं जो 15 अगस्त 1997 या उसके बाद पैदा हुई हों।
2. स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के अन्तर्गत उल्लिखित मानदण्ड वाले परिवारों को भी लक्षित समूह के अन्तर्गत रखा जा सकता है। लक्षित सार्वजनिकवितरण प्रणाली के कार्ड धारकों को भी इस लक्षित समूह के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

मुख्य बिन्दु :–

1. जन्म के समय 500 रु0 की आर्थिक सहायता।
2. स्कूल/विद्यालय जाने पर छात्रवृत्ति देय होगी, जिसका वितरण निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

कक्षा 1 से 3 तक	रु0 300 प्रति वर्ष
कक्षा 4 तक	रु0 500 प्रति वर्ष
कक्षा 5 तक	रु0 600 प्रति वर्ष
कक्षा 6 से 7 तक	रु0 700 प्रति वर्ष
कक्षा 8 तक	रु0 1000 प्रति वर्ष

उपरोक्त वर्णित समस्त धनराशि लाभार्थी बालिका एवं एक नामित अधिकारी के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी। लोक भविष्य निधि खाता या राष्ट्रीय बचत पत्र को अधिक ब्याज दर देने के कारण वरीयता दी जायेगी। 18 वर्ष की उम्र के पूर्व धनराशि निकालने पर प्रतिबन्ध है, इस आयु के बाद ग्राम पंचायत/नगर निकाय के इस आशय के प्रमाण–पत्र, कि वह बालिका अविवाहित है, निर्गत करने के बाद उक्त धनराशि बालिका द्वारा निकाली जा सकती है। यदि उसका विवाह 18 वर्ष के पूर्व हो जाता है तो वह छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हो जाएगी। यदि 10 वर्ष की आयु के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो सम्पूर्ण धन को अन्य पात्र लाभार्थी को लाभान्वित करने के लिए ले लिया जाएगा। इस जमा धन के कुछ भाग/अंश को भाग्यश्री बालिका कल्याण बीमा योजना के तहत उस बालिका के नाम से ही निवेश किया जा सकता है तथा इस प्रकार की छात्रवृत्ति की धनराशि को पुस्तकें एवं स्कूल परिधान हेतु प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

क्रियान्वयन : इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आई0सी0डी0एस0 तथा जहाँ यह योजना संचालित नहीं है, वहाँ जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा जिला शहरी विकास अभिकरण जिम्मेदार होंगे।

4. बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग:

4.1 समेकित बाल विकास परियोजना :–

उद्देश्य

1. समेकित बाल विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराना है। प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्देशन एवं सन्दर्भ सेवायें तथा 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है। आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन कार्यकर्त्री तथा सहायिका के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की व्यवस्था है।

इस योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देना है। इस कार्य हेतु चयनित विकास खण्ड के ग्रामों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति की जाती है। योजनान्तर्गत संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है :–

- ग्रामों में खुले हुए केन्द्रों पर बच्चों को लाना तथा उन्हें औपचारिक साधनों से शिक्षित करना जिससे वे प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश पाने योग्य हो सकें।
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा क्षेत्र की ए0एन0एम0 तथा प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र से समन्वय स्थापित करके केन्द्र पर आने वाले बच्चों का समय से टीकारण करवाना। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं का समय से टीकाकरण तथा स्वास्थ्य परीक्षण कराना जिससे वे जानलेवा बीमारियों से बच सकें।
- गाँव में लगे हैण्डपम्प, सार्वजनिक कुएँ नल आदि की सफाई एवं स्वच्छता के बारे में ग्राम वासियों का अवगत कराना। स्वच्छ जल के उपयोग करने के लिए प्रेरित करना एवं गन्दे जल से होने वाली बीमारियों से अवगत कराना।
- पौष्टिक आहार से अवगत कराना, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए अनिवार्य पौष्टिक आहार का ज्ञान कराना, कुपोषण दूर करने के तरीकों से अवगत कराना, कम खर्च पर आसानी से उपलब्ध पदार्थों से अधिकतम पोषित पदार्थ तत्व नष्ट न हो के बारे में जानकारी देना।
- छोटे परिवार के महत्व को समझाते हुए परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों से अवगत कराना, परिवार

कल्याण के सभी कार्यक्रमों में सहयोग देना।

- महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अत्याचार एवं समाजिक कुरीतियों का अनुश्रवण एवं उसके बारे में जानकारी देना। महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं दुराचार, बाल विवाह, दहेज प्रथा के प्रति जागरूक करना।

2. पोषाहार के लाभार्थी :–

विभाग द्वारा दिये जा रहे पुष्टाहार के लिए प्रति केन्द्र पर 101 लाभार्थी होते हैं जिसमें गर्भवती/ धात्री महिलाओं की संख्या – 16, 6 माह से 3 वर्ष तक के 40 बच्चें, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक 40 बच्चें, किशोरी बालिकाओं की संख्या 3 तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका को भी पुष्टाहार दिया जाता है।

3. लाभार्थियों के पुष्टाहार वितरण की मात्रा:–

राज्य सहायतित योजना में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 150 ग्राम पंजीरी व 24 ग्राम बिस्कुट, 7 माह से 6 वर्ष के बच्चों को 75 ग्राम वीनिंग फूड, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को 70 ग्राम पंजीरी व 24 ग्राम बिस्कुट, विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत गर्भवती व धात्री महिलाओं को 160 ग्राम पंजीरी व 7 माह से 6 वर्ष के बच्चों को 80 ग्राम पंजीरी व केयर योजना के अन्तर्गत गर्भवती व धात्री महिलाओं को 150 ग्राम पंजीरी तथा 7 माह से 6 वर्ष के बच्चों को 75 ग्राम पंजीरी वितरित की जाती है। इसके अतिरिक्त अति कुपोषित बच्चों को निर्धारित मात्रा से दूना राशन वितरित किया जाता है। राज्य सहायतित व विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना में प्रति 100 ग्राम पुष्टाहार में 12 ग्राम प्रोटीन व 300 कैलौरी होती है तथा केयर पुष्टाहार में 13.5 ग्राम प्रोटीन व 450 कैलौरी होती है।

4. साप्ताहिक पोषाहार वितरण व्यवस्था व ए0एन0एम0 का सहयोग :–

6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पोषाहार वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक सप्ताह का पोषाहार एक ही दिन (प्रत्येक शनिवार) वितरित किए जाने की दृष्टि से टेक होम राशन व्यवस्था लागू की गयी है। महिलाओं व किशोरियों को पोषण स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है। ए0एन0एम0 की सहायता से परियोजना क्षेत्र में आने वाले तीन साल तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच की व्यस्था भी कराई जाती है। इस दिन पोषण स्वास्थ्य साप्ताहिक दिवस का नाम दिया गया है।

5. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं की प्रास्थिति व अन्य सामान्य सुविधाएं :–

आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं की नियुक्ति एक नियत मासिक मानदेय पर की जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को उनकी सेवा अवधि, योग्यता व अनुभव के आधार पर रुपया 500 प्रति माह मानदेय दिया जाता है तथा सहायिका को रुपया 260 प्रतिमाह मानदेय अनुमन्य है। वर्ष में उन्हें 20 दिन का आकस्मिक अवकाश की सुविधा के साथ–साथ मातृत्व अवकाश की सुविधा भी अनुमन्य है।

5. विकलांग कल्याण विभाग

उद्देश्य एवं प्रयोजन :–

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य नेत्रहीन, मूक–बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग, निराश्रित पुरुष तथा महिलायें जो बाधित होने के कारण किसी प्रकार का परिश्रम नहीं कर सकते हैं, न उनका कोई आर्थिक स्रोत है और न ही किसी व्यक्ति के आश्रय पर रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भरण–पोषण के लिए अनुदान की सहायता देना है।

2. जो अक्षम व्यक्ति उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और प्रार्थना–पत्र की तिथि से एक वर्ष के अधिक समय से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं वे अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे, प्रतिबन्ध यह है कि कोई विस्थापित व्यक्ति जो किसी दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश में आकर तीन मास से अधिक समय से बस गया है ही अनुदान का पात्र होगा।

3. इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के बाधित निराश्रित व्यक्तियों को अनुदान की सहायता प्रदान की जायेगी।

(क) नेत्रहीन।

(ख) मूक तथा बधिर।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग।

4. परिभाषा :

(1) (क) निराश्रित : वह व्यक्ति जिनकी आय का कोई साधन नहीं है तथा जिनका 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का निम्न श्रेणी में कोई सम्बन्धी नहीं है।

(अ) पुत्र, पुत्र का पुत्र (पौत्र) (ब) पति (स) पत्नी

प्रतिबन्ध यह है कि : वह व्यक्ति भी निराश्रित समझा जायेगा यदि उसके उपर्युक्त श्रेणी के सभी सम्बन्धी –

(अ) 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनकी अपनी कोई आय नहीं है, या

(ब) वे स्वयं आर्थिक विपन्नता में हो तथा सहायता करने में असमर्थ हों, या,

(स) वे जीविकोपार्जन के लिए पूर्णतः अयोग्य हैं यानी, अंधे, कोढ़ी, पागल या अशक्त हों, या

(द) वह 7 वर्ष से अधिक समय से लगातार लापता है या साधू या फकीर को गये हों और इस प्रकार उन्होंने अपने परिवार से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया हो और अलग रहते हों तथा ग्राम पंचायत ऐसी जांच के द्वारा जहां वे आवश्यक समझे इस बात से व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हो कि सम्बन्धी लापता है या साधू या फकीर हो गया है।

उपर्युक्त (द) में भिखारी तथा साधू और निर्धन गृहों के निःशुल्क पोषण पाने वाले व्यक्ति निराश्रित नहीं समझें जायेंगे परन्तु जिनका पेशा वास्तव में भीख मांगना नहीं है और यदा–कदा कहीं से सहायता पा सकते हैं, अनुदान पाने योग्य होंगे, यदि वे अन्य प्रकार से पात्र हैं और जिलाधिकारी उनकों निराश्रित समझें।

स्पष्टीकरण :

(1) पत्नी के जीवित होने से किसी व्यक्ति को अनुदान पाने के लिए तब तक आयोग्य न समझा जायेगा जब तक ग्राम पंचायत जांच कराकर संतुष्ट न हो जाये कि पत्नी की आय अपने और अपने पति के निर्वाह के लिये पर्याप्त है।

(2) जहाँ पति या पत्नी 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं, पति या पत्नी अनुदान के पात्र होंगे यदि उनके कोई पुत्र या पुत्र जीवित नहीं है।

(3) यदि प्रार्थी पागल है या विक्षिप्त है तो अधिकारी उसके अभिभावक नियुक्त करेंगे और ग्राम–पंचायत द्वारा नामांकित ऐसे अभिभावकों को अनुदान दिया जा सकता है यदि अभिभावक इस आशय का अनुबन्ध करें कि वह पागल व्यक्ति का पोषण करेंगे।

(4) सौतेले पुत्र को पुत्र नहीं समझा जायेगा।

(5) 1000 रुपया प्रतिमास तक गरीबी रेखा के नीचे आय वाला प्रार्थी अनुदान के आयोग्य नहीं समझा जायेगा, यदि वह अन्यथा इसका पात्र है।

"शारीरिक रूप से अक्षम" वह व्यक्ति समझे जायेंगे जो निम्न श्रेणी में से एक या एक से अधिक श्रेणी में आते हों:

(1) नेत्रहीन,

(2) मूक तथा बधिर,

(3) मानसिक रूप से अक्षम

(4) विकलांग

प्रतिबन्ध यह है कि शारीरिक अक्षमता ऐसी स्थाई प्रकार की हेा कि वह अपने जीविकोपार्जन के लिए अयोग्य हो गया हो जैसे :–

(अ) दोनों हाथ न हों या कोहनी तक कटे हों।

(ब) एक हाथ और एक पैर (फूट) न हो।

(स) दोनों टांगे कटी हों या जाँघ तक एक टांग न हो या दूसरी टांग का पैर (फूट) न हो।

(द) ऐसे नेत्रहीन हों और अशक्त हों जो कोई कार्य न कर सकते हों।

(य) ऐसे बधिर हों कि किसी की कोई बात सुनने में असमर्थ हों तथा अशक्त हों।

(र) मानसिक रूप से ऐसे अक्षम हों कि अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ हों।

(ल) फालिज या किसी अन्य रोगों के कारण जीविकोपार्जन के लिए आयोग्य हों।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मामले में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच उपरान्त प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र की स्वीकृति एवं भुगतान की नयी प्रक्रिया :–

1. लाभार्थियों की सूची के आधार पर स्थलीय जांच करके ग्राम–पंचायत में विचार–विमर्श कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी गलत व्यक्ति को पेंशन प्राप्त न हो रही हो। यदि गलत पेंशन प्राप्त हो रही हो तो उसके निरस्तीकरण हेतु कारणों का उल्लेख करते हुए क्षेत्र–पंचायत को सूचित करें। क्षेत्र–पंचायत उक्त पेंशन का निरस्तीकरण जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से करायेगी।
2. ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी सम्पूर्ण ग्राम के व्यक्तियों का सर्वे करके एवं परिवार रजिस्टर एवं आर्थिक रजिस्टर के आधार पर ग्राम–पंचायत में विचार–विमर्श कर ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगे जो कि विकलांग पेंशन के पात्र हैं परन्तु जिन्हें अभी तक पेंशन प्राप्त नहीं हो पायी है। ऐसे लाभार्थियों की सूची ग्राम–पंचायत की खुली बैठक में तैयार की जायेगी तथा सर्वाधिक असहाय एवं अशक्त वृद्ध का नाम सबसे ऊपर रखा जायेगा।
3. यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी रिक्त की दशा में अथवा शासन द्वारा लक्ष्य वृद्धि की दशा में उक्त चयन के आधार पर सूची में से क्रमानुसार रिक्तियों

की संख्या तक ग्राम पंचायत द्वारा खुली बैठक में व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जायेगी तथा क्षेत्र–पंचायत के माध्यम से जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिला विकलांग कल्याण अधिकारी ग्राम–पंचायत की इसी सूची में ही व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान नियमानुसार करेंगे।

4. ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी द्वारा ग्राम–पंचायत स्तर पर वितरित होने वाली समस्त पेंशन की धनराशि के वितरण का लेखा–जोखा रखा जायेगा तथा यदि कोई धनराशि लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य कारणों से बच जाती है तो उसका पूर्ण विवरण देते हुए उसे क्षेत्र–पंचायत के माध्यम से जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को वापस किया जायेगा। उक्त समस्त कार्यों के लिये ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

5.1 निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को भरण–पोषण हेतु अनुदान/पेंशन :–

पात्रता की शर्ते :

1. आयु पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 18 वर्ष से ऊपर 60 वर्ष तक।
2. आय सीमा 1000 रु0 मासिक आय वाला पात्र होगा
3. ऐसे अक्षम व्यक्ति जो जीविकोपार्जन में असमर्थ हैं तथा जो कम से कम दो अंगो से विकलांग हो जैसे – मूक/बधिर, अन्धा, दोनों हाथ किसी पर आश्रित न हो।
4. उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा किसी पर आश्रित न हो।

अनुदान की राशि : उपर्युक्त पात्रताओं को पूरी करने वाले को विभाग द्वारा 127.00 प्रति माह देने का प्राविधान है।

5.2 कृत्रिम अंग अनुदान योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को विभाग द्वारा कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक अंग क्रिया हेतु अनुदान/कृत्रिम अंग उपकरण अंग श्रवण सहायता यंत्र आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

पात्रता की शर्ते :

1. आयु सीमा अधिकतम 60 वर्ष।
2. आय की सीमा रु0 1000.00 प्रतिमाह से अधिक न हो।
3. कृत्रिम अंग खरीदने में स्वयं सक्षम न हो, ऐसे अक्षम व्यक्ति जो आंशिक बधिर, आंशिक दृष्टिहीन, या दोनों हाथ–पैर/एक हाथ एक पैर न हो।
4. उत्तर प्रदेश का निवासी हो, एक अंग के लिये अनुदान एक बार दिया जायेगा।
5. अनुदान की धनराशि अधिकतम रु0 3500.00 है।

5.3 विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना :–

छात्रों को जीवीकोपार्जन (शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु) विभाग द्वारा विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है।

पात्रता की शर्ते :

1. आयु 6 वर्ष से 40 वर्ष तक।
2. अभिभावक की आयु रु0 2000.00 मासिक से अधिक न हो।
3. उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
4. विकलांग का प्रतिशत कम से कम 40 प्रतिशत होना आवश्यक है।

छात्रवृत्ति की धनराशि प्रतिमाह	डेली गेट	छात्रावासी
1. कक्षा 1 से 5 तक प्रतिमाह	रु0 25.00	–
2. कक्षा 6 से 8 तक	रु0 40.00	–
3. कक्षा 9 से इण्टर तक प्रतिमाह	रु0 85.00	–
4. स्नातक हेतु	रु0 125.00	180
5. स्नातकोत्तर प्रतिमाह	रु0 170.00	180

5.4 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा :–

पात्रता की शर्ते :

1. आय बन्धन नहीं है।
2. विगलांगता का प्रकार :– (क) दृष्टिहीन (ख) मूक/बधिर (ग) चलने–फिरने में असमर्थ (घ) मानसिक मन्द (ड.) मानसिक रोगी आदि

उपरोक्त पात्र व्यक्तियों को यात्रा सुविधा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र को यात्रा के समय दिखाने पर प्राप्त होगी। यात्री कर देय होगा केवल किराया निःशुल्क है।

5.5 विगलांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार :–

पात्रता की शर्ते :

1. विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक।
2. विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक।
3. विकलांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत तक होनी चाहिए।

4. उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
5. आय कर देने वाले पात्र नहीं होंगे।
6. विकलांग की शादी 15–7–97 के बाद हुई हो।

पुरस्कार राशि :–

1. विकलांग युवक से शादी करने पर रु0 11,000.00/–
2. विकलांग युवती से शादी करने पर रु0 14,000.00/–

5.6 दुकान निर्माण हेतु ऋण :– विकलांग व्यक्तियों को पुर्नवास हेतु दुकान निर्माण में सहायता देना योजना का उद्देश्य है।

पात्रता की शर्ते :

1. आयु 18 से 55 वर्ष के बीच।
2. गरीबी रेखा से दोगुनी आय वाले पात्र होंगे।
3. विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।
4. ग्रामीण अथवा नगर क्षेत्र की दुकान निर्माण हेतु 110 वर्ग फुट जमीन खरीदने में समर्थ हो या स्वयं उसके पास हो।

ऋण की राशि : रु0 15,000.00 की धनराशि चार प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर साढ़े सात वर्ष के लिए दी जाती है जबकि रु0 5,000.00 अनुदान के रूप में विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।

ऋण की अदायगी : सामान्यतया दो किश्तों में देय होगी।

विकलांगता प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया : विकलांगता प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से जारी किया जाता है। मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में गठित बोर्ड जिसमें एक हड्डी रोग सर्जन, नाक, कान, गला रोग के विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा एक फिजीशियन सम्मिलित होते हैं, के द्वारा विकलांगों का समग्र परीक्षण कर तत्काल ही विकलांगता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार का दिन निश्चित है।

उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड : द्वारा अल्प संख्यक समुदाय के लोगों के लिए इसी प्रकार की टर्म लोन योजना लागू है। इसका मुख्यालय 747 जवाहर भवन लखनऊ में है। दूरभाष क्रमांक 280647 व फैक्स नं0 281053 है। अधिक जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

6. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

शासनादेश संख्या : 1123/64–2–99–1 (39)/97, दिनांक 10–8–99 द्वारा ग्राम–पंचायतों के क्षेत्र में स्थित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों, जिसमें राजकीय विद्यालय के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय भी सम्मिलित होंगे, में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण संबंधित ग्राम–पंचायतों की शिक्षा समिति के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधित विद्यालयों की ग्राम पंचायतों को छात्रवृत्ति की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के कक्षा 3 से 8 तक प्रति विद्यालय 27 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय के बारे में यह घोषणा देना पर्याप्त है कि उसकी आय रु0 24000/– वार्षिक अथवा इससे कम (गरीबी की रेखा से नीचे) है तथा पिछली कक्षा में संबंधित छात्र/छात्रा ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हैं। छात्र संख्या धन की उपलब्धता के आधार पर घट–बढ़ सकती है।

प्रक्रिया : विद्यालय में अर्ह विद्यार्थियों की सूची संबंधित विद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शिक्षा विभाग से प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप धनराशि का आंकलन कर छात्रवृत्ति की धनराशि ग्राम निधि में अन्तरित करेंगे। प्रेषित/अन्तरित धनराशि की सूचना तथा विद्यार्थियों की सूची पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी।

छात्रवृत्ति का वितरण ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा अपनी बैठक में सूची पर स्वीकृति की कार्यवाही करते हुये सूची में निर्दिष्ट पात्र विद्यार्थियों को नकद रूप में किया जायेगा तथा प्राप्ति की रसीद प्राप्त की जायेगी। वितरित छात्रवृत्ति का विवरण छात्रवृत्ति प्रपत्र – 1 पर पंचायत स्तर पर सुरक्षित रखा जायेगा।

छात्रवृत्ति वितरण हेतु उपलब्ध करायी गई सूची में यदि कोई त्रृटि पाई जाती है अथवा सूची का कोई अंश गलत/फर्जी पाया जाता है तो उक्त छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन उप–प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

द्वारा किया जायेगा, जिसे ग्राम–पंचायत के प्रधान प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे। छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र (छात्रवृत्ति प्रपत्र – 2) खण्ड विकास कार्यालय के माध्यम से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

ग्राम–निधि में छात्रवृत्ति की धनराशि अन्तरित होने के एक माह के अन्दर छात्रवृत्ति वितरण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा। छात्रवृत्ति की धनराशि किसी भी दशा में अन्य प्रयोजन हेतु व्यावर्तित नहीं की जायेगी। छात्रवृत्ति के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे चेक द्वारा संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को वित्तीय वर्ष में ही समय से वापस करने का संयुक्त उत्तरदायित्व ग्राम–पंचायत के प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का होगा।

उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त छात्रवृत्ति का अन्तिम उपयोग प्रमाण–पत्र यदि पूर्व में न भेजा गया हो तो उसी संबंधित वित्तीय वर्ष में ही निर्धारित छात्रवृत्ति प्रपत्र–2 उपर्युक्त पद्धति से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाये।

6.1 पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना :– इस योजनान्तर्गत ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके माता–पिता/अभिभावक की मासिक आय रुपया 2000.00 तक है, को निम्नानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है :–

(अ) प्रत्येक परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कक्षा 3 से 5 तक कुल 9 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का मानक निर्धारित है। कक्षा 3 से 5 तक 25 रुपया मासिक की दर से प्रत्येक कक्षा के छात्र कक्षा 6 से 8 में प्रत्येक कक्षा तीन–तीन छात्र/छात्राओं का रुपये 40 प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह के लिए कुल रुपये 400.00 की छात्रवृत्ति दी जाती है।

(ब) निर्धारित मानक के अन्तर्गत पिछड़ी जाति के वे छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे जिन्होंने विगत परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हो तथा वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से सम्बन्धित हों।

(स) कक्षा 3 से 8 तक की छात्रवृत्ति का वितरण नगरीय क्षेत्र में विद्यालयों के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम निधि के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है।

(द) कक्षा 9 एवं 10 में धन की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। प्रति छात्र रु0 50/– कुल 10 माह हेतु रु0 500/– देय है। अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध उपरोक्तानुसार हैं।

6.2 दशमोत्तर छात्रवृत्ति :– योजना की शर्तें उपर्युक्तानुसार हैं। छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :–

कक्षा	दिवा छात्र	छात्रावासी छात्र
11–12 एवं स्नातक प्रथम वर्ष	90 रु0 प्रतिमाह	150 रु0 प्रतिमाह
स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	120 रु0 प्रतिमाह	150 रु0 प्रतिमाह
स्नाकोत्तर एवं मेडिकल तथा इंजीनियरिंग (स्नातक स्तर)	190 रु0 प्रतिमाह	290 रु0 प्रतिमाह
उच्च तकनीकी व्यावसायिक एवं परास्नातक कोर्स	190 रु0 प्रतिमाह	425 रु0 प्रतिमाह

6.3 अनावर्ती सहायता योजना :– समस्त प्रतिबन्ध एवं शर्ते उपर्युक्तानुसार हैं। अभिभावक की मासिक आय रु0 2000/– निर्धारित है। छात्र रु0 500/– प्रतिवर्ष उपकरण एवं पुस्तक क्रय हेतु ऐसे छात्रों को प्रदान की जाती है, जो मेडिकल अथवा इन्जीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों।

6.4 पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम द्वारा संचालित योजनाएँ

(अ) इस योजनान्तर्गत उ0प्र0 में निवास करने वाले 18 से 50 वर्ष के बीच आयु वर्ग के बेरोजगारों को ऋण प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र रु0 5.00 मात्र का शुल्क भुगतान कर प्रत्येक जनपद मे जिला प्रबंधक कार्यालय अथवा निगम मुख्यालय से प्राप्त कर उसे सम्बन्धित जनपद के जिला प्रबन्धक कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

(ब) जाति तथा आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम न हो द्वारा जारी किया गया हो, मान्य होगा।

(स) निगम की योजना के अन्तर्गत लाभार्थी पहचान एवं चयन कार्य हेतु जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है।

(द) अभ्यर्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो अर्थात जिसके/परिवार की वर्तमान में समस्त स्रोतों से

वार्षिक आय निम्न प्रकार हो – (1) शहरी क्षेत्र में रु0 21,206.00 वार्षिक (2) ग्रामीण क्षेत्र में रू0 15,976.00 वार्षिक

(य) निगम द्वारा संचालित मार्जि मनी एवं टर्मलोन येाजना के अन्तर्गत संचालित परियेाजनाओं के ब्याज दर राष्ट्रीय निगम द्वारा निर्गत न्यूलेंडिंग पालिसी के अनुसार रु0 2. 00 लाख तक के ऋण पर 7 प्रतिशत वार्षिक तथा रु0 2.00 लाख से ऊपर पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित है। ट्रान्सपोर्ट ऋण पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होता है।

(र) ऋण की अदायगी 60 बराबर मासिक किश्तों में की जानी है तथा नियमित ऋण अदायगी पर ब्याज में 0–5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी तथा नियमित भुगतान न करने पर 7–5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान वार्षिक होगा। लाभार्थी द्वारा ऋण का दुरुपयोग किए जाने पर 18 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज के साथ धनराशि एकमुश्त वसूला जायेगा।

उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम : 1986

यह कानून जीवन और सम्पत्ति के लिये खतरनाक माल और सेवाओं से उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने तथा मानसिक व शारीरिक हानि के लिये मुआवजा दिलाने का प्रावधान करता है। व्यापारी, फैक्ट्रियाँ, बैंक, बीमा कम्पनियाँ, चिटफन्ड कम्पनियाँ, फाइनेंस कम्पनियों, डाक्टरों आदि द्वारा प्रदत्त घटिया माल या सेवा के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। उपभोक्ता की शिकायतों को शीघ्र, सरल तरीके से तथा कम खर्च में दूर करने के लिए इस अधिनियम में राष्ट्रीय फोरम, राज्य फोरम तथा जिला स्तर पर जिला फोरम का गठन है। यदि माल अथवा सेवाओं का मूल्य तथा क्षतिपूर्ति के लिये मांगी गई राशि 05 लाख रुपये के बीच हो तो शिकायत राज्य उपभोक्ता संरक्षण फोरम के समक्ष, यदि माल अथवा सेवाओं का मूल्य तथा क्षतिपूर्ति के लिए मांगी गई राशि 05 लाख रुपये से कम है तो शिकायत जिला फोरम जिला न्यायाधीश के न्यायालय में शिकायतकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से बिना कोर्ट फीस अदा किये पेश किया जा सकता है, किन्तु फोरम द्वारा सुनवाई की तिथि पर शिकायतकर्ता का उपस्थित होना आवश्यक है। शिकायत में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए।

(क) शिकायतकर्ता का नाम तथा पता, (ख) विरोधी पक्षकार अथवा विपक्षकारों का नाम, कम्पनी/फर्म का नाम और पता जहाँ तक उन्हें मालूम किया जा सके। (ग) शिकायत से सम्बन्धित तथ्य और वे कब और कहाँ पैदा हुए जैसे– वस्तु अथवा सेवा का नाम, मात्रा, भुगतान किया गया मूल्य, वस्तु के दोष, सेवा की कमियाँ आदि (घ) शिकायत में लगाये गये आरोपों के समर्थन दस्तावेज, (यदि कोई हो) बिल एवं रसीद की छाया प्रति (ड.) वह राहत जो शिकायतकर्ता चाहता है जैसे खरीदी गयी वस्तुओं का दोष दूर कराना, नई वस्तु से बदला जाना, मूल्य वापसी, आर्थिक या अन्य नुकसान के बदले हर्जाने की मांग आदि। शिकायत पर शिकायतकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के अन्दर उपभोक्ता राज्य आयोग, लखनऊ में तथा राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के अन्दर राष्ट्रीय आयोग दिल्ली में अपील दायर की जा सकती है।

इस अधिनियम का उपयोग करके आप गारन्टी काल में खराब स्कूटरों को बदल सकते हैं। फर्नीचर बिक्रेताओं से अपने पैसे वापस वसूल सकते हैं। यदि प्रापर्टी डीलर या भवन निर्माणकर्ता समय पर फ्लैट उपलब्ध नहीं करा सके तो ब्याज सहित अपने पैसे इतनी ही धनराशि के हर्जाने सहित वसूल सकते हैं, बैंकों, पोस्ट ऑफिस, रोड़वेज, नर्सिंग होम, चिकित्सालय, ड्राइक्लीनिंग, ट्रेन लेट होने पर, विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम के बिलम्ब पर, बिजली वोल्टेज की अस्थिरता से नुकसान पर, तार भेजने में विलम्ब होने पर, नगरपालिका के गड्ढे आदि से टाँग टूटने पर एवम् अन्य अनेको ढेरों उदाहरण है जिनके बारे में आप स्वयं जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए एवं अन्य लोगों को जागरूक बनाकर उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। आप जब सामान खरीदते हैं तो दुकानदारों को उसकी दुकान में रखा कोई भी सामान दिखाने एवं मूल्य जानने को बाध्य कर सकते हैं। परन्तु दुकानदार सामान खरीदने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकते हैं।

अध्याय – 3

7. ग्राम्य विकास विभाग की योजनाएँ

पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने एवं गाँवों से पलायन रोकने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास की योजनायें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से चलाई जा रही है। इनमें से मुख्य हैं :

7.1 इन्दिरा आवास योजना :

योजना का प्रारम्भ : वर्ष 1985

योजना का उद्देश्य : गरीबी की रेखा से जीवन यापन करने वाले आवासहीन ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास मुहैया कराना।

(क) इन्दिरा आवास योजना की विशेषतायें:

1. इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क आवासीय इकाई प्रदान की जाती है, जिसमें मुक्त बंधुआ मजदूर, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार जो अत्याचार के शिकार हुए हों, दैवी आपदा प्रभावित परिवार, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।
2. घरों का आबंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता है, विशेष स्थिति में संयुक्त नाम पर आबंटन किया जाता है। मकानों के निर्माण और उसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लाभार्थी की होती है।
3. योजना के तहत विकास विभाग सिर्फ मकान का नक्शा, आकार और डिजाइन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करता है। इसमें कुछ फेर बदल की भी स्वतन्त्रता होती है, बशर्ते कि मकान की कुर्सी क्षेत्र (प्लिन्थ एरिया) लगभग 20 वर्ग मीटर हो और इसमें एक रसोई घर, धुंआ रहित चूल्हा और एक स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था हो।
4. योजना को अमल में लाने के बाद एक मकान के निर्माण पर औसत 17000/– रुपये, शौचालय और चूल्हे पर 3000 रुपये की लागत आती है। इस प्रकार कुल 20,000 रु0 तीन किश्तों में दिया जाता है।
5. अम्बेडकर गाँवों में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हेतु प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि में से 22.5 प्रतिशत इन्दिरा आवास योजना में खर्च किया जाता है।

(ख) चयन एवं पात्रता :

1. पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ पाने हेतु ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी (बहुउद्देशीय कर्मी) अथवा विकासखण्ड मुख्यालय पर सम्पर्क करें।
2. जनपद में पात्र लाभार्थियों के चयन का जिम्मा अब ग्राम सभाओं को सौंप दिया गया है।
3. किसी अनियमितता या अपात्र के चयन पर मुख्य विकास अधिकारी (सी0डी0ओ0) जिलाधिकारी को शिकायत दर्ज करायें।
4. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का रजिस्टर ग्रामवार ब्लाक कार्यालय में होता है।
5. स्तरोन्नयन (झोपडी या कच्चे घरों को पक्का करने) के लिये भी रु0 10,000 प्रति लाभार्थी दिये जाने का प्राविधान इसमें किया गया है।
6. ग्रामवार लक्ष्यों का निर्धारण इन्दिरा आवासों का जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की शासी निकाय द्वारा किया जाता है।
7. शासी निकाय द्वारा ग्रामवार लक्ष्यों के निर्धारण की सूचना खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत को दी जाती है।

7.2 प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना :

इन्दिरा आवास योजना की भांति प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना भी जनपदो में लागू है, जिसमें प्रति लाभार्थी रु0 20,000 आवास एवं शौचालय निर्माण के लिए एवं स्तरोन्नयन झोपड़ी का कच्चे घरों को पक्का करने के लिए 10,000/– प्रति लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थी का चयन गाम पंचायत की खुली बैठक में किया जाता है। इसके अतिरिक्त और सभी शर्ते व पात्रतायें वही हैं जो इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निहित हैं।

7.3 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन सुनिश्चित किये जाने हेतु माह अक्टूबर, 2001 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारम्भ किया गया है।

योजना का प्रारम्भ : 25 सितम्बर 2001

योजना का स्वरूप : वर्ष 2001–02 में पूर्व संचालित योजनाएं यथा–सुनिश्चित रोजगार योजना तथा जे.जी.एस. वाई. (जवाहर ग्राम समृद्धि योजना) को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) में समाहित कर दिया गया है।

योजना की मुख्य विशेषताएं :

1. इस योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान 75:25 का होता है तथा धनराशि दो धाराओं में प्राप्त होती है।
2. प्रथम धारा में प्राप्त धनराशि को क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के बीच 60:40 के अनुपात तथा द्वितीय धारा में प्राप्त धनराशि का ग्राम पंचायतों को आवंटित किया जाता है।
3. योजनान्तर्गत जिला पंचायतों को 20 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों को 30 प्रतिशत तथा ग्राम पंचायतों 50 प्रतिशत अंश आवंटित किया जाता है।
4. प्रथम धारा के अन्तर्गत 22.5 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तिगत लाभार्थियों को कार्यों हेतु मात्राकृत की जाती है।
5. योजनान्तर्गत रु0 58/– दैनिक मजदूरी खाद्यान्न के मूल्य को सम्मिलित करते हुए भुगतान की जायेगी। पूरब क्षेत्र के 17 जनपदों में मजदूरी का भुगतान 5 किलोग्राम चावल (मूल्य रु0 35) एवं शेष रुपये नगद तथा शेष जनपदों में 6 किलो ग्राम गेहूँ (मूल्य रुपये 30) शेष 28 रुपया नगद के रूप में दिया जायेगा।

योजनान्तर्गत आच्छादन : इस योजना के अन्तर्गत स्थायी सामुदायिक एवं आर्थिक परिसम्पत्तियों तथा अवस्थापना सुविधा का विकास करना है। इस योजना की प्राप्त धनराशि का **साढे बाइस प्रतिशत** अनुसूचित/जनजाति के गरीबी से नीचे रहने वाले परिवारों के व्यक्तियों के व्यक्तिगत हित में खर्च किया जाता है ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हो सके। धारा 2 में प्राप्त धनराशि से ग्राम पंचायतों को अपने यहाँ प्राप्त धनराशि से 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के अवस्थापना का कार्य करना है।

कौन कार्य कर सकते हैं : इन योजना में उन सभी ग्रामीण परिवारों को आच्छादित किया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे के हों या गरीबी रेखा के ऊपर हों किन्तु जिन्हें मजदूरी के रूप में रोजगार की आवश्यकता है तथा अपने गाँव या बस्ती या उसके आस–पास के क्षेत्र में मजदूरी करना चाहते है, अति निर्धन, अनुसूचित जाति तथा बाल श्रमिकों के माता–पिता को प्राथमिकता दी जाती है। ठेकेदार अथवा बिचौलिया के माध्यम से कार्य लेने पर प्रतिबन्ध है।

कार्यदाई संस्था :

1. जिला स्तर पर – जिला पंचायत।
2. विकासखण्ड पर – क्षेत्र पंचायत।
3. ग्राम स्तर पर – ग्राम पंचायत।

सम्पर्क सूत्र:

1. विकासखण्ड स्तर पर – खण्ड विकास अधिकारी
2. जनपद स्तर पर – परियोजना निदेशक, डी0 आर0 डी0 ए0 मुख्य विकास अधिकारी
3. राज्य स्तर पर – आयुक्त ग्राम्य विकास

इस योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन से संबंधित कार्य जैसे :–

1. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
2. वाटरशेड़ विकास का कार्य।
3. पारम्परिक जल स्रोतों का विकास।
4. वनीकरण।
5. ग्राम स्तर की अवस्थापना सुविधा।

जैसे : आन्तरिक सम्पर्क मार्ग, प्रा0 पाठशाला भवन, डिस्पेंसरी, पशु चिकित्सालय, गाँव बाजार का निर्माण तथा पंचायत घर से संबंधित कार्य।

इस योजना में निम्नलिखित कार्य नहीं लिये जा सकते हैं :–

1. धार्मिक उद्देश्य के लिए किसी भी कार्य के लिए भवन निर्माण ।
2. स्मारक/कीर्ति स्तम्भ/प्रतिमा/मूर्ति/स्वागत द्वार
3. बड़े भवन एवं बड़े पुल।
4. सरकारी कार्यालय भवन एवं कम्पाउण्ड वाल।
5. उ0मा0 विद्यालय एवं कालेजों के भवन।

इस योजना के अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी कूपन से दी जाती है। इसमें लालरंग का कूपन मजदूर के लिए, सफेद रंग का कूपन कार्यालय कार्य के लिए तथा पीले रंग का कूपन दुकानदार के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कूपन पर बुक नम्बर तथा क्रमांक छपा होता है। लाल, सफेद तथा पीले कूपन का एक ही सीरियल नम्बर होता है। एक मजदूर को एक कूपन पर कम से कम एक दिन की मजदूरी हेतु 5 किग्रा0 चावल से लेकर अधिकतम 60 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति कूपन द्वारा दिया जा सकता है।

7.4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

'शहरी भारत' और 'ग्रामीण भारत' में जमीन–आसमान का अन्तर है। प्रगति की राह पर गांव साथ–साथ कदम नहीं बढ़ा सके। इस राह की एक महत्वपूर्ण कड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों का राष्ट्रीय जाल है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों का राष्ट्रव्यापी जाल प्रगति की महत्वपूर्ण कड़ी है।

पिछड़े पांच दशकों से ज्यादा समय में ग्रामीण सड़कों की लम्बाई बढ़ रही है फिर भी अभी लगभग 40 प्रतिशत गाँव ऐसे है, जिनका सम्पर्क नहीं है। प्रथम बार एक ऐसा कार्यक्रम– 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' चलाया जा रहा है जो कि केवल गांवों में सड़क निर्माण के प्रति समर्पित है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2003 तक 1000 व्यक्तियों से ज्यादा की जनसंख्या वाली हर बस्ती को अच्छी, बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। वर्ष 2007 तक 500 व्यक्तियों से ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पूरी धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

7.5 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस0जी0एस0वाई0)

उद्देश्य : यह एक ऋण–सह–अनुदान कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को सामर्थ्य प्रदान करने के निमित्त बड़ी संख्या में छोटे उद्योगों की स्थापना के लिये है। इसके मूल में यह विश्वास है कि भारत के ग्रामीण गरीबों में क्षमतायें हैं और उन्हें उचित सहायता प्रदान कर मूल्यवान वस्तुओं का सफल उत्पादक बनाया जा सकता है । यह योजना 5 वर्ष के लिए है। प्रथम वर्ष में 15 प्रतिशत तथा अन्य 4 वर्षों में 21–21 प्रतिशत गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। इस योजना में दो प्रकार के सहायतित परिवार होंगे। प्रथम–व्यक्तिगत जिसे ' स्वरोजगारी' कहा जाता है। दूसरा 10 से लेकर 20 व्यक्तियों का समूह जिसे 'सवयं सहायता समूह' के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक सहायतित परिवार को 3 वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर उन्हें इस योग्य बनाना है कि वह प्रति माह 2000–00 रूपये की आय कर सकें।

इस योजना में समूह पद्धति पर बल दिया गया है। इस योजना में ऋण मुख्यतया अनुदान एक छोटा एवं सामर्थ्य प्रदान करने वाला घटक है। इस योजना में अवस्थापना निधि, प्रशिक्षण निधि एवं रिवाल्विग फण्ड है, जिसमें क्रमशः वार्षिक परिव्यय का 20:10:10 प्रतिशत व्यय किया जाना है। शेष 60 प्रतिशत धनराशि अनुदान मद पर व्यय किया जाता है।

पात्रता : ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्डों द्वारा गत वर्ष गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसे बी0पी0एल0 सर्वेक्षण नाम से जाना जाता है। उक्त सूची में अंकित व्यक्ति ही इस योजना के पात्र होंगे। स्वरोजगारी के रूप में महिला, अथवा पुरुष हो सकते हैं, किन्तु प्रत्येक बी0पी0एल0 परिवार से एक ही व्यक्ति इस योजना में लिया जायेगा।

स्वरोजगारी का चयन : स्वरोजगारी का चयन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र से सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक तथा सम्बन्धित ग्राम के प्रधान की एक समिति द्वारा गाँव में भ्रमण करके किया जायेगा।

स्वयं सहायता समूह : यह 10 से 20 पुरुष अथवा महिला अथवा दोनों वर्गों का जिला–जुला समूह होता है, किन्तु विकलांगों एवं लघु सिचाई कार्यक्रमों हेतु मात्र 5 व्यक्तियों का समूह होता है, जिसे 'स्वयं सहायता समूह' कहा जाता है। वास्तव में इसका उद्देश्य यही है कि उक्त समूह के व्यक्ति आपस में इस प्रकार का ताल–मेल बैठाकर एक समूह बनायें और स्वयं कार्य करने में रुचि एवं क्षमता प्रदर्शित करते हुए समूह के संचालन के लिए अपनी नियमावली बनानें तथा बैंक में खाता खोले और उससे छोटे–मोटे कार्य कर

धनराशि जमा करना और निकालना प्रारम्भ कर लिये हों। समूह के नियमित रूप से गठन के पश्चात लाइन डिपार्टमेन्ट द्वारा उनके न्यूनतम कौशल आवश्यकता का आंकलन किया जायेगा और यदि देखा जाता है कि उनके पास पर्याप्त कौशल नहीं है तो उन्हें 2 दिन का मौलिक अभिनवीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें उन्हें योजना का उद्देश्य, उनकी जिम्मदारियाँ, अन्य व्यावहारिक पहलू, लेखों का रख–रखाव, बाजार की जानकारी, वस्तु की लागत एवं उसका मूल्य तथा बैंकों से वित्तीय सहायता के बारे में उन्हें बताया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण बैंकर्स, खण्ड विकास अधिकारी, कार्यदायी विभाग (लाईन डिपार्टमेन्ट) के अधिकारी, क्षेत्रीय/ग्राम्य विकास संस्थान के अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा।

दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक स्वरोजगारी को ब्लाक अथवा गांव के निकट स्थान पर प्रशिक्षण दिया जायेगा और उन्हें एक बार आने–जाने का द्वितीय श्रेणी का किराया दिया जायेगा तथा प्रशिक्षण के दो दिनों हेतु 100–00 रुपये की धनराशि का भोजन एवं चाय–पान प्रति स्वरोजगारी को एवं 20 रुपये की धनराशि की लेखन सामग्री तथा अन्य साहित्य उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण पर प्रति वार्तावार द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों हेतु 50.00 रुपये, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए 100.00 रुपये तथा गैर सरकारी प्रशिक्षक हेतु 150.00 रुपये मानदेय दिया जायेगा।

यदि किसी स्वरोजगारी को अतिरिक्त कौशल विकास की आवश्यकता हो तो पालिटैनिक, आई0टी0आई0, विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान अथवा उच्च ख्याति के गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जायेगा। एक सप्ताह से अधिक प्रशिक्षण हेतु यह जानकारी करनी पडेगी कि कितनी अविध के प्रशिक्षण की आवश्यकता है और तद्नुसार क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जायेगा, का निर्धारण सम्बन्धित लाईन डिपार्टमेन्ट द्वारा किया जायेगा और इस कार्य हेतु स्वरोजगारी को बैंक द्वारा साप्ॅट लोन (ऋण) दिया जायेगा।

रिवाल्विग फण्ड : स्वयं सहायता समूह जो कम से कम 6 माह से अस्तित्व में हो, तथा जिन्होंने आर्थिक रूप से लाभकारी होने की क्षमता प्रदर्शित की हो, को कैश क्रेडिट के रूप में रु0 25000.00 रिवाल्विग फण्ड के रूप में दिया जायेगा। बैंक द्वारा केवल उस धनराशि का ब्याज लिया जायेगा, जो मु0–10,000.00 से अधिक होगी। इस योजना की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी तथा ब्लाक स्तर पर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो इस कार्यक्रम की मासिक समीक्षा करेगी।

अनुदान : अनुदान एक छोटा तथा सामर्थ्य प्रदान करने वाला घटक है। इसमें अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। सामान्य वर्ग के स्वरोजगारी को 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 10,000=00 (दस हजार) एवं स्वयं सहायता समूह हेतु 1.25 लाख रुपये का अनुदान देय है, किन्तु सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान की राशि की कोई भी सीमा नहीं होगी। अनुदान बैंक इन्डेड होगा। ऋण की वापसी 5 वर्षों में करनी होगी। विकासखण्ड/ग्राम पंचायत स्तर से 80 प्रतिशत ऋण की वसूली की जायेगी और जो विकास खण्ड/ग्राम पंचायत ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें अनुवर्ती वर्षों में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुछ भी आवंटित नहीं किया जायेगा। स्वरोजगारी द्वारा ऋण की तुरन्त वापसी करने पर उसे 0.50 प्रतिशत की अनुश्रवण एवं प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी जायेगी।

स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता : स्वयं सेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण सहभागिता रखी गयी है। चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं को उन्हें आवंटित विकास खण्ड में स्वयं सहायता समूह के गठन हेतु एक पूर्ण कालीन सुविधा दाता जिसकी शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट हो और उसे ग्राम विकास कार्य का एक वर्ष का अनुभव हो कि नियुक्ति का लिखित पत्र डी0आर0डी0ए0 को भेजना होता है। ऐसा सुविधा द्वाता 2500.00 रुपये प्रतिमाह नियत वेतन पर स्वयं सेवी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा और उसे क्षेत्रीय भ्रमण हेतु 500.00 रुपये की प्रतिपूर्ति वास्तविक भ्रमण एवं रात्रि विश्राम के आधार पर की जायेगी। सुविधा दाता द्वारा योजना के सफल संचालन एवं लेखों के रख–रखाव में मार्गदर्शन दिया जायेगा। एक सुविधा दाता द्वारा कम से कम 12 स्वयं सहायता समूहों का पर्यवेक्षण किया जायेगा और वह प्रत्येक सहायता समूह का माह में दो बार भ्रमण अवश्य करेगा। स्वयं सेवी संस्था को इसके लिए 300.00 रुपये प्रति समूह की दर से ओवर हेड भी दिया जायेगा, जो स्वयं सेवी संस्था द्वारा लेखन सामग्री, निर्धारित मासिक प्रगति विवरण प्रगति के प्रेषण तथा संस्था द्वारा इस कार्य हेतु यात्रा आदि

पर व्यय की जायेगी।

7.6 डॉ.अम्बेडकर ग्राम विकास योजना

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना वस्तुतः एक दर्शन है, जिसके अन्तर्गत ग्राम में समग्र विकास की विचारधारा निहित है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम में विकास सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों के साथ–साथ, 11 प्रमुख कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है, जिससे ग्राम के सर्वांगीण विकास के साथ–साथ ग्रामीण जन का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके।

अम्बेडकर ग्रामों हेतु चिन्हित 11 प्रमुख कार्यक्रम एवं उससे सम्बन्धित विभागों की स्थिति तालिकानुसार है –

क्रमांक	कार्यक्रम	विभाग
1	सम्पर्क मार्ग	लोक निर्माण विभाग
2	विद्युतीकरण	विद्युत विभाग
3	पेयजल	जल निगम
4	निःशुल्क बोरिंग	लघु सिंचाई
5	इन्दिरा आवास	ग्राम्य विकास
6	स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना	ग्राम्य विकास
7	नाली खडण्जा	पंचायत राज
8	स्वच्छ शौचालय	पंचायत राज
9	प्राइमरी स्कूल भवन	बेसिक शिक्षा विभाग
10	विधवा पेंशन	महिला कल्याण
11	वृद्धावस्था पेंशन	समाज कल्याण

इसके अन्तर्गत ग्राम के निर्धनतम व्यक्तियों के लिए स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत समूह गठित कराकर उन्हें स्वरोजगार हेतु रिवाल्विंग फण्ड, नकद ऋण सीमा एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आवासहीन फूस के छप्पर वाले निर्धन व्यक्तियों हेतु इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास एवं शौचालय हेतु क्रमशः 17000/– रुपये एवं 3000/– अनुदान की सुविधा, शौचालय विहीन व्यक्तियों को शौचालय निर्माण हेतु अनुदान तथा लघु सिंचाई के व्यक्तिगत साधन हेतु इच्छुक पात्र व्यक्तियों हेतु निःशुल्क बोरिंग एवं पम्पसेट पर अनुदान की सुविधा, पात्रता की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन व्यक्तियों को पेंशन सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। व्यक्तिगत हित की उक्त योजनाओं के साथ सुविधाविहीन समाज के निर्धनतम व्यक्तियों की इन बस्तियों के चहुमुखी विकास हेतु अनुसूचित जाति की, सर्वाधिक जनसंख्या की बस्ती को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ना, प्रकाश विहीन व्यक्तियों को प्रकाश की सुविधा हेतु इन ग्रामों का प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण, निर्धन परिवार के बच्चों की शिक्षा हेतु प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण, स्वच्छपेयजल सुविधा हेतु इण्डिया मार्का 11 हैण्डपम्पों का मानक के आधार पर अधिष्ठापन, ग्राम की बस्तियों में खण्डजा एवं नाली निर्माण, सामुदायिक विकास की योजनाएं संचालित की जानी है। शासन की नीति के अनुसार आगामी वर्षों में क्रमशः जनपदों के समस्त ग्रामों को इसके अन्तर्गत चयनित कर ग्रामवासियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। चयनित ग्रामों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक हित के कार्यों के निष्पादन में जहाँ कार्य करने में आसानी होगी वही साथ–साथ इनका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण भी सुगम हो सकेगा।

7.7सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास निधि /विधायक निधि समग्र ग्राम विकास योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक सासंद को 2–00 करोड़ रुपये तक की धनराशि उनके संसदीय क्षेत्र में कराये जाने वाले विकास कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। योजना का मूल उद्देश्य है कि अन्य विकास योजना के अन्तर्गत जो कार्य किये जाने में कठिनाई हो, उन्हें माननीय सांसद के प्रस्ताव पर उनके संसदीय क्षेत्र में सम्पादित कराये जा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी, धार्मिक स्थलों के निर्माण कार्य आदि को छोड़कर सामान्यता सामुदायिक लाभ के किसी कार्य को लिया जा सकता है जैसे – पाठशाला भवनों का निर्माण, पंचायत भवन एवं चिकित्सालय भवनों का निर्माण कार्य, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक गोबर गैस प्लान्ट, सिंचाई नाली निर्माण कार्य इत्यादि। इसी तरह प्रत्येक विधायक को रु0 75.00 लाख इसी प्रकार के कार्य कराये जाने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं।

7.8 राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अपारम्परिक ऊर्जा की व्यवस्था कराना, बेहतर गोबर की

खाद प्राप्त करना, गृहणियों के स्वास्थ्य में सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति दिलाना है। यह कार्य खण्ड विकास अधिकारी के अधीन 'टर्नकी' कार्यकर्ता एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के सहयोग से क्रियान्वित किया जाता है। यदि किसी परिवार के पास 4 या 5 पशु (25 कि0ग्र0 गोबर रोजाना) रहे तो यह संयंत्र लगवाया जा सकता है। बायोगैस संयन्त्र लगवाने पर भारत सरकार द्वारा छूट की भी व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन कृषक, लघु/सीमान्त कृषकों के लिए रु0 2300.00 प्रति संयंत्र तथा अन्य समस्त लाभार्थी को रु0 1800.00 प्रति संयंत्र अनुदान अनुमन्य है। बायोगैस संयंत्रों को स्वच्छ शौचालय से सम्बद्ध करने पर रु0 500.00 प्रति संयंत्र अतिरिक्त सहायता दी जाती है। टर्नकी कार्यकर्ता को 'टर्नकी' जॉब फीस के रूप में रु0 500.00 प्रति संयंत्र अलग से दिये जाने की व्यवस्था है।

7.9 राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम

योजना प्रारम्भ : 1983–84

योजना का उद्देश्य :

- वन सम्पदा एवं जलाऊ लकड़ी की बचत।
- धुएं से बचाव।
- वायु प्रदूषण की रोकथाम।
- महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार।
- खाना पकाने के समय में कटौती।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईंधन, पर्यावरण में सुधार तथा ग्रामीण परिवारों को धुएँ से होने वाले रोगों से सुरक्षा करना है। ग्रामीणों को ये चूल्हे विकास खण्डों के माध्यम से कम कीमत पर उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002–2003 में यह योजना भारत सरकार के स्तर से समाप्त कर राज्य सेक्टर के अधीन कर दी गयी है। शासन द्वारा इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए भारत सरकार के स्तर पर शत–प्रतिशत पूर्ति की गारण्टी दी गयी है। जिसके लिए आम जनता के सहयोग से सकरात्मक प्रयास किया जा रहा है।

1. स्थायी उन्नत चूल्हा : इस चूल्हे की इकाई लागत 60/– रुपये निर्धारित है, जो लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु मात्राकृत धनराशि से धूम्ररहित चूल्हा निर्माण हेतु इच्छुक लाभार्थीगण को आर्थिक सहायता दी जाती है।

2. उठाऊ चूल्हा : इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को निम्न मूल्यों पर चूल्हों का वितरण कराया जाता है –

1. सी0 पी0 आर0 आई0 टाइप–1 मीडियम रु0 158.00,
2. सी0 पी0 आर0 आई0 टाइप–1 लार्ज रु0 218.00,
3. हर्षा टाइप–4 मीडियम रु0 159.00
4. शम्भू सिरेमिक लाइन्स रु0 120.00
5. एग्रो रु0 88.00

3. सोलर पावर पैक : सोलर पावर पैक की स्थापना हेतु ऐसे ग्रामों का चयन किया जाता है जिसमें विभाग द्वारा बिजली की व्यवस्था न करायी गयी हो, एवं न ही चार–पांच वर्षों तक विद्युत की व्यवस्था की जानी सम्भव हो, उस गाँव में प्रत्येक परिवार को एक सोलर घरेलू बत्ती विभाग द्वारा निर्धारित सिक्यूरिटी मनी जमा कराकर उपलब्ध करायी जाती है। उक्त सिक्यूरिटी मनी का उपयोग पावर पैक से संबंधित लाभार्थी को बैटरी बदलवाने के उपयोग में पांच साल के उपरान्त किया जाता है। सोलर पावर पैक की स्थापना हेतु प्रत्येक लाभार्थी से लगभग रु0 1500/– लिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त संयंत्र के रख–रखाव शुल्क रु0 20/– प्रतिमाह अलग से देय होता है।

4. सोलर पम्प : एक हार्स पावर सोलर पम्प 65000 ली0 पानी प्रतिदिन पम्प करता है, जिसकी कुल लागत रु0 8,40,000/– आती है, जिसे लाभार्थी को मात्र रु0 70,140/– ही जमा करने पर उपलब्ध कराया जाता है। इसकी स्थापना हेतु लाभार्थी की स्वयं की बोरिंग होनी चाहिए एवं लाभार्थी का संयंत्र के परिवहन तथा स्थापना का व्यय देना होता है। वर्तमान में सोलर पम्प की स्थापना बुन्देलखण्ड विकास निधि के तहत भी करायी जा सकती है। कुल कीमत समस्त कार्य तथा पम्प का योग 5.16 लाख है, इससे पूरे ग्रामसभा की पेयजल समस्या दूर हो सकती है।

5. सामुदायिक शौचालय एवं बायोगैस संयंत्र : इस योजना के अन्तर्गत जहाँ कम से कम 100 परिवार (500 आबादी) हो वहीं पर दस शीट शौचालय एवं 15 घन मी0 क्षमता का मानव मल मूल आधारित बायोगैस संयंत्र के

साथ–साथ दो स्नानगृह, दो पेशाब घर तथा एक चौकीदार का कमरा बनाया गया है। बायोगैस से बनने वाली गैस को भोजन पकाने तथा प्रकाश व्यवस्था के रूप में किया जाता है। ग्राम पंचायत को (15X15 मी0) निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना होता है तथा प्रति परिवार रु0 50/– अग्रिम जमा करना होता है इसके साथ ही रु0 20/– प्रतिमाह देय होता है। जिससे शौचालय के सफाई हेतु सफाई कर्मी रखा जाता है एवं मरम्मत का कार्य कराया जाता है।

सम्पर्क सूत्र :

1. राज्य स्तर पर – आयुक्त ग्राम्य विकास
2. जनपद स्तर पर – जिला विकास अधिकारी
3. विकास खण्ड स्तर पर – खण्ड विकास अधिकारी

7.10 ग्रामीण पेयजल योजना

योजना प्रारम्भ : 1981–82

योजना का उद्देश्य :

- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना।

यह योजना उ0प्र0 में निम्नलिखित कार्यक्रमों के रूप में चलाई जा रही है –

1. अनुसूचित जाति/जनजाति पेयजल योजना : प्रदेश सरकार द्वारा आदेशित जनसहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत– 10 प्रतिशत अंश लाभार्थियों से प्राप्त धनराशि तथा उ0प्र0 शासन से 90 प्रतिशत अनुदान के अन्तर्गत प्रदेश की अनुसूचित जातियों/जनजातियों में मानक के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इण्डिया मार्क – 11 हैण्डपम्पों की स्थापना के लिए जिला विकास कार्यालय के माध्यम से कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

2. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम : प्रदेश सरकार द्वारा आदेशित जनसहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 प्रतिशत अंश लाभार्थियों से प्राप्त धनराशि तथा उ0प्र0 शासन से 90 प्रतिशत अनुदान के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को जिला योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी ग्रामीण बस्तियों में मानक के अनुसार सन्तृप्तीकरण के स्तर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापन तथा पुरानी क्षतिग्रस्त पाइप लाइन जलापूर्ति योजनाओं का पुनर्जीवीकरण किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 21 प्रतिशत धनराशि अनु0 जाति/जनजाति के लिए मात्राकृत की जाती है।

3. त्वरित ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम : भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान एवं जनसहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत – 10 प्रतिशत अंश लाभार्थियों से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत मानक के अनुसार बस्तियों में हैण्डपम्प अथवा पाइप लाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल से संतृप्त किया जाता है।

हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु स्थल चयन : स्थल चयन का अधिकार ग्राम पंचायत के जल प्रबन्धन समिति को दिया गया है। ग्राम पंचायतें खुली बैठक में अथवा ग्राम सभा की बैठक में स्थल चयन करेगी।

स्थल चयन में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि –

1. स्थल सार्वजनिक हो तथा इससे किसी का आवागमन बाधित न होता हो।
2. किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के लिए प्रतिबंधित न हो।
3. जल निकासी हेतु व्यवस्था हो तथा आस–पास के भू–तल से नीचे तल का न हो।
4. इण्डिया मार्क – 11 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का चयनित स्थल बिजली की लाइन से कम से कम 10 मी0 की दूरी पर होना चाहिए।
5. होल का स्थान किसी घर/झोपड़ी से कम से कम 15 मी0 की दूरी पर होना चाहिए।
6. दूसरे हैण्डपम्प या नलकूप से पर्याप्त दूरी पर हो।
7. स्थल का चयन सेप्टिक टैंक, सोकपिट प्राकृतिक गड्ढे तथा शौचालय से गड्ढे से कम से कम 15 मी0 की दूरी पर होना चाहिए। दो हैण्डपम्पों के बीच कम से कम 30 मी0 की दूरी होनी चाहिए।

कार्यदायी संस्था : प्रदेश में ग्रामीण पेयजल योजना के लिए उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था घोषित किया गया है।

रख–रखाव : हैण्डपम्पों के सामान्य रख–रखाव का दायित्व अब ग्राम पंचायतों का है। रख–रखाव पर आने वाला खर्च ग्राम पंचायतों को जवाहर ग्राम समृद्धि योजनान्तर्गत मिलने वाली धनराशि के 15 प्रतिशत अनुरक्षण मद से वहन

किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्र :

1. राज्य स्तर पर – (क) आयुक्त, ग्राम्य विकास
   (ख) प्रबन्ध निदेशक, जल निगम
2. जनपद स्तर पर – (क) जिला विकास अधिकारी
   (ख) अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम
3. विकास खण्ड स्तर पर – (क) खण्ड विकास अधिकारी
   (ख) अपर अभियन्ता, जल निगम

7.11 ऋण सह अनुदान आवास कार्यक्रम

यह योजना ऐसे सभी ग्रामीण परिवार, जिनकी वार्षिक आय रु0 32000/– से ज्यादा नहीं है के लिए लागू की गई है। योजनान्तर्गत अनुदान की 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

लक्ष्य समूह : योजनान्तर्गत लक्षित समूह अनु0जा0/जनजातियों के व्यक्ति, मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रु0 32,000/– मात्र से अधिक न हो के आवास विहीन परिवार पात्र होंगे। परन्तु गैर अनुसूचित जाति0/जनजातियों के आवास विहीन लाभार्थियों की संख्या कुल लाभार्थियों की संख्या से 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् कम से कम 60 प्रतिशत धनराशि अनु0 जाति/जनजाति एवं मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के आवास निर्माण के लिए होगी।

लक्षित क्षेत्र : योजना को उन ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किये जाने का निर्णय लिय गया है जो महानगरों और बड़े कस्बों से 20 किमी0 की दूरी पर हो और छोटो तथा मध्यम कस्बों से 5 किमी0 की दूरी पर हों।

पात्रता : योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रु0 32,000/– से अधिक न हो तथा परिवार के किसी सदस्य को किसी अन्य आवासीय योजनान्तर्गत लाभान्वित न किया गया हो, इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे। योजना के लिए किसी भी परिवार के एक वयस्क सदस्य से अधिक का चयन नहीं किया जाएगा। मृत सैनिकों/भूतूपर्व सेवा निवृत्त सैनिकों को बिना आय सीमा की भी बाधा के आवास आवंटित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। लाभार्थियों का चयन गाँव सभा की खुली बैठक में किया जायेगा।

लागत मूल्य : योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु प्रति आवास कुल रु0 40,000/– लागत निर्धारित किया गया है जिसमें रु0 30,000/– ऋण एवं रु0 10,000/– अनुदान दिया जायेगा।

7.12 समग्र ग्राम्य विकास योजना (उ0प्र0)

प्रारम्भ :

प्रदेश के ग्रामीण अंचल के ग्रामों का सर्वांगीण विकास करने के दृष्टिकोण से प्रदेश सरकार द्वारा समग्र ग्राम्य विकास योजना का शुभारम्भ दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 को किया गया है।

उद्देश्य :

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के गाँवों का सर्वांगीण एवं बहुआयामी विकास सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम :

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश शासन द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए 16 प्रमुख कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रम यथा–स्वच्छ पेयजल, इन्दिरा आवास, स्वच्छ शौचालय निर्माण, परिवार कल्याण, टीकाकरण अवस्थापना के कार्यक्रम यथा–सम्पर्क मार्ग निर्माण, ग्रामों का विद्युतीकरण, नाली/खड़ंजा का निर्माण, प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण, उच्च प्राथमिक पाठशाला की स्थापना/भवन निर्माण, लाभार्थीपरक रोजगारपरक के कार्यक्रम यथा स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, निःशुल्क बोरिंग, कृषि भूमि, सीलिंग से अतिरिक्त भूमि आवास स्थल, मछली पालन स्थल तथा कुम्हारी कला हेतु स्थल का आवंटन तथा पट्टे पर दी गई भूमि के कब्जे का सत्यापन के साथ–साथ वृद्धों, विधवाओं एवं विकलांगों के हितार्थ कल्याणकारी कार्यक्रम यथा–वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन तथा उपकरण सहायता योजना संचालित किये गये हैं ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक माननीय सदस्य विधानसभा एवं माननीय सदस्य विधान परिषद की संस्तुति पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में 10 ग्राम चयनित किये जायेंगे जिन्हें उक्त 16 कार्यक्रमों से संतृप्त किया जायेगा।

अध्याय – 8

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रम

8.1 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम :

विकास एवं जनसंख्या का सीधा सम्बन्ध है। विकास की गति और जनसंख्या में संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार परिसीमन की विधियों यथा निरोध, कापर–टी, खाने वाली गोली तथा नसबन्दी के द्वारा जन्म दर में कमी लाने के साथ–साथ माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण सम्बन्धी सेवायें जैसे गर्भावस्था में समुचित देखभाल, गर्भवती माताओं को टिटनेस से बचाव के दो टीके, सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था तथा प्रसव के बाद देखभाल, बच्चों को छः जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु टीकारण, दस्त, निमोनिया, विटामिन 'ए' की कमी व खून की कमी आदि का उपचार प्रदान करना है ताकि लोग माताओं के बेहतर स्वास्थ्य व बच्चों की दीर्घायु के प्रति आश्वस्त होकर ''छोटे परिवार'' की अवधारणा को स्वतः स्वीकार कर सकें। इसके निमित्त ग्राम–पंचायत एवं विकास अधिकारी के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे :

1. पात्र दम्पत्तियों का रजिस्टर बनाने तथा सर्वेक्षण कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को सहयोग प्रदान करनां
2. दम्पत्तियों को छोटे परिवार के लाभ बताना।
3. दो बच्चों के जन्म के बीच अन्तर रखने और परिवार के आकार को सीमित रखने के विषय में उपयुक्त गर्भ निरोधक अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
4. गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों के विषय में व्याप्त भ्रान्तियों को दूर करना।
5. निरोध प्रयोगकर्ताओं को निरोध वितरण।
6. नसबन्दी हेतु इच्छुक दम्पत्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अथवा अन्य सेवा केन्द्रों में भेजना।
7. कापर–टी एवं खाने वाली गोली के प्रयोग की इच्छुक महिलाओं को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को संदर्भित करना।
9. सन्तुष्ट लाभार्थियों को परिवार नियोजन कार्य हेतु उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करना।
10. आवश्यक रिकार्ड रखना और अपेक्षित रिपोर्ट्स भेजना।

गर्भ निरोधक विधियाँ : परिवार को सीमित रखने हेतु निम्नलिखित विधियाँ उपलब्ध हैं :

अस्थायी या समान्तर विधियाँ – जब तक दम्पत्ति बच्चा न चाहें, उस समय तक इन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है जैसे – निरोध, खाने वाली गोली (ओरल पिल्स) तथा कापर–टी।

स्थायी विधियाँ – इसके अन्तर्गत पुरुष तथा महिला नसबन्दी सम्मिलित हैं। आजकल पुरुष नसबन्दी ''बिना चीरा टाँका'' के नई विधि व महिला नसबन्दी दूरबीन द्वारा की जाती है जो विश्वसनीय सरल एवं सुविधाजनक हैं।

अस्थायी गर्भ निरोधक विधियाँ :

(क) निरोध (कण्डोम) – निरोध या कन्डोम पतले रबड़ की टोपी सी होती है जिसे पुरुष द्वारा सम्भोग से ठीक पहले शिश्न पर चढ़ाया जाता है। इससे योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश नहीं होने पाता। इसका इस्तेमाल निम्नलिखित विधि से किया जाता है –

- रैपर को किनारे से फाड़ें और निरोध को बाहर निकाल लें।
- अंगूठे और पहली उंगली से निरोध के टिप को दबाकर उसकी हवा बाहर निकाल दें।
- तने हुए पूरे शिश्न (लिंग) पर सावधानी से निरोध को पूरी तरह चढ़ा लें।
- सम्भोग के बाद शिश्न पर लिपटे निरोध को इस प्रकार सावधानी से पकड़कर निकालना चाहिए कि उसमें एकत्र हुआ वीर्य योनि में गिरने न पाये।
- हर बार नया निरोध इस्तेमाल करें।
- इस्तेमाल के बाद निरोध को एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूड़े–करकट के साथ फेंक दें। प्रयोग के बाद किसी उपयुक्त स्थान पर उसे जला देना सबसे अच्छा रहता है।

(ख) खाई जाने वाली गोलिया (ओरल पिल्स) – गर्भ धारण को रोकने के लिए महिलाओं को ये गोलियाँ हर रोज खानी होती हैं। प्रत्येक पैकेट में 28 गोलियाँ होती हैं जिनमें 21 गोलिया गर्भ निरोधक होती हैं और 7 में आयरन होता है।

इन गोलियों में जो हारमोन होते हैं, वह डिम्बग्रन्थियों से अण्डे को बाहर नहीं निकलने देते। गर्भ निरोधक गोलियाँ खाने के सम्बन्ध में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्री से सलाह लें।

(ग) कापर – टी – कापर–टी पोलीथीलीन और ताम्बे की बनी हुई गर्भ निरोधक विधि है। जब तक यह गर्भाशय में रहती है तब तक गर्भ नहीं ठहरने पाता। महिलाओं में डाक्टर या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा इसे लगाया जाता है।

स्थायी विधि :

(क) पुरुष नसबन्दी – पुरुष नसबन्दी आपरेशन में दोनों नलियों को जिनसे शुक्राणु आते हैं, काटकर बांध दिया जाता है। नसबन्दी हो जाने पर शुक्राणु योनि में प्रवेश नहीं कर सकते। यह आपरेशन बहुत सरल होता है जिसमें केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं। आपरेशन के थोड़े समय के बाद ही पुरुष को घर भेज दिया जाता है। आपरेशन के एक सप्ताह तक कोई भारी काम न करें अथवा साईकिल न चलायें। आपरेशन वाली जगह को साफ व सूखा रखें। नहाते समय उस जगह को पानी से गीला न होने दें। आपरेशन के पांचवे या सातवें दिन टांके काटे जाते हैं। टांके काटने के बाद किसी भी समय पुरुष सम्भोग कर सकता है। बशर्ते कि आरेशन वाली जगह कोई तकलीफ न महसूस होती हो। आपरेशन के बाद तीन महीने तक सम्भोग के समय निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बिना चीरा–टांका के नसबन्दी की नई विधि की सुविधा भी उपलब्ध है। यह विधि अत्यन्त सरल है। इसमें कोई चीरा या टांका नहीं लगाया जाता है। यदि नसबन्दी कराने के बाद किन्ही कारणों से बच्चों की मृत्यु हो जाये तो नस को पुनः जोड़ा जा सकता है और सन्तानोत्पत्ति हो सकती है।

(ख) महिला नसबन्दी – यह आपरेशन महिलाएं किसी भी समय करवा सकती हैं। यदि वह गर्भवती नहीं है परन्तु यदि इसे मासिक धर्म की अवधि के बाद करवायें तो अच्छा है। यह आपरेशन प्रसव या गर्भपात के तुरन्त बाद भी कराया जा सकता है। आपरेशन के 4 से 6 घण्टे बाद महिला घर जा सकती है।

चिकित्सकीय गर्भ समापन (एम0टी0पी0) :

गर्भ के चिकित्सकीय समापन अधिनियम के अन्तर्गत पांच दशायें बताई गयी हैं जिनमें गर्भ को समाप्त किया जा सकता है।

1. स्वास्थ्य सम्बन्धी – जहाँ गर्भ के बने रहने से माँ की जान को खतरा हो या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुँच सकती हो।

2. प्रजनन सम्बन्धी कारण – जहाँ पैदा होने वाले बच्चे में शारीरिक या मानसिक खराबियों के कारण खतरनाक गड़बड़ी होने की आशंका हो।

3. मानवीय कारण – जहां बलात्कार के कारण गर्भ ठहर गया हो।

4. सामाजिक और आर्थिक कारण – जहाँ मौजूदा या भावी परिस्थितियाँ (चाहे वे सामाजिक हों या आर्थिक) काफी हद तक ऐसा लगता हो कि उसके रहते माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को जोखिम हो सकता है।

5. गर्भ निरोधक तरीकों की विफलता – जहाँ किसी गर्भ–निरोधक उपकरण या तरीके के विफल हो जाने के कारण पैदा होने वाले अनचाहे बच्चे की चिन्ता से माँ के मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचने का डर हो।

चिकित्सकीय गर्भ समापन किसी भी सरकारी अस्पताल में अथवा ऐसी संस्थाओं में करवाया जा सकता है जिनमें सुरक्षित और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में गर्भपात कराने के लिए आवश्यक उपकरण और सुविधा उपलब्ध हो तथा यह स्थान इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्य होना चाहिए।

8.2 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य :

उत्तर प्रदेश की आबादी भारत में सबसे अधिक है। दुनिया की आबादी का छठा भाग उत्तर प्रदेश में रहता है। अगर जनसंख्या की बढ़ोत्तरी इसी तरह से होती रही तो उत्तर प्रदेश की आबादी 2011 में 17 करोड़ से बढ़कर 21.6 करोड़ हो जायेगी। उपरोक्त परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए प्रधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधान की भूमिका सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्थानीय लोगों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाओं के मध्य कड़ी के रूप में हैं। अतः प्रधान अपने स्तर से समस्त ग्रामवासियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा लेने के लिए प्रेरित करें और उनको उनके अधिकार का अहसास करायें। साथ ही लोगों में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करायें। इसके लिए सरकार द्वारा उपलब्ध स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रधानों को प्राप्त करनी होगी और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए बेहतर सेवाएं आसानी से ग्रामवासियों तक पहुँचाने का उत्तरदायित्व निभाना होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले ही एक

जनसंख्या नीति की घोषणा की है जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- वर्ष 2016 तक महिलाओं के विवाह की आयु 16.4 वर्ष से 19.5 वर्ष तक बढ़ाना।
- वर्ष 1997 की कुल प्रजनन दर 4.3 को वर्ष 2016 तक 2.1 तक कम करना। (एक दंपति के बच्चों की संख्या)
- वर्ष 1997 की मातृ मृत्यु दर 707 को वर्ष 2016 तक 250 तक कम करना। (बच्चों को जन्म देने के दौरान एक लाख स्त्रियों पर माताओं के मरने की संख्या)
- वर्ष 1997 की शिशु मृत्यु दर 85 को वर्ष 2016 तक 61 तक कम करना (हजार जन्में बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या)
- यौन संचारित संक्रमण को कम करना और एड्स जागरूकता में सुधार लाना।

सुरक्षित मातृत्व :

- सुरक्षित मातृत्व का अर्थ है कि स्त्री गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के समय और प्रसव के बाद गंभीर समस्याओं से बची रहे तथा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे अर्थात बच्चे के जन्म से जुड़े खतरों से सुरक्षित रहे और कष्ट रहित तथा सुरक्षित प्रसव हो।
- गर्भवती स्त्रियों को बनाने के लिये गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद उचित देखभाल मिलनी चाहिए।

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का उद्देश्य :

- गर्भावस्था, प्रसव व प्रसव के बाद सभी स्त्रियों व शिशुओं को जरूरी देखभाल मिले।
- गर्भावस्था के दौरान कोई भी समस्या हो तो उसकी जल्द से जल्द जाँच एवं उपचार करवाया जाए।
- सभी खतरों को गर्भावस्था, प्रसव के समय व प्रसव के बाद सही ढंग और समय से संभाला जाय।
- यह परिवार नियोजन पर भी बल देता है जिससे अनचाहे गर्भ को रोका जा सके।

सुरक्षित मातृत्व का महत्व :

- गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित ज्यादातर मृत्यु रोकी जा सकती है अगर लोगों को समय से यह जानकारी मिल जाए कि इलाज की सुविधाएं कहाँ और कैसे उपलब्ध हैं जिससे कि जच्चा–बच्चा की मृत्यु को रोका जा सके।
- गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जो जोखिमपूर्ण परिस्थितियाँ होती हैं उनकी समय से पहचान और इलाज करवा लिया जाए। इससे माता एवं शिशु मृत्यु दर में कमी होगी।
- जच्चा–बच्चा दोनों की देखभाल होगी और समस्याओं को शीघ्र पहचान लिया जायेगा।
- स्त्री के जीवन में गर्भावस्था विशेष महत्व रखती है और इसकी खास जरूरतें होती हैं। इन जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए जिससे प्रसव सफल हो।

मातृ मृत्यु के मुख्य कारण :

- कम उम्र में गर्भधारण (20 वर्ष से पहले माँ बनाना)
- गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद बहुत मात्रा में खून बहना।
- खून की कमी
- रक्तचाप बढ़ जाना, पैरों में सूजन आना और दौरे पड़ना।
- प्रसव में कठिनाई
- असुरक्षित गर्भपात

इन सभी परिस्थितियों में स्त्री को किसी प्रशिक्षित व्यक्ति तक पहुँचाना प्रधान की जिम्मेदारी होगी। जैसे कि गाँव में प्रशिक्षित दाई, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं डाक्टर ।

प्रसव पूर्व देखभाल :

प्रधान अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करे कि उनके क्षेत्र में प्रत्येक गर्भवती स्त्रियों को निम्नलिखित का ज्ञान हो–

- पौष्टिक भोजन
- तनाव रहित एवं पर्याप्त आराम और नींद
- भारी वजन न उठाना
- व्यक्तिगत सफाई
- आरामदायक कपड़े और चप्पल
- पति व घर के अन्य सदस्यों का पूरा सहयोग
- प्रसव–पूर्व जांच के लिए स्वास्थ्य केन्द्र में नियमित रूप से जाना, आयरन फोलिक एसिड गोलियां (कम से कम 100 गोलियां) और टिटनेस के दो टीके एक माह के अंतर में लगवाना। ये टीके ए0एन0एम0 या प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा लगाये जाते हैं।
- हर गर्भवती महिला का उपयुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता

अथवा ए0एन0एम0 से पंजीकरण अवश्य करायें। पंजीकरण से गर्भवती महिलाओं को प्रसव–पूर्व देखभाल मिलेगी।

- प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए कम से कम तीन माह प्रसव पूर्व जाँच करवाना आवश्यक है। जिससे माँ ओर शिशु के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता रहे।
- जोखिमपूर्ण प्रसव होने पर समय से इलाज उपलब्ध हो सके।

गर्भ व प्रसव के दौरान जटिलताएं आ सकती हैं यदि :–

- पहली गर्भावस्था हो
- गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन कम बढ़ना (6 किलोग्राम से कम)
- चौथी या उसके बाद की गर्भावस्था
- जब गर्भ में जुड़वा बच्चे हों
- पहले गर्भपात हो चुका हो या मृत बच्चे को जन्म दिया हो।
- ऊचांई 5 फिट से कम होना
- खून की कमी होना तथा पूर्व का प्रसव आपरेशन से होना।
- इससे पहले नवजात शिशु की मृत्यु हो चुकी हो (प्रसव के 28 दिन के अन्दर)
- 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक आयु के बाद गर्भवती होना
- तपेदिक, निमोनिया, हृदय रोग या मधुमेह से पीड़ित
- पहले की गर्भवस्था या वर्तमान गर्भावस्था में विषरक्तता रही हो (पैरों, एड़ी, उंगलियों और चेहरे पर सूजन तथा उच्च रक्तचाप के लक्षण हों)
- शादी के लम्बे समय के बाद गर्भवती हुई हो।

उपरोक्त स्थितियों में गर्भवती महिलाओं को प्रशिक्षित स्वास्थ्य चिकित्सक के पास भेजें और सुनिश्चित करें कि यदि प्रशिक्षित दाई द्वारा प्रसव कराया जाता है तो दुर्घटना से बचने के लिए गंभीर परिस्थितियों में वाहन की व्यवस्था पहले से कर लें जिससे कि आकस्मिक दुर्घटना से माँ और बच्चे को बचाया जा सके।

घर पर सुरक्षित प्रसव :–

- प्रसव के समय से पूर्व ही यह निर्णय ले लेना चाहिए कि प्रसव कौन करवायेगा। अगर संभव हो तो अस्पताल में प्रसव करवायें। अगर नहीं हो तो अच्छा होगा कि पहले से एक प्रशिक्षित दाई की व्यवस्था कर ली जाए।
- परिवार को यह निर्णय पहले से कर लेना चाहिए कि प्रसव किस स्थान पर होगा। वह स्थान एक ऐसा कमरा होना चाहिए जो साफ, हवादार और जिसमें प्रर्याप्त रोशनी हो।

परिवार को घर में प्रसव किट गर्भावस्था के आठवें महीने से तैयार रखनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित चीजें हों :–

- साबुन की एक टिकिया दाई के हाथ धोने के लिए।
- एक नया, बिना इस्तेमाल किया हुआ ब्लेड नाल काटने के लिए
- एक साफ धागा नाल को बांधने के लिए यह सूती कपड़े के धागे से तैयार किया जा सकता है। पहले इसे बीस मिनट तक पानी में उबाले फिर धूप में सुखा लें और धूल–मिट्टी से दूर रखें।
- नाल पर कुछ न लगायें।
- एक साफ चादर (यह किट स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास भी उपलब्ध है।)
- परिवार को निकटतम अस्पताल की जानकारी होनी चाहिए और वहाँ तक जाने के लिए एक वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रसव के पश्चात देखभाल :–

प्रधानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी क्षेत्र की स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्न बातों का प्रचार कर रही है या नहीं, जिससे प्रसव पश्चात माताओं का स्वास्थ्य ठीक रहें–

- प्रसव के बाद छः सप्ताह तक प्रत्येक माँ को भरपूर आराम और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।
- छः सप्ताह के अंदर स्वास्थ्य जांच करा लेनी चाहिए। अगर हो सके तो प्रसव के सात से दस दिन के अंदर जांच के लिए स्वास्थ्य केन्द्र ले जाएं या एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के घर जाकर सेवा लें।
- इस अवधि में उसे संक्रमणों का खतरा रहता है और उससे बचाव की जरूरत होती है।
- प्रसव के पश्चात जच्चा–बच्चा को एक हवादार कमरे में रहना चाहिए जिसमें पर्याप्त धूप आती हो और साफ–सुथरा बिस्तर हो।
- माँ को रोज नहाना चाहिए।
- धात्री को भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार देना चाहिए।

क्योंकि यह अवधि मानसिक रूप से स्त्री के लिए कठिन होती है। इसलिए उसे परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलना आवश्यक है।

मातृत्व लाभ योजना :–

योजना क्या है : गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को दो गर्भ धारण करने तक रुपया 500/– की धनराशि स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला हो।
2. महिला की आयु 19 वर्ष से अधिक हो
3. केवल प्रथम दो जीवित जन्म तक

ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के दायित्व :

1. योजना का प्रचार–प्रसार क्षेत्र में करें।
2. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला को गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण–पत्र खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से प्राप्त कराने में सहायता करें।
3. महिला लाभार्थी को धनराशि प्राप्त कराने हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री से परीक्षण करवाने व दो गर्भ तक प्रमाण–पत्र दिलाने में सहायता करें।
4. पात्र महिला के नाम का प्रस्ताव प्रधान से करावें।
5. पात्र महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचा कर धनराशि प्राप्त करावें।

नवजात शिशु की देखभाल एवं बाल स्वास्थ्य :

जन्म के उपरान्त 12 महीने की आयु तक के बहुत से शिशु हर वर्ष मर जाते हैं। भारत में शिशु मृत्यु दर 85 है यानि प्रत्येक हजार जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं में से 85 जीवन के पहले वर्ष में ही मर जाते हैं।

शिशुओं की मृत्यु के कारण :–

- जन्म के समय कम वजन होना।
- दस्तों से निर्जलीकरण (पानी की कमी होना)
- फेफड़ो में संक्रामण जैसे निमोनिया आदि होना।
- टिटनेस
- खसरा
- कुपोषण

खतरनाक स्थितियों में नवजात शिशुओं की निम्नलिखित देखभाल सुनिश्चित करें :–

- जन्म के समय वजन 2.5 किलोग्राम से कम हो।
- जिस बच्चे का वजन लगातार तीन माह तक न बढ़ा हो।
- जुड़वा कमजोर बच्चे।
- बार–बार दस्त, कुकूर खाँसी और खसरा जैसी बीमारियाँ होना।
- अगर स्तनपान करने में कठिनाई हो।
- माता की मृत्यु हो गई हो अथवा दो से अधिक भाई बहन की मृत्यु हो चुकी हो।
- लम्बे समय बाद जन्म लेने वाला इकलौता बच्चा।
- शारीरिक व मानसिक अपंगता हो तो।

स्तनपान :–

- प्रत्येक शिशु के लिए माँ का दूध उत्तम होता है।
- प्रसव के एक घंटा के अन्दर शिशु को स्तनपान करावें।
- माँ का पहला दूध बेकार नहीं होता है इसे शिशु को पिलाना चाहिए क्योंकि उसके लिए बहुत लाभदायक होता है। इसे कोलोस्ट्राम (खीस) कहते हैं। यह नवजात शिशु को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है।
- शिशु के जन्म के 1 घंटा बाद से छः माह तक केवल स्तनपान करावें। कोई अन्य तरल (पानी आदि) न दें।
- जन्म के सातवें माह से शिशु को केवल माँ का दूध कम पड़ने लगता है। इसलिए शिशु को माँ के दूध के अलावा कुछ अर्थ ठोस आहार देना प्रारम्भ कर देना चाहिए।

8.3 टीकाकरण कार्यक्रम :

भारत में प्रतिरक्षण (टीकाकरण) कार्यक्रम के अन्तर्गत छः जानलेवा बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा की जाती है। ये बीमारियाँ हैं – (1) तपेदिक/क्षय रोग/टी0बी0, (2) गलाघोंटू डिप्थीरिया, (3) काली खांसी (4) टिटनेस (5) पोलियो (6) खसरा

रोगों से प्रतिरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों से अपेक्षाएं :–

- सभी बच्चों को एक वर्ष की आयु के पहले बी0सी0जी0

के टीके लगवाने की सलाह देना।

- छः सप्ताह से एक वर्ष की आयु के सभी शिशुओं को डी0पी0टी वैक्सीन के तीन टीके लगवाना तथा पोलियों वैक्सीन की तीन खुराक पिलवाना।
- 9 से 12 महीने की आयु वाले शिशुओं को खसरा वैक्सीन का एक टीका लगवाना तथा विटामिन 'ए' के घोल की पहली खुराक पिलवाना।
- सभी गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टौक्साइड के दो टीके लगवाना।
- स्कूली बच्चों को डी0टी0, टी0टी0 के टीके लगवाने की सलाह देना।
- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सहयोग से प्रतिरक्षण कार्यक्रम की योजना इस प्रकार बनाना कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूटने न पाये।

प्रतिरक्षण सारणी :–

लाभार्थी	आयु	वैक्सीन	खुराक
गर्भवती महिलाएं	गर्भ का पता चलते ही	टी0टी0	प्रथम टीका
	एक माह के बाद	टी0टी0	दूसरा टीका
शिशु (0–1वर्ष)	जन्म से एक माह	बी0सी0जी0	एक
	डेढ़ माह	डी0पी0टी0	प्रथम
	डेढ़ माह	पोलियो	प्रथम
	ढाई माह	डी0पी0टी0	द्वितीय
	ढाई माह	पोलियो	द्वितीय
	साढे तीन माह	डी0पी0टी0	तृतीय
	साढ़े तीन माह	पोलियो	तृतीय
	9 माह	मिजिल्स	एक
	9 माह	विटामिन–ए–घोल	प्रथम
बच्चे	16 से 24 माह	डी0पी0टी0	बूस्टर
	16 से 24 माह	पोलियो	बूस्टर
	16 से 24 माह	विटामिन–ए	द्वितीय
	24 से 30 माह	विटामिन–ए	तृतीय
	30 से 36 माह	विटामिन–ए	चतुर्थ
	36 से 42 माह	विटामिन–ए	पंचम
स्कूल बच्चे	5 वर्ष	डी0टी0	बूस्टर
	10 वर्ष	टी0टी0	बूस्टर
	16 वर्ष	टी0टी0	बूस्टर

यदि बच्चे का जन्म किसी अस्पताल मे हुआ हो तो उसे जन्म के बाद बी0सी0जी0 का टीका लगाया जाता है तथा पोलियों की एक खुराक पिलाई जाती है जिसे ''जीरो डोज'' कहते हैं।

दस्त रोग :– जब बच्चों को दस्त हो तब उन्हें ओ0आर0एस0 का घोल पिलाना चाहिए वरना शरीर में पानी की कमी से उनकी मृत्यु हो सकती है। घर पर उपलब्ध अन्य तरल पदार्थ जैसे– चावल का पानी, दाल का पानी भी दिया जाता है। दस्त रोग होने पर बच्चे को नियम से खाना खिलाना व दूध पिलाना चाहिए, साथ ही निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र ले जाना चाहिए।

कुपोषण :– कुपोषण ही स्वास्थ्य समस्या है: कारण गरीबी नहीं बल्कि कम जानकारी है :

- बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए माँ तथा परिवार को पर्याप्त जानकारी की आवश्यकता होती है।
- बच्चें को सही भोजन क्या देना है, इसकी पूर्ण जानकारी माँ तथा परिवार के लोगों को होनी चाहिए।
- लड़कियों को भी लड़को के बराबर भोजन दिया जाना चाहिए।
- गर्भावस्था से लेकर 5 वर्ष की आयु तक बच्चे को पौष्टिक भोजन मिलना आवश्यक है।
- गर्भवर्ती महिला के भोजन में हरी सब्जी, साग और गेहूँ, ज्यार, बाजरा तथा छिलके वाली दालें व गुड़ काफी मात्रा में होना चाहिए।
- आयरन की गोलियाँ खाते रहना भी शरीर में खून की कमी न होने देने के लिए बहुत जरूरी है।

बीमारी में भोजन :–

- मातायें बीमारी में भी बच्चे को दूध पिलाती रहें व खाना देती रहें, इससे बच्चे को ठीक होने में मदद मिलती है।
- खाना खिलाते समय विशेष ध्यान रखें– नाखून कटे हों, तथा हाथ साबुन व पानी से धुले हों।
- हमेंशा खाना पकाने या खिलाने से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोएं।
- छः माह की आयु के बाद बच्चे को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है।

8.4 संचारी रोग एवं उनसे बचाव :–

संक्रमण का फैलना (छूत) – संचारी रोग निम्न प्रकार से फैल सकते हैं –

प्रत्यक्ष संचरण – एक व्यक्ति के दूसरे से सीधे सम्पर्क आने जैसे– छींकना, खांसना, थूकना, कान–नाक, बातचीत करना, जानवरों की लार तथा मिट्टी में छुये हुए कीटाणुओं से भी रोग फैलते हैं।

अप्रत्यक्ष संचरण – रोगी को कपड़ों, बिस्तर, खिलौनों, बर्तनों तथा शल्य चिकित्सा उपकरणों या पट्टी आदि के सम्पर्क में आने से भी रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। इसे अप्रत्यक्ष संचरण कहते हैं। छोटी माता (चिकन पॉक्स), गलघोंटू (डिप्थीरिया), आंखें आना आदि इसी प्रकार फैलते हैं। आंतों में पाये जाने वाले कीटाणु मल माध्यम से बाहर आते हैं और पानी, भोजन व दूध को दूषित करते हैं। इसके सेवन से भी बीमारियां फैलती हैं जैसे – टायफाइड, पेचिश, कृमि आदि। कुछ बीमारियां जिनके रोगाणु मल में मिले रहते हैं, मक्खियों एवं अन्य उड़ने वाले कीटों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं। रोगवाहक कीट–पतंगों द्वारा संचरण कहते हैं।

महामारी – जब किसी समुदाय के सामान्य से अधिक लोग एक साथ बीमार हो जाएं और रोग का स्रोत एक ही हो तो इसे महामारी कहते हैं जैसे– दूषित जल पीने से आन्त्रशोध (गैस्ट्रोइनट्रायटिस)।

संचारी रोग की जानकारी होने पर क्या करें :–

- संचारी रोग की सूचना तत्काल अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी को दें।
- चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कार्य करें।

1. अतिसार (दस्त, पेचिश) – यह रोग किसी छूत के रोग वाले व्यक्ति के मल से दूषित हुए भोजन, पानी या अन्य किसी खाद्य सामग्री के सेवन से फैलते हैं।

अतिसार का इलाज – दस्त वाले रोगी में पानी और नमक की काफी कमी हो जाती है अतः इसकी तुरन्त पूर्ति करनी चाहिए। रोगी को जीवन रक्षक घोल (ओ0आर0एस0) दें। एक पैकेट ओ0आर0एस0 को एक लीटर साफ पानी में अच्छी तरह से घोलकर थोड़ी–थोडी मात्रा में थोड़ी–थोड़ी देर बाद दें। हर रोज ताजा घोल बनायें और उसे ढककर रखें, बचा हुआ घोल फेंक दें तथा माताओं को भी बतायें कि घोल कैसे बनाना व पिलाना है। यदि जीवन रक्षक घोल (ओ0आर0एस0) उपलब्ध न हो तो घर में उपलब्ध दूसरे प्रकार के तरल पदार्थ जैसे चावल का माड़, नमक, नींबू का रस, दाल का उबला हुआ पानी, जिसमें स्वाद के अनुसार चीनी या नमक मिलाया हुआ हो, दिया जा सकता है। बच्चों को लगातार स्तनपान कराना आवश्यक है। दस्त वाले रोगी को कुछ न कुछ खिलाते रहे। खिचड़ी, चावल का माड़ जैसे हल्का भोजन दें। यदि जीवन रक्षक घोल (ओ0आर0एस0) देने पर रोगी ठीक न हो अथवा निम्न लक्षण हों तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेज दें –

- जब पानी की तरह का पतला पाखाना आ रहा हो।
- तेज उल्टियां आ रही हों।

2. पीलिया (जाएंडिस) – यह रोग दूषित भोजन या पानी से फैलता है। पीलिया के लक्षण जैसे – भूख कम लगना, उल्टी, सिर दर्द, जिगर के हिस्से में दर्द और कमजोरी, कुछ दिनों बाद आंखे पीली दिखाई देती हैं और पेशाब गहरे रंग की होती है तथा पाखाने का रंग भी हल्का पड़ जाता है।

रोकथाम के उपचार :–

- खाने और पीने के लिए केवल सुरक्षित और साफ पानी का प्रयोग।
- गांवों में जहां पीलिया फैला हो वहां पीने से पहले पानी को उबाल लें।
- पानी को साफ और ढके हुए बर्तन में रखें।
- ताजा खाना खाएं।
- खाने को मक्खियों व अन्य कीड़े–मकोड़ों से बचाएं।
- रोगियों के पाखाने व उल्टी की निपटान किसी शौचालय में बहाकर या मिट्टी में दबाकर कर करें।
- मल त्याग के बाद और खाना बनाने, परोसने या खाने से पहले दस्त, पेचिस या पीलिया के रोगी को देखने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएं और सुखा लें।
- यदि क्षेत्र में दस्त, पेचिस या पीलिया से अनेक व्यक्ति पीड़ित हों तो तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी को सूचित करें।

कीट वाहक रोग– मलेरिया, फाइलेरिया, काला आजार, मस्तिक ज्वर, डेंगू

3. मलेरिया – यह एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से फैलता हैं

लक्षण – इस रोग में तेज बुखार आता है। बुखार का पता चलने से कुछ घण्टों पहले आम बेचैनी महसूस होती है। सिर दर्द होता है फिर सिर दर्द धीर–धीरे बढ़ता जाता है। सिर में तेज दर्द होता है। मतली हो सकती है। तेज कंपकंपी होती है। दांत भी कटकटाते हैं और रोगी अधिक से अधिक कपड़े ओढ़ना चाहता है। सर्दी लगने से एक से डेढ़ घण्टे बाद बुखार में तेजी आती है। इसके बाद बहुत पसीना आता है। कुछ मामलो में दिमागी बुखार भी हो जाता है और यदि इसका इलाज न किया गया तो रोगी बड़बडाने लगता है। उनींदापन हो जाता है और प्रायः मौत भी हो जाती है। मलेरिया से सबसे अधिक मृत्यु शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की होती है।

मलेरिया होने पर क्या करें :–

- रक्त की मोटी और पतली स्लाइड महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या स्वास्थ्य पर्यवेक्षक से बनवायें।
- रोगी को पैरासीटामॉल की गोलियां दें। रोगी को मलेरिया समझकर उसका इलाज शुरू करा दें।

मलेरिया का इलाज – मलेरिया का इलाज दो प्रकार से किया जाता है। चाहे उसे मलेरिया रोग हो या न हो। इससे रोगी में लक्षण चिन्ह घट जाते हैं। एक सम्भावित उपचार और दूसरा मूल उपचार। सम्भावित उपचार बुखार वाले सभी रोगियों का किया जाता है। जिन रोगियों में रक्त स्लाइड के परीक्षणोपरान्त मलेरिया पाया जाता है उन्हें मूल उपचार दिया जाता है। मूल उपचार से रोगी पूरी तरह रोग मुक्त हो जाता है और उसे दुबारा मलेरिया नहीं होता तथा दूसरे व्यक्तियों को भी उससे रोग नहीं फैलता है।

लोगों को छिड़काव के संबंध मे ंनिम्नलिखित सलाह दें – छिड़काव करने वाले दस्तों को घर के अन्दर सभी जगह, पूजा घर, रसोई घर और पशुओं के बांधने के स्थान सहित कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करनें दें।

छिड़काव करने से पूर्व दीवारों पर लगे सभी चित्र या अन्य वस्तु हटा लें। भोजन और चारे को किसी अन्य जगह या ढककर रखें। सभी पालतू जानवरों एवं पशुओं को घर से बाहर ले जाएं। छिड़काव के बाद ढकने के लिए प्रयोग की चादरों को ठीक से धो लें। कम से कम 10–12 सप्ताह तक दीवारों को न धोया जाए और न ही पुताई अथवा प्लास्टर कराया जाए।

घर के आस–पास पानी रुकने वाले गड्ढों को भर दें। इससे मच्छरों के अण्डे देने के स्थान नष्ट हो जाते हैं। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें या शरीर पर मच्छर निरोधक क्रीम या सरसों का तेल मत लें।

4. फाइलेरिया (फील पांव/हाथी पांव) – यह रोग रक्त और लसिका प्रणाली में माइक्रोफाईलेरिया जीवाणुओं के लग जाने से होता है। यह जीवाणु आमतौर पर व्यक्ति में रात में प्रकट होते हैं। ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। रोग की शुरूआत रोगी को ठण्ड के साथ बुखार से होती है। बाद में हाथों और पैरों में दर्द और सूजन हो जाती है और यदि इलाज न किया जाए तो खासकर टांगों और अण्डकोष में हमेशा के लिए सूजन आ जाती है। खून की मोटी फिल्म बनाकर माइक्रोफाइलेरिया का पता लगाया जा सकता है। फाइलेरिया के रोगी की जांच के लिए खून रात में 10 बजें से प्राप्त 4 बजे के बीच लिया जाता है।

लोगों को सलाह दें :–

- किसी व्यक्ति को कंपकंपी के साथ तेज बुखार आये तो तुरन्त उसकी सूचना स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दें।
- रोगी को इलाज के लिए निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल भेजें।
- मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी या मच्छर क्रीम का प्रयोग करें।

5. मस्तिष्क ज्वर – यह रोग विषाणु के कारण होता है जो जानवरों से आदमियों तथा क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है।

लक्षण – अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, उनींदापन, रोगी का बड़बड़ाना, मांसपेशियों में अकड़न, उसका थरथराना तथा बेहोश हो जाना। यह एक गम्भीर रोग है, यदि समय से उपचार न किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है।

बचाव –

- छिड़काव करने वाले दस्तों का दवा छिड़कने में सहयोग दें।
- पानी रोकने वाले सभी गड्ढों में मिट्टी भर दें या उसमें मिट्टी का तेल डाल दें जिससे मच्छर न पैदा होने पाएं ।
- अपने आपकों मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानी अथवा मच्छरों को भगाने वाली क्रीम का प्रयोग

करें।

6. क्षय रोग–तपेदिक (टी0बी0) – तपेदिक एक छूत का रोग है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तथा किसी भी आयु वर्ग या लिंग को हो सकता है। यह रोग उन व्यक्तियों में आम होता है जो कमजोर होते हैं अथवा जिन्हें पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं होता या जो भीड़–भाड़ वाले इलाकों अथवा मलिन बस्तियों में रहते हैं।

फेफड़े की तपेदिक के लक्षण और चिन्ह – रोगी को प्रारम्भिक अवस्था मे थकान महसूस करना, भूख कम लगना, हल्का बुखार होना (विशेषकर शाम को) तथा वजन घटना।

बाद में लगातार खांसी आना, बलगम निकलना, कभी–कभी खांसी में खून आना, कमजोरी बढ़ना, रात में अधिक पसीना आना तथा छाती में दर्द रहना।

फेफड़ो की तपेदिक से ग्रसित व्यक्ति के बलगम, छींक या थूक के साथ टी0बी0 के जीवाणु हवा में मिल जाते हैं और जब स्वस्थ व्यक्ति हवा में सांस लेता है तो ये जीवाणु उसके फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ बढ़ने लगते है। ग्रसित व्यक्ति के फेफड़ो में मवाद थूक या बलगम के रूप में खांसी से बाहर आता है जो टी0बी0 के जीवाणुओं से भरपूर होता है।

टी0बी0 का पता कैसे लगाएं – टी0बी0 के जीवाणुओं का पता लगाने के लिए रोगी के बलगम की सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच की जाती है। बलगम धनात्मक पाये जाने पर रोग की पुष्टि हो जाती है। बलगम में जीवाणु न पाये जाने पर फेफड़ों का एक्स–रे कराके पता लगाया जाता है।

टी0बी0 की रोकथाम व उपचार –

1. बच्चों को बी0सी0जी0 का टीका लगाने से उन्हें तपेदिक रोग से बचाया जा सकता है। टीका जन्म के बाद जितनी जल्दी सम्भव हो 6 सप्ताह से 9 माह की आयु के बीच अवश्य लगवा दिया जाए।
2. रोगी को उपचार के लिए नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या जिला क्षय रोग केन्द्र भेजें।
3. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) की सहायता से क्षेत्र के सभी शिशुओं को तपेदिक का टीका (बी0सी0जी0) अवश्य लगवायें।

लोगों को क्या सलाह दें –

- दूसरों के निकट थूकने या छींकने, जहाँ–तहाँ थूक देने या एक ही हुक्के, बीड़ी–सिगरेट आदि का इस्तेमाल करने से तपेदिक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। जब भी आप खांसे या छींके तो अपने मुंह को रूमाल या साफ कपड़े से ढक लें। फर्श या दीवारों पर मत थूकें। एक ही हुक्के, बीड़ी आदि का प्रयोग न करें।
- यदि किसी को दो सप्ताह से अधिक समय में खांसी में बलगम आ रहा है या थूक में रक्त आ रहा है तो उसकी सूचना ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को दें या रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या जिला क्षय रोग केन्द्र भेजें।
- फेफड़ो की तपेदिक का पता थूक की जांच करके और छाती का एक्स–रे लेकर लगाया जा सकता है।
- नियममि रूप से तथा उचित मात्रा में निरन्तर औषधि लेते रहने से तपेदिक या रोगी पूरी तरह ठीक हो सकता है।
- तपेदिक से पीड़ित व्यक्ति का इलाज घर पर हो सकता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है जो गंभीर रूप से बीमार हों।
- तपेदिक के रोगी को थूकदान में थूकना चाहिए। थूक को जला देना चाहिए और थूकदान को हर रोज कीटाणुनाशक से धोना तथा उबाल लेना चाहिए।

7. कुष्ठ रोग – कुष्ठ रोग एक संचारी रोग है जो क्षय रोग की तरह जीवाणुओं से फैलता है। लम्बे समय तक सम्पर्क बनाए रखने से यह रोग स्वस्थ व्यक्ति में भी हो सकता है।

लक्षण –

- यह रोग शरीर में ऊपरी भाग पर असर डालता है जैसे– त्वचा, श्लेष्म झिल्ली, आंखे, नाक कान और नसें।
- त्वचा में हल्के रंग के या तांबे के धब्बे जिनमें संवेदना नहीं होती और न ही खुजली होती है।
- त्वचा मोटी होने लगती है तथा चकमदार दिखाई देती है।
- धब्बे वाली जगह का छूने या उस पर ठण्डी/गर्म चीज रखने या कुछ चुभोने से रोगी को संवेदना

नही होती है। उस जगह पसीना नहीं आता और धब्बे वाली जगह की त्वचा से बाल या भौंहें उड़ जाती है।

- ऊपरी नसे मोटी हो जाती है, खासकर कोहनी के अन्दर के भाग पर, टांगों के ऊपरी और बाहरी भाग पर, कान के नीचे।
- त्वचा पर खासकर नाक, गाल और कानों पर गांठे बन जाती हैं। कानों की पाली मोटी हो जाती है।
- बार–बार जख्म और अल्सर हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते।

कुष्ठ की आशंका वाले रोगी – कुष्ठ की आशंका वाले रोगी की जांच और इलाज के लिए कुष्ठ कार्यकर्ता को दिखायें या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजें। यदि किसी रोगी में कुष्ठ पाया जाता है जो उसका आवश्यक उपचार किया जाए। उपचार में देरी होने या बीच में रोक देने से रोगी को निम्नलिखित तकलीफें हो सकती है।

1. नाक बहना और नाक की हड्डी नष्ट हो जाना और नाक की शक्ल भद्दी होना।
2. पलकों या टांग और हाथों में दर्द, जलन अथवा विकृति आना।
3. आंखों के स्वच्छ पटल पर अल्सर हो जाना और रोगी का अन्धा हो जाना।

रोग के सम्बन्ध में लोगों में अनेक प्रकार की भ्रान्तियां व्याप्त हैं। अतः अपने क्षेत्र के सभी कुष्ठ रोगियों की सूची तैयार करें और निम्नलिखित कार्यवाही करें –

1. प्रत्येक रोगी को नियमित रूप से दवा लेने और खाने को प्रोत्साहित करें। दवाइयां निःशुल्क मिलती हैं।
2. जो रोगी नियमित रूप से दवा न लें या जिन्होंने दवा लेना बन्द कर दिया हो तो उन्हें जांच हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजें। कुष्ठ रोगी को बताएं कि उन्हें अपनी आंखों, हाथों व पैरों आदि की देखभाल कैसे करनी है।
3. लोगों को सलाह दें कि कुष्ठ रोग ईश्वर का अभिशाप नहीं है। भिखारियों का रोग नहीं है, अनुवांशिक रोग नहीं है तथा जन्मजात रोग नहीं है।
4. कुष्ठ रोग किसी भी आयु में किसी भी व्यक्ति को गरीब या अमीर, स्त्री या पुरुष को समान रूप से हो सकता है।
5. रोग का प्रारम्भ में ही पता लगाकर जल्दी से जल्दी उपचार शुरू कर दिया जाए और डाक्टर की सलाह के अनुसार उपचार पूरा किया जाए जो रोगी शीघ्र रोग मुक्त हो जाता है।
6. प्रारम्भिक अवस्था में ही रोग का उपचार शुरू करने व उपचार पूरा करने पर विकलांगता को भी रोका जा सकता है। हाथ, पैर, आंखों, नाक आदि की सही देखभाल करने पर विकलांगता रोकी जा सकती है।

अन्य संचारी रोग

8. टिटनेस – यह एक गम्भीर रोग है जो टिटनेस के जीवाणुओं से होता है। टिटनेस के जीवाणु मिट्टी में विशेषकर घोड़ों या पशुओं के गोबर वाली मिट्टी में पाये जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को ऐसे मिट्टी वाले स्थान पर चोट लगती है तो टिटनेस के जीवाणु जख्म के माध्यम से शरीर में चले जाते हैं और रोग पैदा करते हैं। नवजात शिशुओं में गंदे औजार के नाल काटने या नाल की ठूंठ पर गोबर या गन्दी पट्टी लगाये जाने से भी टिटनेस हो सकता है।

लक्षण –

- मांसपेशियों का एक असहनीय संचरण विशेष तौर पर जबड़े की मांसपेशियाँ, जिसके परिणामस्वरूप रोगी अपना मुंह नहीं खोल सकता। यदि छोटे शिशुओं में बच्चा दूध पीना बन्द कर देता है और वह अपना मुंह नहीं खोल सकता तथा बहुत थोड़ा पाखाना करता है।
- बुखार रहता है और पसीना आता है।

यदि ऊपर लिखे लक्षणों में से कोई चिन्ह दिखाई दे तो रोगी को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजना चाहिए।

टिटनेस से बचाव –

- प्रथम सप्ताह से 9 माह तक की आयु के सभी बच्चों को डी0पी0टी0 के 3 टीके एक से डेढ़ माह के अन्तर पर लगवाएं। बाद में 16–24 माह के अन्तर पर एक सम्बर्द्ध टीका, 5 वर्ष पर डी0पी0टी0 का टीका और 10 तथा 16 वर्ष की आयु में टी0टी0 का टीका लगवायें।
- सभी गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु गर्भावस्था की जानकारी होते ही पहला टीका तथा उसके एक माह पश्चात दूसरा टी0टी0 का टीका अवश्य लगवाएं। इससे माता के साथ–साथ नवजात शिशु भी टिटनेस से बचा रहेगा।
- जहां गहरा या गन्दा जख्म हो वहां टी0टी0 का टीका लगवाएं
- नाल काटने, कानों में छेद करने या टीका लगने आदि के लिए हमेशा विसंक्रमित औजार/सुई इस्तेमाल करें।

लोगो को क्या सलाह दें –

- सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं।
- जख्म होने पर उसे साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करें और कीटाणुनाशक दवा लगायें।
- जख्मों पर या नवजात शिशु की नाभि, नाल के ठूँठे पर किसी प्रकार का गोबर, राख, धूल या गन्दी पट्टी न लगायें।
- प्रसव प्रशिक्षित दाइयों या स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) से ही करायें।

9. पोलियो (बालपक्षाघात) :– पोलियों एक विषाणु से फैलने वाला रोग है जो छूत वाले व्यक्ति के मल से स्वस्थ व्यक्तियो को लग जाता है। यह रोग प्रायः बच्चों और किशोरों में होता है। भीड़–भाड़ वाले इलाकों, मलिन बस्तियों, जहाँ सफाई व्यवस्था अच्छी न हो और जहाँ बचाव हेतु पोलियो की दवा न पिलाई गयी हो, उन क्षेत्रों में महामारी के रूप में भी फैल सकता है।

चिन्ह तथा लक्षण :– बुखार तथा सर्दी–जुकाम, सिर दर्द, उल्टियां तथा दस्त, मांसपेशियों में अधिक पीड़ा, गर्दन तथा पीठ का अकड़ जाना। लकवा या कोई अंग अशक्त होना और विकलांगता। यदि लकवे का असर सांस लेने वाली और निगलने वाली मांसपेशियों पर पड़ता है तो रोगी मर भी सकता है।

यदि किसी ऐसे बच्चे को देखें जिसे तेज बुखार तथा उसकी टांगों या हाथों में दर्द अथवा कमजोरी हो तो उसे पैरासीटामॉल की गोलियां दें।

माता को कहें कि वह बच्चे को पलंग पर लेटे रहने दें और प्रभावित टांग या भुजा को पूरी तरह से आराम दें।

प्रभावित अंग पर गरम सेंक करें। उसकी मालिस न करें।

ऐसे लक्षण दिखते ही सूचना पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दें।

पोलियों से बचाव :– रोग से बचाव हेतु 6 सप्ताह से एक वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को एक से डेढ माह के अन्तर पर 3 खुराक पिलायें। यदि बच्चे का जन्म अस्पताल या नर्सिंग होम में हुआ हो तो जन्म होते ही पहली खुराक (जीरो डोज) पिलायें। 16–24 महीने की आयु में बूस्टर डोज पिलायें। पल्स पोलियो अभियान के समय 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्राप अवश्य पिलायें।

10. खसरा :– यह रोग एक विषाणु के कारण आम तौर पर बच्चों में होता है। यह छूत का रोग है। छूत वाले बच्चे के पास सांस लेने, खांसने या छीकने से या उस व्यक्ति की नाक और गले से निकले पदार्थ के सीधे सम्पर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति को खसरा हो जाता है।

लक्षण :– कभी–कभी तेज बुखार, नाक बहना, खांसी, आंखे लाल होना तथा उनमें पानी आना, मुंह थकना, दूसरे या तीसरे दिन गालों पर अन्दर की ओर नमक के कण जैसे सफेद या नीले रंग के घब्बे निकलना । चौथे दिन चेहरे पर अर्थात माथे पर बालों की रेखा के साथ–साथ कानों के पीछे और ठोढ़ी पर लाल दानेदार धब्बे निकल आते हैं । ये धीरे–धीरे नीचे की ओर फैलने लगते हैं और सारे शरीर में फैल जाते हैं। यह दाने लगभग 5 दिन तक रहते हैं और उसके बाद त्वचा की सूखे पपडियां उतरने लगती हैं। दाने निकलने पर बुखार कम होने लगता है।

खसरा होने के दौरान या उसके बाद कुछ जटिलताएं हो सकती है जैसे – कानों में दर्द, कान बहना, सांस लेने में कठिनाई, निमोनिया या दस्त तथा शरीर में पानी की कमी हो जाना, अल्प पोषित बच्चों में यह गड़बड़ियाँ होती हैं।

उपचार –

- पैरासीटामॉल की गोलियां दें, कोट्राईमेक्साजॉल की गोलियां दे।
- काफी मात्रा में तरल पदार्थ तथा पौष्टिक भोजन दें जैसे– दूध, खिचड़ी, दलिया, पीले फल, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि।
- रोगी की आंखों को चमक से बचायें तथा उन्हें साफ पानी से धोएं।
- यदि कोई जटिलता पैदा हो जाए जैसे– डायरिया या निमोनिया हो तो रोगी को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल भेज दें।

बचाव –

- खसरे के टीके लगवाकर बच्चों को खसरे से बचाया जा सकता है।
- खसरे का टीका 9–12 महीने की आयु में लगता है। केवल एक ही खुराक देने की आवश्यकता होती है।
- खसरे के टीके के साथ विटामिन–ए का घोल भी पिलाएं।
- खसरे वाले बच्चे को घर पर ही दूसरे बच्चों से दूर

रखें।

8.5 कूड़े–कचरे का निपटान :

गांव को साफ–सुथरा रखना समुदाय के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

1. गन्दे पानी का निपटान –

- गन्दे पानी के निपटान के बारे में लोगों को शिक्षा देना।
- स्वास्थय रक्षक और समुदाय के नेताओं की मदद लेना।
- निकास नालियां बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना व उनकी मदद करना।
- लोगों को सिखाएं कि सोख्ता गड्ढा कैसे बनाया जाता है। इसके लिये ब्लाक कार्यालय की मदद लें।
- लोगों को घर में शाक वाटिका लगाने की सलाह दें
- यदि किसी घर का परिवार छोटा है तो घर निकलने वाले गन्दे पानी की मात्रा थोड़ी होगी। उसे शाक वाटिका में इस्तेमाल कर आसानी से निपटाया जा सकता है। ऐसी वाटिका में फल और सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। परिवार इनका उपयोग अपने पोषण में सुधार करने के लिए कर सकता है।
- लोगो को सिखाएं कि खुले मुंह वाले कुंओं का गन्दा पानी से बचाव कैसे किया जाता है। कुएं पर पानी भरते समय जो पानी बिखर जाता है इसे नाली द्वारा बाहर निकाल दिया जाना चाहिए ताकि इससे पीने का पानी दूषित न हो।
- पशुशालाओं से निकलने वाले गन्दे पानी के निपटान के बारे में सलाह दें।
- बाजार में स्टालों और बूचड़खानों से निकलने वाले गन्दे पानी के निपटान के बारे में सलाह दें।
- मेलों से गन्दे पानी के निपटान के बारे में सलाह दें।

2. मल–मूत्र का निपटान करने के सही तरीकों के बारे में जानकारी देना –

- मल का सफाई से निष्पादन न करने पर स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में लोगों को शिक्षित करना।
- समुदाय में मल निपटान की मौजूदा व्यवस्था का सर्वेक्षण करना। यह पता लगाएं कि आपके इलाके में मल निपटान के लिए क्या तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं।
- पानीदान वाटर–सील विक्षालन गड्ढे शौचालयों का निर्माण करने के सम्बन्ध में सलाह देना।
- शौचालय के लिए जगह का चुनाव करने और शौचालय के ऊपरी ढांचे के निर्माण के सम्बन्ध में सलाह देना।
- संडास और वाटर–सील ट्रैप खरीदनें में लोगों की मदद करना। यह सामग्री आमतौर पर ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र, खण्ड विकास कार्यालय या तहसील या जिला मुख्यालय के बाजारों में मिल जाती है।

3. कूड़े–करकट (ठोस रद्दी वस्तुओं) का निपटान–

कूडा–करकट निम्न प्रकार का हो सकता है – (1) कूडा–करकट (2) रद्दी वस्तुएं (3) राख (4) मरे हुए जानवर (5) गली की सफाई का कूड़ा (6) पशुओं का गोबर। ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े–करकट में जैव घटक बहुत अधिक हेाता है। यदि इसे सही ढंग से गलाने की व्यस्था हो तो खाद के रूप में इसका मूल्य बढ़ जाता है।

8.6 रति जनित रोग (एस0टी0आई0)

इस समूह क अन्तर्गत वे रोग आते हैं जो सम्भोग के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं।

1. सुजाक – सुजाक जीवाणुओं से होता है, जो रोगी पुरुष या महिला के जननांगों के पीव में मौजूद होते हैं और मूत्र मार्ग से निकलते रहते हैं। जब व्यक्ति सम्भोग करता है तो वह जीवाणु उस पुरुष/महिला के मूत्र मार्ग और जननांगों में चले जाते हैं। जिसके साथ सम्भोग किया जा रहा हो । इसके रोगी पुरुषों में 2–7 दिन बाद मूत्र मार्ग से पीवदार स्राव होता है। पेशाव करते समय जलन और पीड़ा, लिंग के अगले सिरे पर खुजली, पेशाब करने में कठिनाई या कभी–कभी पेशाब नहीं कर पाते हैं। रोगी महिलाओं में मूत्र मार्ग या गर्भ ग्रीवा से मामूली पीवदार स्राव होता है और पेशाब करते समय महिला को जलन होती है। यदि रोगी का उपचार न किया जाए तो शरीर के दूसरे भागों जैसे अण्डग्रन्थि या जोड़ो में भी पहुंच सकते हैं। महिलाओं में डिम्बवाहिनी नली और डिम्बग्रन्थि में पहुंच जाते हैं, जिससे महिलाएं बांझ हो जाती हैं। जब तक ऐसे व्यक्ति का इलाज नहीं हो जाता तब तक वह दूसरे के लिए छूत का स्रोत बना रहता है।

यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति का पता लगे, जिसके मूत्र से स्राव हो रहा हो तो –

- उसे सलाह दें कि वह खूब पानी पिये।
- उससे कहें कि जब तक वह ठीक न हो जाये, सम्भोग न करे।
- उस व्यक्ति को तथा जिसके साथ उसने सम्भोग किया हो, जांच और इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल भेज दें।

2. उपदंश :– यह एक खतरनाक रति रोग है जो एक प्रकार के जीवाणुओं से होता है जो सम्भोग के द्वारा दूसरों से फैलता है। यदि रोगी की बीमारी दूसरे चरण तक पहुँच गयी हो तेा रोगी की त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के सीधे सम्पर्क में आने से भी लग सकता है। रोग की छूत वाली माता के पेट में पल रहे बच्चे को भी यह रोग हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप बच्चा मरा हुआ पैदा होता है या उपदंश रोग लेकर पैदा होता है।

लक्षण :– उपदंश का पहला चिन्ह वर्ण है जो किसी पुरुष के लिंग या महिला की गर्भाशय ग्रीवा पर दिखाई देता है जो आम तौर पर इस रोगी की छूत वाले व्यक्ति के साथ सम्पर्क करने के 3 सप्ताह बाद होता है। घाव में दर्द नहीं होता है। वह साफ तथा सख्त होता है और कभी–कभी उस स्थान पर ध्यान नहीं जाता। चड्ढों में छोटी–छोटी गिल्टियां महसूस होती है। यदि व्यक्ति उचित इलाज नहीं लेते तो प्रारम्भिक वर्ण तो गायब हो जाते हैं लेकिन रोग शरीर में बना रहता है। हफ्तों या महीनों सारे शरीर में दाने निकल आते हैं । गले में खराश, मुंह फोड़े तथा जोड़ों में सूजन आ जाती है।

पता लगाएं :–

- पता लगाएं कि उसने सम्भोग कब किया था और यदि सम्भव हो तो यह भी पता लगाएं कि उसे यह छूत किस व्यक्ति से लगी।
- उसे बतायें कि जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक सम्भोग न करे।
- उस व्यक्ति को तथा जिसके साथ उसने सम्भोग किया है उन्हें जांच और इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजें।
- युवा लोगों को वेश्यावृत्ति तथा स्वच्छन्द सम्भोग से होने वाले खतरों की जानकारी दें।

3. एड्स :–

यह एक गम्भीर रोग है जो जीवाणुओं से फैलता है। इसका कोई इलाज नहीं है। केवल जानकारी से ही बचा जा सकता है। यह निम्न विधियों से फैलता है :

- दूषित सुइयों के प्रयोग से।
- संक्रमित व्यक्ति के रक्ताधान से।
- संक्रमित माता से उसके बच्चे में।
- असुरक्षित संभोग से।

एड्स से बचाव के उपाय :

- लोगों को बताएं कि केवल एक ही विश्वसनीय साथी के साथ सम्भोग करें।
- प्रयोग से पहले सुइयों को ठीक से विसंक्रमित कर लें।
- निरोध (कण्डोम) का प्रयोग ठीक से विसंक्रमित कर लें।
- सुरक्षित जाँच किया हुआ रक्त ही रोगी को चढ़वायें।

8.7 साफ पानी :

पानी जीवन के लिए अनियार्य है और इसलिये यह प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर पानी बिना उबाले ही दिया जाता है। खाने वाले अधिकांश पदार्थो को खाने से पहले पकाकर सामान्यतया सुरक्षित कर लिया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि पीने के साफ पानी को उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

1. पीने का पानी – इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प का पानी उत्तम है।

2. पानी से फैलने वाले रोग – दूषित पानी के कारण पेट में और आंतों के रोग, जैसे– टायफायड, पीलिया, पेचिश, अतिसार आदि हो जाते हैं।

पीने के साफ पानी की पूर्ति सुनिश्चित कराना एवं ग्राम पंचातय एवं विकास अधिकारी की अन्य जिम्मेदारियाँ :

सावधानियाँ :

- हमेशा सुरक्षित स्रोत का ही पानी पियें। किसी तालाब या नदी का पानी बिना उबाले कभी न पिएं।
- क्लोरीन से साफ किया हुआ पानी पियें, बेशक उसका स्वाद कुछ भिन्न हो।
- खासकर बच्चों के लिए पीने के पानी को उबाल लें। जब वर्षा का मौसम शुरू हो जाए तो यह और भी

जरूरी है। उस समय सतही पानी के गन्दा होने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं।

सामुदायिक जल स्रोतों में क्लोरीन डाले : पानी के जरिए फैलने वाले रोगों से बचाव के लिए पानी को रोगाणुओं से मुक्त करना बहुत जरूरी है। बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर एक सस्ता और विश्वसनीय रोगाणुनाशक है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन छोड़ता है जो पानी के जरिए फैलने वाले रोगों के जीवाणुओं को मार देता है।

- ग्रामीणों को पानी के भण्डारण के सही–सही तरीके के बारे में बताएं।
- लोगों की मदद से पानी के उस स्रोत पर तब तक पूरी तरह रोक लगा दें जब तक उसमें सही ढंग से क्लोरीन नहीं मिला दी जाती और उसे शुद्ध नहीं कर लिया जाता है।
- सभी लोगों को सलाह दें कि वे अपने पानी के बर्तनों को अच्छी तरह साफ करें और धूप में सुखाएं।
- गांव के सभी जल–स्रोतों में क्लोरीन मिलाएं।
- जल–स्रोत को इस्तेमाल करने से पहले, पानी में क्लोरीन के बचे हुए अंश की जांच कराने के लिए स्वास्थ्य सुपरवाइजर या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रयोगशाला तकनीशियन की सहायता लें। लोगों को शिक्षा दें ताकि पीने के पानी के खुले स्रोतों को

8.8 रक्तदान–जीवनदान :– यह अत्यन्त पुण्य एवं जीवन दायक कार्य है। रक्तदान के लिए स्त्री एवं पुरुष की उम्र 18 माह से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वजन 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में करीब 5 लीटर खून होता है। रक्तदान हेतु 250 ग्राम खून एक यूनिट माना जाता है, जिसकी पूर्ति उसी दिन शरीर द्वारा हो जाती है। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी या हानि नहीं होती है। परन्तु नियमित रक्तदान के अनेक लाभ मिलते हैं।

1. उच्च रक्तचाप का भय और मोटापा का भय नहीं रहता है
2. कार्य क्षमता वाले अंग अतिरिक्त रूप से सक्रिय हो जाते हैं तो रोगी (प्रतिरोधी) क्षमता बढ़ जाती है।

परन्तु साधानी आवश्यक है :–

1. बिना पूरी जांच (मलेरिया, बी0डी0आर0एल0, एच0आई0वी0, एच0ए0जी0, एस0सी0वी0) आदि एलीसा टेस्ट रक्त स्वीकार न करें।
2. खून का ग्रुप मैच अत्यन्त आवश्यक है।

निम्नलिखित परिस्थिति में रक्तदान नहीं करना चाहिए :–

1. कैंसर, मिर्गी, मधुमेह, पीलिया, या यकृत संबंधी रोग, हृदय रोग, रक्ताल्पता अल्सर या गुर्दे के रोग, रक्त धमनियों या शिराओं के रोगी होने पर।
2. मलेरिया / टाइफाइड से ठीक होने पर छः महीने तक।
3. प्रसव के छः माह तक।
4. बड़ा आपरेशन के छः माह तक।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय परिसर द्वारा विधिक सेवा कार्यक्रम

निःशुल्क कानूनी सेवा एवं परामर्श प्राप्त करने की पात्रता :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ व्यक्ति, स्त्री या बालक, मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ व्यक्ति, बहु विनाश, जातीय हिंसा, बाढ़ सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति, औद्योगिक कर्मकार, संरक्षण गृह, किशोर गृह अथवा मनः चिकित्सकीय अस्पताल में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 12,000 /– रु0 से कम न हो।

निःशुल्क विधिक सहायता की प्रमुख विशेषतायें–

1. पात्र व्यक्तियों को न्यायालय / अधिकरणों में वाद दायर करने अथवा प्रतिवाद करने के लिए निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा।
2. निर्धारित दर पर कोर्टफीस एवं वाद व्यय की प्रतिपूर्ति।
3. लोक अदालतों एवं शिविरों के माध्यम से सुलह समझौते द्वारा वादों का निस्तारण कराने पर पक्षकारों का कोर्टफीस की वापसी।
4. लोक अदालत की अधिनिर्णय के विरुद्ध पक्षकारों द्वारा कोई भी अपील नहीं की जा सकेगी।
5. लोक अदालत की अधिनिर्णय दीवानी न्यायालय की डिक्री के समतुल्य है।
6. विधिक परामर्श तथा विधिक साक्षरता उपलब्ध कराना।

विशेष जानकारी एवं परामर्श हेतु आप जनपद के दीवानी न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव (न्यायिक अधिकारी) से सम्पर्क करें।

अध्याय – 9

पंचायती राज विभाग

9.1 नयी पंचायती राज व्यवस्था में तीन स्तर की व्यवस्था हैं :–

ग्राम स्तर : ग्राम पंचायत (जो पहले गाँव पंचायत थी)।

ब्लाक स्तर पर : क्षेत्र पंचायत (जो पहले क्षेत्र समिति थी)।

जिला स्तर पर : जिला पंचायत (जो पहले जिला परिषद थी)।

- पंचायतों का कार्यकाल – 5 वर्ष ।
- समय से छः माह पहले भंग होने पर छः माह के अन्दर चुनाव दुबारा आवश्यक।
- 5 साल समाप्त होने से पूर्व चुनाव प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा।
- अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आबादी के अनुसार सीट सुरक्षित।
- पिछड़ों के लिए भी सीट सुरक्षित, किन्तु 100 सीटों में 27 से अधिक नहीं।
- महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट सुरक्षित।
- आरक्षण प्रधानों व सदस्यों दोनों में।
- पंचायतो, प्रधानों, उप प्रधानों व सदस्यों के निलम्बन की व्यवस्था समाप्त है।
- प्रमुखों के चुनाव में प्रधानों की भागेदारी नहीं।
- अध्यक्ष, जिला पंचायत के चुनाव में प्रमुखों की भागेदारी नहीं।
- चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष
- पंचायते अपनी योजना खुद बनायेंगी।
- प्रधानों व उप प्रधानों को मानदेय तथा अन्य सदस्यों को भत्ते।
- आबकारी कानून व नकली दवाओं के कानून का अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
- पंचायतों के लिए एक स्वतन्त्र राज्य वित्त आयोग।
- ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा और 1000 की आबादी तक 9 सदस्य होंगे। 2000 की आबादी तक 11 सदस्य होंगे, 3000 की आबादी तक 13 सदस्य होंगे 3000 से अधिक आबादी पर 15 सदस्य होंगे।
- पहली बैठक के लिए तय तारीख से 5 साल तक ग्राम पंचायते बनी रहेगी। यदि 5 साल से कम से कम 6 माह पहले उसे भंग किया जाता है, (धारा 12, –3–) तो चुनाव दुबारा कराना होगा। दुबारा चुनी गयी पंचायत का कार्यकाल सामान्य समय (5 वर्ष) से बचे हुए समय के लिए होगा।
- ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक जरूरी हैं । साधारण रूप से बैठक वहीं बुलाई जाये जहाँ पंचायत का कार्यकाल हो या अन्य कोई सार्वजनिक (पब्लिक) स्थान हो। धारा 12 ख (1)
- कम से कम 5 दिन पहले सभी सदस्यों को लिखित रूप से बैठक की सूचना दी जायेगी। इसका प्रकाशन ग्राम पंचायत की क्षेत्र सीमा के अन्दर खास–खास स्थानों पर सूचना चिपकवा कर किया जायेगा। (नियम 32 व 37)।
- प्रधान, उसके मौजूद न रहने पर उप प्रधान, किसी भी समय पंचायत की बैठक बुला सकता है। यदि पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहें तो भी प्रधान को पत्र मिलने के 15 दिन के अन्दर बैठक बुलानी होगी। यदि प्रधान बैठक नहीं बुलाते हैं, तो निर्धारित अधिकारी (ए0डी0ओ0 पंचायत) बैठक बुला सकता है।
- प्रधान व उप प्रधान को शामिल करते हुए पंचायत–सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति बैठक या कोरम मानी जायेगी। यदि कोरम के पूरा न होने पर बैठक नहीं हेाती है तो दुबारा सूचना देकर बैठक बुलायी जा सकती है। और इसमें कोरम की जरूरत नहीं होगी।
- प्रधान, उसके मौजूद न रहने पर उप प्रधान, बैठक की अध्यक्षता करेगा। इन दोनों के मौजूद न रहने पर प्रधान द्वारा लिखित रूप से मनोनीत सदस्य अध्यक्षता करेगा। यदि प्रधान ने कोई सदस्य मनोनीति किया हो तो ए0डी0ओ0 (पंचायत) मनोनीत करेगा।

यदि प्रधान और ए0डी0ओ0 दोनों ही किसी सदस्य को मनोनीति न कर पायें तो ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को चुन सकते हैं।

किसी ग्राम या ग्राम समूह के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में राज्य सरकार ग्राम सभा बना सकती है। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज सभी लोग सदस्य होते हैं। जहाँ एक या उससे अधिक ग्राम शामिल हों, वहाँ सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम के नाम पर ग्राम सभा का नाम रखा जायेगा।

एक साल में दो बैठकें जरूरी–एक खरीफ की फसल कटने के तुरन्त बाद तथा दूसरी रबी की फसल कटने के बाद।

- ग्राम–सभा अपनी बैठक के नीचे लिखे विषयों पर विचार करेगी और उन पर ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकती है। धारा – 11 (3) :– ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट, पिछले आडिट की टिप्पणी तथा उसका परिपालन। पिछले वित्तीय वर्ष में किये गये विकास कार्यों तथा चालू वित्तीय वर्ष में जो कार्य किये जाने हैं, उसकी रिपोर्ट। समाज के सभी वर्गों में मेल–जोल व एकता बढ़ाना। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम अन्य मामले जो पहले से तय हों (जैसे – परिवार कल्याण, पर्यावरण और टीकाकरण)। ग्राम पंचायत उक्त सिफारिशों और सुझावों पर पूरा विचार करेगी। धारा –11 (4)

ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्य करेगी – धारा – 11 (4) : सबके भले के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के लिए लोगों की भागेदारी श्रम के रूप में अन्य अंशदान जुटाना। विकास कार्यों के लिए लाभार्थी की पहचान। विकास कार्यों को चलाने में सहायता करना।

प्रधान के कर्त्तव्य :

- ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठकों को बुलाये तथा उसकी अध्यक्षता करे।
- बैठक की कार्यवाही पर नियंत्रण रखे और व्यवस्था बनाये रखे।
- पंचायत की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन की देख–भाल करे और यदि उसमें कोई कमी नजर आये तो उसकी सूचना गाँव वालों को दे।
- ग्राम पंचायत द्वारा रखे गये कर्मचारियों की देख–भाल करे और उन पर नियन्त्रण रखे।
- ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को क्रियान्वित करे।
- पंचायत राज नियमों के अन्तर्गत जो विभिन्न रजिस्टर रखे जाते हैं उनको ठीक से रखने का प्रबन्ध करे और ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की ओर से समस्त पत्र व्यहार करे।
- ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं कार्यवाही करे और पंचायत द्वारा लगाये गये कर, शुल्क आदि की वसूली की व्यस्था करे।
- ग्राम पंचायत की ओर से दीवानी नालिशें तथा फौजदारी के इस्तगासे दायर करे।

प्रधान के विशेषाधिकार :

विशेष आवश्यकता पड़ने पर जिला पंचायत राज अधिकारी को सूचना देकर, बिना ग्राम पंचायत की स्वीकृति प्राप्त किये, ग्राम प्रधान को कोई भी ऐसा काम करने का अधिकार होगा जिसको करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है।

9.2 ग्राम पंचायत को सौंपे गये कार्य

■ प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालयों का भवन निर्माण, रख–रखाव, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण। ■ राजकीय नलकूप का रख–रखाव, हैण्डपम्प। ■ युवा कल्याण, अखाड़ा, व्यायामशाला, युवक मंगल दल तथा खेलकूद। ■ चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी ग्राम स्तरीय कार्य एवं धनराशि सहित अन्य साधन। ■ महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी ग्राम स्तरीय कार्य एवं धनराशि। ■ राशन की दुकान । ■ पशु सेवा केन्द्र एवं 'द' श्रेणी के पशु चिकित्सालय। ■ समस्त कृषि सम्बन्धी कार्य एवं धनराशि। ■ ग्राम्य विकास से सम्बन्धित ग्राम स्तरीय कार्य। ■ पंचायती राज से सम्बन्धित समस्त ग्राम स्तरीय कार्य। ■ सभी प्रकार की पेंशन को स्वीकृत करने एवं वितरण करने का अधिकार ग्राम

पंचायतों को। ■ पेंशन के नये मामलों के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर प्राथमिकता के क्रम में पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की जायेगी। केवल विकलांग पेंशन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक के प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होगी अन्य में नहीं।

9.3 विकेन्द्रीकरण व्यवस्था में कार्यों के करने में पारदर्शिता हेतु किये गये प्राविधान

पंचायतों का कार्य समितियों के माध्यम से किया जायेगा तथा निर्णय लेने का अधिकार किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को न होकर समितियों में निहित होगा। ये समितियाँ निम्न हैं –

1. नियोजन एवं विकास समिति,
2. शिक्षा समिति,
3. निर्माण कार्य समिति,
4. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति,
5. प्रशासनिक समिति,
6. जल प्रबन्धन समिति,

इनमें मात्र प्रशासनिक समिति का सभापति ग्राम पंचायत प्रधान होगा तथा शिक्षा समिति में उप प्रधान एवं अन्य समितियों में ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य सभापति होंगे।

अभिलेख प्राप्त करने का अधिकार : ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत सचिव की अभिरक्षा में होंगे। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्रामवासी को प्रथम 5 पृष्ठ तक 5 रु0 तथा अतिरिक्त पृष्ठ पर प्रति पृष्ठ 1 रु0 शुल्क देकर किसी भी अभिलेख की प्रति लेने का अधिकार होगा और यदि सचिव 3 दिन में अभिलेख की प्रति नहीं उपलब्ध कराता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसकी शिकायत खण्ड विकास अधिकारी या जिला पंचायत राज अधिकारी को करें।

ग्राम पंचायतों की बैठकें : ग्राम पंचायतों की बैठकें प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी तो सम्पूर्ण प्रदेश में माह के दूसरे बुधवार को भी यदि बैठकें समय से नहीं आयोजित की जाती है तो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 व 96 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जा सकती है।

जिन ग्राम पंचायतों में महिलाएं प्रधान हैं वहाँ ग्राम पंचायत की अध्यक्षता महिला प्रधान ही करेगी और महिला प्रधान के रिश्तेदारों का ऐसी बैठकों में प्रवेश वर्जित होगा। निर्वाचित महिला पदाधिकारियों के कार्यालयों में भी सामान्यतया उनके रिश्तेदारों का प्रवेश वर्जित होगा।

ग्राम पंचायतों द्वारा अपने समस्त कार्यकलापों, प्राप्त आय, प्राप्त धनराशि तथा समस्त व्ययों का विस्तृत हिसाब–किताब रखा जायेगा और इसे ग्राम सभा की छमाही बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

ग्राम पंचायतों और उनके पदाधिकारियों द्वारा पंचायत राज अधिनियम के अनुसार कार्य न करने पर राज्य सरकार के अधिकार :– धारा 95 के अनुसार राज्य सरकार किसी भी अचल सम्पत्ति या निर्माण कार्य या अभिलेख का निरीक्षण करा सकती है, किसी भी विषय की जाँच करा सकती है तथा यदि ग्राम पंचायत ने पद का दुरूपयोग किया है तो उसे विघटित कर सकती है।

धारा 93 के अनुसार नियत प्राधिकारी ग्राम पंचायत को ऐसे कार्यों को करने से रोक सकता है जिससे जन शान्ति में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

9.4 क्षेत्र पंचायत को सौंपे गये कार्य

1. ग्राम्य विकास के कार्यक्रम :– क्षेत्र पंचायत स्तर से चलाये जाने वाले ग्राम्य विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन क्षेत्र–पंचायतों द्वारा किया जायेगा। ग्राम्य विकास के कार्यों को सम्पादित करने वाले विकास खण्ड स्तरीय सभी अधिकारी एवं कर्मचारी क्षेत्र पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेंगे। विकास खण्ड स्तरीय ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए आवश्यक धनराशि सीधे क्षेत्र–पंचायतों को दी जायेगी।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :– विकास खण्ड स्तर पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्र–पंचायतों के स्वामित्व में होंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन क्षेत्र–पंचायतों द्वारा किया जायेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सभी चिकित्सक और स्टाफ क्षेत्र–पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेंगे। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि, दवाईयाँ तथा अन्य सामग्री क्षेत्र–पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3. पशु चिकित्सालय :– विकास खण्ड स्तर पर स्थित पशु चिकित्सालय क्षेत्र–पंचायतों के स्वामित्व में होंगे। पशु चिकित्सालय का संचालन क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जायेगा। पशु चिकित्सालय के सभी और स्टाफ क्षेत्र–पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेंगे। पशु चिकित्सालय से सम्बन्धित कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि, दवाईयाँ तथा अन्य सामग्री क्षेत्र–पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

4. बीज केन्द्र :– विकास खण्ड स्तर पर स्थिति बीज केन्द्र क्षेत्र–पंचायतों के स्वामित्व में होंगे। बीच केन्द्र का संचालन क्षेत्र–पंचायत द्वारा किया जायेगा। बीज केन्द्र का समस्त स्टाफ क्षेत्र–पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेगा। बीज केन्द्र से सम्बन्धित कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि तथा अन्य सामग्री क्षेत्र–पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

5. विपणन गोदाम :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु विकास खण्ड स्तर पर स्थित विपणन गोदामों के पर्यवेक्षण का पूर्ण अधिकार क्षेत्र पंचायत को होगा।

6. एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्य :– ऐसे कार्य जो एक से अधिक ग्राम–पंचायतों में किये जाने हैं, क्षेत्र–पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किये जायेंगे। ऐसे कार्यों को सम्पादित करने के लिए आवश्यक धनराशि शासन द्वारा क्षेत्र–पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. सम्पत्तियों का रख–रखाव :– क्षेत्र–सम्पत्तियों को हस्तान्तरित कार्यों से सम्बन्धित विभागीय परिसम्पत्तियाँ क्षेत्र–पंचायतों को हस्तान्तरित की जायेंगी। इन परिसम्पत्तियों के रख–रखाव का दायित्व क्षेत्र पंचायतों का होगा। क्षेत्र–पंचायतों को हस्तान्तरित विभागीय परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि शासन द्वारा क्षेत्र–पंचायतों को दी जायेगी।

क्षेत्र पंचायतों को भी आन्तरण (Devolution) में अंश :– क्षेत्र पंचायतों को राज्य के करों की आय में से ग्रामीण निकायों को किये जाने वाले अन्तरण की धनराशि का 10 प्रतिशत अंश प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि से क्षेत्र पंचायतें ऐसी परियोजनायें जिनका सम्बन्ध एक से अधिक ग्राम से है, क्रियान्वित करेंगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था

क्षेत्र–पंचायतों में होने वाले कार्यों का सम्पादन समितियों द्वारा :– क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गये कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किये जायेंगे। क्षेत्र–पंचायत के कार्यों को करने के लिए 6 समितियाँ गठित की जायेंगी। 1. नियोजन एवं विकास सतिमि, 2. शिक्षा समिति, 3. निर्माण कार्य समिति, 4. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, 5. प्रशासनिक समिति, 6. जल प्रबन्धन समिति।

क्षेत्र पंचायत के कार्यों को सम्पादित करने के लिए किसी ''व्यक्ति'' या ''पदाधिकारी'' को देने के स्थान पर ''समितियों'' को अधिकार प्रदान किए जायेंगे ताकि निर्णय सामूहिक विचार–विमर्श के आधार पर पारदर्शी रूप में किए जा सकें।

ग्राम पंचायतों से अपेक्षा :–

- विकास से संबंधित योजनाओं हेतु लाभार्थियों का चयन गांव सभा की खुली बैठक में निष्पक्ष रूप से किया जाये।
- सम्पूर्ण पारदर्शिता बनाये रखने हेतु ग्राम पंचायतें सार्वजनिक स्थल पर सूचना पट लगाकर उस पर वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों का विवरण, लाभार्थियों की सूची, निर्माण कार्य की कुल लागत, निर्माण कार्य कब शुरू होगा तथा कब पूरा होगा आदि का स्पष्ट उल्लेख करें।
- समस्त कार्य समितियों की देखरेख तथा पर्यवेक्षण में ही करायें।
- ग्रामवासियों को अपने घर के पास व्यक्तिगत शौचालय बनवाने हेतु प्रोत्साहित करे।
- ग्रामवासियों को अपने घर के अन्दर एवं घर के आस–पास सफाई रखने हेतु प्रोत्साहित करे।
- रूके हुए सार्वजनिक पानी की निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करे।

ग्रामीण नागरिकों से अपेक्षाएँ :–

- पीने और भोजन बनाने के लिए हैण्ड पम्प, नल तथा स्वच्छ कुओं का ही उपयोग करें।
- केवल शौचालय में ही शौच जायें।
- शौच के बाद तथा खाने से पूर्व साबुन या राख से हाथ अवश्य साफ करे।

- प्रतिदिन मंजन या दातून से दांत साफ करें तथा स्नान कर स्वच्छ व धुले हुए कपड़े पहनें।
- पीने के पानी तथा खाने की वस्तुएँ सदैव ढक कर रखें।
- घर स गंदापानी की उचित निकासी करते हुए उसे बड़ी नालियों से जोड़ें।
- गांव की महिलाएं शौच, स्नान तथा कपड़े धोने के लिए महिला शौचालय काम्पलेक्स का प्रयोग करे।

ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कार्यों के लिए निम्न से सम्पर्क स्थापित करें :–

- ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों, महिला काम्पलेक्स, स्कूल शौचालय, ग्रामों में खडन्जा/नाली निर्माण, पंचायत भवन निर्माण, हैण्डपम्पों की मरम्मत, खराब ट्यूबेलों की मरम्मत आदि के लिए ग्राम पंचायत के प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सम्पर्क करें।
- आवश्यकतानुसार खण्ड विकास अधिकारी/सहा0 विकास अधिकारी (पं0) जिला स्तर पर जिला पंचायतराज अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी से पत्र व्यवहार करें।
- किसान सेवा केन्द्र तथा तहसील दिवसों पर उपस्थित होकर सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर अपनी समस्याओं का निराकरण करायें।

9.5 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

यह अभियान क्या है ? :– इस अभियान का उद्देश्य पंचायत राज विभाग द्वारा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के घरों में शौचालय बनवाना, प्राइमरी एवं जू0हा0 स्कूलों में शौचालय बनवाना तथा चुने हुए गांवों में महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाना प्रमुख है। इसके अतिरिक्त साफ–सफाई के प्रति जागृति पैदा करना, प्रदूषण रहित वातावरण तैयार करना, गन्दगी से होने वाली बीमारियों के प्रति सभी को जानकारी देना, साफ पीने के पानी के उपयोग के लिए प्रेरित करना भी इसका उद्देश्य है।

शौचालय के क्या फायदे हैं ? :– शौचालय मल–मूत्र त्याग के लिए एक कमरा होता है। घर में या उसके पास इसके बन जाने से शौच करने में सुविधा होती है, जिससे परिवार के लोगों विशेषकर महिलाओं की इज्जत–आबरू की रक्षा करने, गर्भवती महिलाओं, बीमारों, बच्चों, वृद्धजनों को सुविधा प्रदान करने में सहायता मिलती है। तपती धूप, मूसलाधार वारिश, कड़कड़ाती ठंढ से बाहर शौच से मुक्ति मिलती है।

इससे क्या फायदे हैं ? :–

1. बाहर खुले में टट्टी, पेशाब करने से गंदगी के कारण होने वाले रोगों जैसे– पेचिस, हैजा, टायफाइड, पीलिया आदि से प्रतिवर्ष एक परिवार औसत रु0 2500.00 दवाइयों व डाक्टर की फीस पर खर्च करता है। शौचालय बन जाने से अनेक बीमारियों और उसके साथ ही पैसों की बचत होगी।
2. खुले मैदान में टट्टी, पेशाब न करने से वायु एवं जल प्रदूषण में कमी आती है एवं वातावरण स्वच्छ रहता है।
3. अंधेरे मे महिलाओं द्वारा शौच के समय गुंड़ों द्वारा छेड़छाड़ व बलात्कार की घटनाओं से बचा जा सकता है।
4. शौचालय में शौच करना सभ्य समाज के लिए उचित है तथा बाहर मल–त्याग करना अनुचित है।
5. गंदगी से होने वाले रोगों के कारण गांव में आदमी के काम का हर्जा होने से प्रतिवर्ष प्रति परिवार औसत कम से कम रु0 1000.00 का नुकसान होता है। शौचालय बन जाने से यह नुकसान नहीं होगा।

कम कीमत का शौचालय क्या है ? :–

1. इसमें दो तरह के शौचालय बनाए जाते हैं। पहला 625 रुपये की लागत से जिसमें 125 रुपये लाभार्थी देगा तथा 500 रु0 सरकार देगी।
2. दूसरा 1000 रुपये की लागत से, जिसमें 500 रु0 सरकार देगी तथा 500 रु0 लाभार्थी देगा। दोनों तरह के शौचालयों में कुर्सी स्तर तक का निर्माण इस योजना के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा कुर्सी के ऊपर का भवन लाभार्थी अपनी इच्छा के अनुसार बनवाएगा।

शौचालय बनवाते समय ध्यान दें :–

1. गड्ढे को 4 फिट गहरा रखा जावे, 2. इसका ब्यास (बीचो–बीच चौडाई) अन्दर से 3 फिट हो। 3. हैण्डपम्प से शौच का गड्ढा कम से कम 10 मीटर दूर हो।

शौचालय कितने साल चलेगा :–

शौचालय का गड्ढा मात्र 4 फिट गहरा होता है। फिर भी 5 आदमी के परिवार के लिए 5 से 6 साल में यह गड्ढा भरता है। एक गड्ढा भरने पर शौचालय के बगल में छूटी हुई जगह पर दूसरा गड्ढा ठीक उसी तरह का बनवाया जाता जाएगा, जिसको पाइप से जोड़कर शौचालय का प्रयोग चालू रखा जायेगा। इस प्रकार यह बराबर काम करता है।

कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1. उच्च अनुदान से न्यून अनुदान की तरफ पहल।
2. माँग आधारित प्रक्रियां
3. लाभार्थियों को वरीयता और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप तकनीक में सुधार।
4. जनपद स्तर तथा ब्लाक स्तरपर अवस्थापकीय सुविधाओं यथा–उत्पादन केन्द्र। ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्रों की स्थापना।
5. सघन प्रचार–प्रसार पर अत्यधिक बल।
6. स्कूल स्वच्छता पर बल।
7. शौचालय, उत्पादन केन्द्रों/स्वच्छता सेवा केन्द्रों के स्थापना के लिए वित्तीय संस्थाओं से संसाधन उपलब्ध कराया जाना।
8. भारत सरकार और राज्य सरकार की ग्राम विकास योजनाओं यथा आई0सी0डी0एस0, इन्दिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना के साथ मिलकार पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना।
9. सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों और स्वयं सहायता समूहों को कार्यक्रम से जोड़ा जाना।

विशेष :

शौचालय बनवाने हेतु आवेदन पत्र समीप के स्वच्छता सेवा केन्द्र में अथवा बी0डी0ओ0/ए0डी0ओ0 (पंचायत) को जमा करके अंशदान की रसीद प्राप्त कर लें। एक माह में शौचालय न बनने पर सी0डी0ओ0/डी0पी0आर0ओ0 से सम्पर्क करें।

भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता के उपरान्त सार्थक जन आन्दोलन में भागीदारी करके यह सिद्ध कर दिया है कि वे जिम्मेदार व साहसी हैं। चिपको आन्दोलन, शराबबंदी आन्दोलन व साक्षरता अभियान जैसे सार्थक उद्देश्यों में तत्परता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंचायत राज कानूनों के अन्तर्गत महिलाओं की संख्या में वृद्धि एवं उनकी मुस्तैदी के साथ कार्य निष्पादन से अच्छे परिणाम देश के पूरे ग्रामीण समाज के सम्मुख आने लगे हैं।

9.6 ग्यारहवां वित्त आयोग

ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर अवमुक्त धनराशि भारत सरकार द्वारा नागरिक सुविधाओं जिनमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, श्मशान स्थलों एवं कब्रगाहों का रख–रखाव, जनसुविधाओं और अन्य सार्वजनिक सम्पत्तियाँ आती हैं के रख–रखाव/मरम्मत पर व्यय करने के निर्देश दिये गये हैं इसमें किसी अन्य योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है।

अवमुक्त धनराशि एवं उपभोग प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायतों को अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लेना होगा। धनराशि के उपभोग के उपरान्त प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण–पत्र सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को भेजेगी, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि इस धनराशि का व्यय वेतन आदि पर नहीं किया गया है ।

खण्ड विकास अधिकारी अपने क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों के उपभोग प्रमाण–पत्र संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी को समयान्तर्गत भेजेंगे और जिला पंचायत राज अधिकारी को अपने जनपद को आवंटित ध नराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को भेजेंगे यह स्पष्ट होगा कि उपयुक्त धनराशि वेतन आदि पर व्यय नही की गयी है।

राज्य वित्त आयोग

राज्य वित्त आयोग द्वारा अवमुक्त धनराशि निम्नलिखित मदों में व्यय होगी :

1. *सार्वजनिक लैम्प पोस्टों के रख–रखाव के कार्य हेतु।*
2. *गांवों में स्थापित हैण्ड पम्पों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु*
3. *ग्राम पंचायतों में स्थापित परिसम्पत्तियों जैसे– प्राथमिक पाठशाला, पंचायत भवन, ए0एन0एम0 सेन्टर तथा अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु।*
4. *विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित मार्ग/खड़ंज्जा नाली के रख–रखाव हेतु।*
5. *जल निकासी, स्वच्छता कार्यक्रम एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु।*

9.7 निर्माण कार्य की गुणवत्ता स्वयं जाँचें

पंचायतों व विकास विभाग द्वारा जनपद भर में अनेक निर्माण कार्य स्वर्ण जयंती सुनिश्चित रोजगार योजना, बुन्देलखण्ड विकास निधि पूर्वांचल विकास निधि, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, सासंद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, दशम वित्त आयोग आदि योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाते हैं। अक्सर ही इन कार्यों की गुणवत्ता के बारे में शिकायते प्राप्त होती हैं। आम जनता व जागरूक नागरिकों का उत्तरदायित्व है कि वे स्वयं भी इन कार्यों की गुणवत्ता जाँचे एवं सही न पाये जाने पर उच्च अधिकारियों को शिकायत करें। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ हम छोटी–छोटी जाँच तरकीबें प्रकाशित कर रहे हैं–

खडंजा मार्ग : खडंजा मार्ग के निर्माण में प्रथम श्रेणी की सही आकार की ज्यादा पकी हुई गेरूआ रंग की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। यदि दो ईंटों को आपस में टकराया जाय तो इसमें से धातुनुमा ध्वनि निकलती है। इन ईंटों को लगभग एक मीटर की ऊँचाई से गिराने पर ये न तो चटकती है और न ही टूटती है। एक वर्ग मीटर खडंजा बिछाने में कुल 59 ईंटों का प्रयोग किया जाता है। खडंजा मार्ग की चौड़ाई 3.30 मीटर पटरी होनी चाहिए ताकि ईंटें मिट्टी के सहारे टिकी रहे तथा वाहनों के आवागमन में भी कोई बाधा न उत्पन्न हो। खड़ंजा बिछाने का कार्य सड़क पर पड़ी मिट्टी के ठोस हो जाने के उपरान्त ही किया जाता है। ईंटों को बिछा देने के बाद ईंटों के बीच की दरारों को स्थानीय मिट्टी द्वारा भर दिया जाता है। मार्ग बीच में हलका उठा हुआ तथा किनारों पर ढलुआ बनाया जाता है ताकि वर्षा के दिनों में मार्ग पर जल–जमाव न हो।

नालियों का निर्माण : मार्ग के प्रति किमी0 लम्बाई में कम से कम दो पुलियों का प्रावधान किया जाता है। पुलिया सामान्यतः ह्यूम पाइपों की ही बनायी जाती है। आवश्यकतानुसार नालों पर आर0सी0सी0 पुलिया भी बनायी जा सकती है। पुलियों के निर्माण में 600 मिलीमीटर 900 मि0मी0 तथा 1200 मि0मी0 व्यास के एन0पी0–2 ह्यूम पाइपों का प्रयोग किया जाता है। पुलिया के निर्माण में जहाँ पाइप रखा जाना है वहाँ 30 सेमी0 मोटाई में चूना, सुर्खी एवं ईंट की रोड़ी 1:2:6 अनुपात में अथवा कंक्रीट 1:4:8 के अनुपात में बिछाकर कुटाई की जाती है। पाइप के दोनों किनारों पर 'पैरावेट बाल' ईंट की चिनाई की बनाई जाती है ताकि पाइपों को स्थायित्व प्राप्त हो। एक पुलिया के निर्माण में सामान्यतः 3 पाइपों का प्रयोग किया जाता है। पाइपों को आपस में कालर से जोड़कर सीमेण्ट तथा मोटी बालू 1:2 अनुपात में मिलाकर ज्वाइन्ट को भरा जाता है। पुलिया तैयार हो जाने पर पाइप के ऊपर 60 सेमी0 मिट्टी अवश्य रखनी चाहिए तथा दोनों ओर पुलिया के ऊपर खडंजा बिछाया जाना चाहिए।

पक्की सड़कों का निर्माण : पूर्व निर्मित खडंजा मार्ग पर पक्की सड़क बनाते समय खडंजों को 'बेस कोट' मान लिया जाता है। खड़ंजें के ऊपर 10 सेमी0 मोटाई में 40–63 मिलीमीटर साईज की पत्थर की गिट्टी खोदकर मोटाई देखी जाये तो मोटाई/गहराई 7.00 सेमी0 से कम नहीं आनी चाहिए। एक कि0मी0 मार्ग पर इस प्रकार की गिट्टी की 330 घन मीटर मात्रा की आवश्यकता होती है जो लगभग 36 ट्रक होती है। यदि कच्चे मार्ग को पक्का किया जाना है तो इस गिट्टी की मोटाई 12 सेमी0 रखी जाती है। और इस प्रकार 396 घन मीटर गिट्टी की आवश्यकता पड़ती है जो लगभग 44 ट्रक होती है। इस सतह की कुटाई के उपरान्त 3.00 मीटर चौड़ाई में 25.50 मिलीमीटर गेज (साईज) की गिट्टी 10 सेमी0 में बिछाकर रोलर से कुटाई की जाती है। कुटाई के उपरान्त यदि गिट्टी खोदकर देखी जाए तो मोटाई 7.00 सेमी0 से कम नहीं होनी चाहिए। इस कार्य हेतु 300 घनमीटर गिट्टी की आवश्यकता पड़ती है जो लगभग 33 ट्रक होती है। दोनो सतह की कुटाई के उपरान्त प्रथम सतह तथा द्वितीय सतह का लेपन कार्य मैक्सफाल्ट (कोलतार) से किया जाता है। प्रथम सतह के लेपन कार्य में 16–44,4 मि0मी0 साईज तथा द्वितीय सतह के लेपन कार्य में 10–16 मिलीमीटर साईज की 'गिट्टी' का प्रयोग किया जाता है। दोनों सतह के लेपन में कुल 9.60 मीट्रिक तारकोल की आवश्यकता पड़ती है।

साईन बोर्ड : सभी प्रकार के मार्गों के प्रारम्भ में एस साईन बोर्ड लगाया जाता है जिस पर मार्ग की लम्बाई, लागत, निर्माण का वर्ष तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया जाता है। यह बोर्ड मार्ग के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। साथ ही निर्माण कार्य बार–बार तो नहीं किया जा रहा है, यह भी पता चलता है। जनता इन बोर्ड को छतिग्रस्त न करें तो फायदा उन्हीं का होगा।

भवन निर्माण : भवन निर्माण में प्रथम श्रेणी की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ईंटों की चिनाई में सीमेन्ट तथा बालू के मिश्रण का अनुपात 1:6 रखा जाता है। चिनाई के उपरान्त पानी से तराई का कार्य 10 दिन तक लगातार जारी रखना चाहिए। छत की स्लैब ढलाई एवं फर्श की तराई हेतु 21 दिन तक पानी से तर करके इन्हें रखा जाना चाहिए। प्रत्येक भवन निर्माण में फ्लोर से लगी हुई दीवारों पर 15 सेमी0 का डोडो होना चाहिए। डैम्प प्रूफ कोर्स, छत पर वाटर प्रफिंग का काम ध्यान देने योग्य है। यदि आवश्यक मात्रा में कम निर्माण सामग्री कार्यस्थलों पर डाले जाने की शिकायत मिलती है तो तत्काल संबन्धित विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर या मुख्य विकास अधिकारी या जिलाधिकारी को लिखें।

अध्याय – 10

शिक्षा विभाग की योजनाएँ

प्राथमिक शिक्षा का संचालन मूल रूप से ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किया जाता है। समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान तथा सचिव प्र0अ0 पदेन होते हैं। शेष ग्राम पंचायत के सदस्यों में से अन्य सदस्य होते है। ग्राम शिक्षा समिति को विद्यालय के विकास, मरम्मत, शिक्षा व्यवस्था के सुचारू संचालन का अधिकार होता है।

खातों का संचालन : निधि प्राथमिक विद्यालय के दो खाते होते हैं जिसका संचालन ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है।

10.1 विकास अभिदान निधि : प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों से रु0 1.00 प्रतिमाह कुल 10 माह हेतु शुल्क लिया जाता है। अनुसूचित जाति के छात्रों के अलावा 10 प्रतिशत अन्य गरीब छात्रों को इससे छूट दी जाती है। इस अभिदान से ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर विद्यालय के विकास हेतु एक बार में रु0 999.00 तक व्यय कर सकती है। उससे अधिक धन आहरण हेतु जिले स्तर पर जिला शिक्षा समिति से स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है।

10.2 ग्राम शिक्षा निधि : इस निधि में विद्यालय भवन के निर्माण, अतिरिक्त कक्षा निर्माण,संकुल भवन, शौचालय निर्माण आदि का धन जमा होता है,जिसका उपयोग उक्त निर्माणकार्यों हेतु ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है

शिक्षकों की नियुक्ति : किसी भी विद्यालय में पूर्ण कालिक बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों और पंचायत द्वारा नियुक्त शिक्षकों में कम से कम 3:2 का अनुपात होगा अर्थात् यदि विद्यालय में कुल 5 शिक्षक हैं तो कम से कम 3 पूर्ण कालिक बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त होंगे और अधिकतम 2 शिक्षक पंचायतो द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे।

सभी के लिए शिक्षा योजना : जनपद में विश्व बैंक पोषित सभी के लिए शिक्षा योजनान्तर्गत शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए निम्न योजनाएँ संचालित हैं–

1. ब्लाक संसाधन केन्द्र : शेष सभी वि0ख0 मुख्यालयों पर ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई है।

2. संकुल भवन : प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर संकुल भवन का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से हो रहा है। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं अध्यापकों को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करना है।

10.3 शिक्षामित्र योजना : प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा से उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुतः यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहाँ यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजनपरक योजना नहीं है। प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनको सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रशस्त करने का निर्णय लिया है :–

1. शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलनः–

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं के आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना

निदेशक द्वारा शेष जनपदों में शिक्षा निदेशक (बे0), द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अनुरूप किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्ही विद्यालयों में होगी जहाँ पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र 1:40 के आनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन :–

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक (बे0) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक (बे0)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों, जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थिति हों और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन–पाठन में समस्या रही हो, को वरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया :–

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अन्तर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत में जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है, के निर्धारित अर्हता धारा अभ्यार्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गाँव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से कोई अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किया जा सकेगा।

निर्देश/आर्हता/अधिमानी आर्हता एवम् आयु सीमा के अन्तर्गत अपने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवाएं सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट प्रारूप–1 में आवेदन पत्र अपने शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवम् जाति सम्बन्धी प्रमाण–पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकाएं तथा प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के दस दिन तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवम् उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के उनकी आर्हता/अधिमानी आर्हता तथा आयु के सम्बन्ध में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0, परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु प्रात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों मे 50 प्रतिशत महिला होगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जे ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में प्रथम रिक्त पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात् सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानकों के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते हैं तो दूसरी रिक्त अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जायेगा। सम्बन्धियों से तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवम् मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा माँ से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नहीं रखा जायेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवम् सहायतित है, कि सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना समाधान करने एवम् सम्बन्धित व्यक्ति विशेष जो शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवम् पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्रारूप–2 के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षा कार्य की अनुमति प्रदान की जाएगी।

यदि आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को शिक्षा मित्र के रूप में चयनित किया जा सकता है।

4. शिक्षा मित्र की अर्हतायें :–

शिक्षा मित्र (पुरुष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों से संस्थागत छात्र के रूप में बी0एड0/एल0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. शिक्षा मित्र का कार्यकाल :–

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरण संतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः इस रूप में कार्य करने का अवसर नहीं दिया जायेगा।

5. शिक्षा मित्र का मानदेय :–

शिक्षा मित्र को रु 2250/– प्रति माह का नियम मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी। शिक्षा सत्र मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरुद्ध शिक्षा समिति द्वारा उसे हटाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

7. शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण :–

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की

जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रु0 2250/– के स्थान पर रु0 400 /– का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिए चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रु0 200/– का मानदेय दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण अविधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

8. शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व :–

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा किन्तु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवम् मार्ग निर्देशन में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवम् दायित्वों के प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखतः इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयक के द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियो के सम्बन्ध में अन्य व्यवस्थायें शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 में संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तक संशोधित/परिवर्तित समझा जाए।

10.4 शिक्षा गारण्टी योजना : ग्राम पंचायत के ऐसे क्षेत्र जहाँ विद्यालय नहीं है, वहाँ पर भी बच्चों का शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक अभिनव योजना ''शिक्षा गारन्टी योजना'' के नाम से प्रारम्भ की गयी है :–

- शिक्षा गारन्टी योजना ऐसे प्रत्येक गाँव अथवा मजरे में चलायी जायेगी जहाँ एक किमी0 की दूरी तक कोई विद्यालय नहीं है तथा जहाँ 6 से 11 वर्ष आयु के कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध हों।
- इस योजना का संचालन पूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा।
- ग्राम पंचायतें इस योजना के लिए स्थल चयन करेगी। अध्यापन कार्य हेतु 1000 रु0 प्रतिमाह मानदेय पर अध यापकों को नियुक्ति करेंगी। यह व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा। चयनित व्यक्ति को 'आचार्य जी' कहा जायेगा। ये शिक्षक अंशकालिक (एक शिक्षण सत्र हेतु) होंगे।
- आचार्य जी के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इस योजना में संचालित वैकल्पिक विद्यालय को 'विद्या केन्द्र' कहा जायेगा। विद्या केन्द्रों में पीने के पानी व शौचालय की व्यवस्था यथा सम्भव ग्राम पंचायतें करेंगी।
- इस योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा पाठय पुस्तकें निःशुल्क दी जायेगी तथा इन विद्यालयों के कक्षा 1 से 2 तक शिक्षा प्राप्त बच्चों को नियमित विद्यालयों की कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा।

प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के विस्तार हेतु ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकार देने के लिये शिक्षामित्र योजना प्रारम्भ की गयी है।

- ***प्रदेश में अपेक्षित साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अध्यापकों की कमी को दूर करने की दिशा में शिक्षा मित्र योजना ग्राम पंचायतों की देख–रेख में संचालित होगी।***
- ***इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शिक्षित व्यक्तियों को 2250 रु0 के नियत मानदेय पर शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर रखा जायेगा। यह व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा।***
- ***संविदा पर नियुक्त ऐसे व्यक्ति को 'शिक्षा मित्र' कहा जायेगा।***
- ***शिक्षा मित्र का चयन ''ग्राम शिक्षा समिति'' करेगी।***
- ***शिक्षा मित्र की न्यूनतक योग्यता इण्टरमीडिएट होगी।***
- ***इस योजना में 50 प्रतिशत शिक्षा मित्र महिलायें होंगी।***
- ***इस योजना के माध्यम से प्रदेश में अपेक्षित अध्यापक–छात्र अनुपात को मानक के अनुसार सुनिश्चित किया जा सकेगा।***

अध्याय – 11

जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग की योजनाएँ

11.1 युवक एवं महिला मंगल दल : ग्रामीण अंचल में बिखरी हुई युवा शक्ति को संगठित करके उन्हें रचनात्म्क कार्यो में लगाना, युवक/महिला मंगलदल के गठन का प्रथम उद्देश्य है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक युवक तथा एक महिला मंगल दल का गठन होना होता है। ग्राम पंचायत का कोई युवक/युवती जिसकी उम्र 15 से 35 वर्ष हो इस दल के सदस्य बन सकते हैं। यह दल महिला समृद्धि, राष्ट्रीय बचत, परिवार कल्याण, वृक्षारोपण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा श्रमदान, विधवा विवाह, अस्पृश्यता निवारण, दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में भी सहयोग देता है।

युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन करना : नई पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत युवक/महिला मंगल दलों के गठन का अधिकार ग्राम पंचायतों को प्राप्त है। प्रत्येक युवक/महिला मंगल दल के अध्यक्ष/अध्यक्षा को रु0 225/– ग्राम प्रधान के ग्राम निधि खाते में हस्तांतरित किया जाता है, जिससे ग्राम प्रधान प्रत्येक दल को खेलकूद सामग्री क्रय करके उपलब्ध कराता है।

11.2 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता : इस विभाग द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर 16 वर्षीय बालक/बालिकाओं की खुली खेल–कूद प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। जनपद स्तर के विजयी प्रतिभागी मण्डल एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं।

11.3 ग्रामीण व्यायामशाला : प्रत्येक जनपद में व्यायामशालाएँ स्थापित किये जाने की योजना है, जहाँ प्रतिदिन युवक व्यायाम एवं जिमनास्टिक का अभ्यास करें। प्रत्येक विकास खण्ड में एक व्यायामशाला बनाने का सरकार का लक्ष्य है।

11.4 ग्रामीण स्टेडियम/अखाड़ा की स्थापना: भारत सरकार द्वारा इस विभाग के माध्यम से प्रत्येक विकास खण्ड में एक ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत 5 एकड़ भूमि ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क विभाग के नाम अभिलेखों में दर्ज कराकर भूमि हस्तान्तरित कराया जाता है। भूमि आयाताकार समतल होनी चाहिए। तभी भारत सरकार की शर्तों के अनुसार निर्माण कराया जा सकता है। भूमि उन्हीं विकास खण्डों, तहसील स्तर में चिन्हित की जायेगी, जहाँ पर अभी तक कोई स्टेडियम निर्माण न किया गया हो। इस योजना के तहत 50 प्रतिशत भारत सरकार, 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा धनराशि व्यय की जाती है।

11.5 व्यायाम शाला : प्रत्येक जनपद में व्यायामशालाएँ स्थापित है जो पंचायतीराज योजना के अन्तर्गत 1999 में शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों/प्रधानों को हस्तान्तरित की जा चुकी है, जिनमें ग्रामीण युवकों द्वारा शारीरिक संबर्धन खेल–कूद कार्यक्रम आदि किये जाते है।

11.6 ग्रामीण युवा विचार गोष्ठी : युवक/महिला मंगल दलों के युवकों द्वारा युवा विचार गोष्ठी का आयोजन प्रत्येक विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर कराया जाता था। परन्तु विगत 5 वर्षों से बजट उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण युवा विचार गोष्ठी आयोजित नहीं हो पा रही है।

यह भी जानिये

- ***'किसान बही' प्रत्येक किसान के पास होना अनिवार्य है, यह एक कानूनी दस्तावेज है, इसमें ज़मीन की ख़रीद–बेंच एवं रेहन रखने सम्बन्धी जानकारी तुरन्त तहसील कार्यालय से दर्ज करायें। किसान बही की प्रमाणिक फोटो प्रति देने पर खतौनी की नक़ल की आवश्यकता नहीं है सभी खतौनियों को कम्प्यूटरीकृत करके तहसील में रखा जा रहा है। अब खतौनी का नक़ल सीधे कम्प्यूटर से प्रिन्ट करके तहसील स्तर से ही प्राप्त की जा सकेगी।***
- ***'अपराध रहित' तथा 'वाद रहित' गाँव घोषित किये जा रहे हैं, इस कार्य में सरकार की मदद करें। वाद रहित पंचायतों को राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जायेगा।***
- ***किसान की पत्नी को किसान की मृत्यु की दशा में कृषि भूमि में पुत्रों के बराबर मालिकाना हक के रूप में, विरासत में दर्ज करने के आदेश द्वारा दे दिये गये हैं।***

अध्याय – 12

कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं,

12.1 किसान मित्र योजना :–

क्र. सं0	कार्यमद	देय अनुदान रुपये में	अभ्युक्ति
1	कृषक तकनीकि प्रशिक्षण	निःशुल्क प्रशिक्षण	खरीफ एवं रबी दो दिवसीय प्रशिक्षण।
2	किसान मित्र मान देय	200/– रु0	प्रति माह।
3	यात्रा भत्ता	50/– रु0	प्रति माह
4	जैव कल्चर	निःशुल्क	12 पैकेट
5	मृदा परीक्षण (सूक्ष्म तत्व)	निःशुल्क	05 नमूना प्रति किसान मित्र
6	कृषि साहित्य	निःशुल्क	कृषि एवं पशुपालन पत्रिका खरीफ, रबी एवं जायद।
7	मृदा परीक्षण किट	निःशुल्क	कृषि स्नातक मित्र हेतु।
8	वर्मा कम्पोस्ट	600/– रु0	कृषि स्नातक किसान मित्र क्षेत्र हेतु प्रति प्रदर्शन।

12.2 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (नेशनल एग्रीकल्चर इन्श्यूरेन्स स्कीम) (एन ए आई एस) :–

उद्देश्य : (क) प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों के कारण अधिसूचित फसल के बर्बाद हो जाने की स्थिति में किसानों को बीमा सुरक्षा तथा, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना । **(ख)** किसानों को कृषि में प्रगतिशील पद्धति अपनाने, अधिक मूल्य वाले आदानों का उपयोग करने तथा उच्चतरण प्रौद्योगिकी के अपनाए जाने को प्रोत्साहन देना। **(ग)** कृषि आय को विशेषकर आपदा के वर्षों में स्थायित्व प्रदान करने में सहायता प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएँ :

- यह योजना सभी किसानों, ऋण लेने वाले और नहीं लेने वाले दोनों, उनके जोतों के आकार पर विचार किए बिना, के लिए उपलब्ध है।
- ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य तथा ऋण नहीं लेने वाले किसानों के लिए वैकल्पिक
- बीमा राशि बीमाकृत क्षेत्र की तैयार फसल के मूल्य तक हो सकती है।
- सभी खाद्य फसल (मोटे अनाज, ज्वार,–बाजरा और दलहन), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसल जिसके संबंध में पर्याप्त वर्षों के आंकड़े उपलब्ध हैं, शामिल हैं।
- वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में सात फसले नामतः गन्ना, आलू, मिर्च, अदरक, प्याज और हल्दी इस समय शामिल किए गये हैं।
- प्रीमियम की दरे बाजरा और तिलहन के लिए 3.5 प्रतिशत और अन्य खरीफ फसलों के लिए 2.5 प्रतिशत है । गेहूँ के लिए 1.5, चना के लिए 1.55 प्रतिशत और मसूर के लिए 2.4 प्रतिशत है। यदि वास्तविक आँकड़ों के आधार पर निकाले गयी दर विहित दरों से कम हैं तो जो कम दर है, वह लागू होगी।
- वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में वास्तविक दरें ली जाती है।
- छोटे और सीमान्त किसानों को उनसे ली जाने वाली प्रीमियम का पचास प्रतिशत राज सहायता प्रदान की जाती है। राज सहायता 'सनसेट' आधार पर 5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दी जाएगी।
- निचले इकाई अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को कार्यान्वित करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि नई तकनीकि अर्थात् प्रायोगिक आधार पर 1999–2000 के रबी मौसम में जिले में आई0ए0एस0आर0आई0 द्वारा तैयार किए गए स्मॉल एरिया क्राप एस्टीमेशन एप्रोच अपनाई जाए।
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अलग एजेन्सी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

सहायता पद्धति : क्षतिपूर्ति दावों, कार्पस, ए एण्ड ओ व्यय, प्रचार छोटे और सीमान्त किसानों इत्यादि को प्रीमियम राज सहायता इत्यादि के मद में होने वाले व्यय आपस में 50:50 के आधार पर केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा वहन किये जाते हैं।

पात्रता : इस योजना के लिए नीति बनाने का कार्य केन्द्र सरकार का है। इस समय भारतीय साधारण बीमा निगम कार्यान्वयन एजेन्सी है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कार्यकलाप जी आई जी, ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं, राज्य सरकार और किसानों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं।

आवेदन करने की प्रक्रिया : प्रत्येक फसल के मौसम के आरम्भ में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जीआईसी के परामर्श से उस मौसम के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कवर किए जाने वाले क्षेत्रों को परिभाषित करती है। फसल बीमा का मासिक फसल वार और क्षेत्र वार ब्यौरा तथा प्रीमियम नोडल प्वाइंटों को प्रेषित कर दिये जाते हैं तथा नोडल प्वाइंट विभिन्न ऋण देने वाले प्वाइंटों से इस तरह की जानकारी मिल जाने पर इनकी जांच करती है तथा उन्हें जीआईसी को मासिक आधार पर नियत अंतिम तिथि तक भेज देती है।

ऋण नहीं लेने वाला किसान जो इस योजना में शामिल होना चाहता है, वह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रस्ताव फार्म भरेगा तथा प्रीमियम के साथ वाणिज्यिक बैंक के ग्रामीण शाखा अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा सहकारिता बैंक के पी0सी0एस0 में जमा करेगा। प्रस्ताव को स्वीकार करते समय शाखा अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा सहकारिता बैंक के अधिकतम सीमा इत्यादि विवरणों का सत्यापन करें। तत्पश्चात शाखा– पी0सी0एस0 का उत्तरदायित्व है कि वह बीमा राशि अधिकतम सीमा इत्यादि विवरणों का सत्यापन करें। तत्पश्चात विवरण समेकित किए जाते हैं तथा संबंधित नोडल प्वाइंटों को भेज दिये जाते हैं जिससे कि जी0आई0सी0 के राज्य स्तरीय फसल बीमा प्रकोष्ठ में सरकार की अधिसूचना में बुलाए गये दिनों के पहले पहुँच जाएं।

12.3 कृषि उत्पादन मण्डी समिति/मण्डी परिषद द्वारा संचालित सहायता/उपहार योजना

(1) समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना :– उत्तर प्रदेश के अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों के किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी समिति/परिषद के मजदूरों को कृषि कार्य करते समय दुर्घटना ग्रस्त होने पर अथवा मृत्यु होने पर अधिकतम रुपये 25,000/– तथा शारीकि क्षति होने पर न्यूनतम रुपये 750/– की आर्थिक सहायता रेखांकित चेक के माध्यम से दी जा रही है।

(2) खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना :– कभी–कभी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि प्राकृतिक आपदा अर्थात हवा यंत्रीकरण, मानवीय भूल के कारण खलिहान में आग लग जाती है। और क्षण भर में कठोर परिश्रम से उत्पन्न किया गया अन्न जल कर राख हो जाता है। ऐसी स्थिति में मण्डी परिषद द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना जिलाधिकारी के माध्यम से चलायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत जोत सीमा के आधार पर न्यूनतम रुपये 3000.00 तथा अधिकतम रुपये 6,000.00 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

(3) बखारी वितरण योजना :– कृषि ऊपज के समुचित भण्डारण हेतु मण्डी परिषद ने किसानों के लिए बखारी वितरण की योजना लागू की है। इसके अन्तर्गत दो तीन तथा पांच कुन्तल की बखारियों पर 33.33 प्रतिशत तथा 10 कुन्तल क्षमता की बखारियों पर 25 प्रतिशत अनुदान किसानों को दिया जा रहा है।

(4) छात्रवृत्ति योजना :– किसानों के प्रतिभावान बच्चे, जो कृषि की उच्च शिक्षा ले रहे हैं और रोजगारपरक शिक्षा सहित जो भविष्य में कृषि क्षेत्र को अपने विशेष ज्ञान का लाभ देगे उन्हें सम्पूर्ण स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु प्रदेश के 3 कृषि विश्वविद्यालयों, 2 कृषि संस्थानों तथा 23 कृषि महाविद्यालयों में कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मण्डी परिषद द्वारा छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जा रही है। प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय स्तर पर 25 छात्रों को रुपये 10,00 प्रतिमाह की दर से तथा प्रत्येक महाविद्यालय स्तर पर 11 छात्रों को रुपये 800 प्रतिमाह के हिसाब से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

(5) मण्डी आवक–कृषक उपहार योजना :– यह योजना ऐसे समस्त किसानों पर जो अपने स्वयं की भूमि पर खेती करके अपनी ऊपज नवीन मण्डी स्थलों में लाकर बेंचते हैं अथवा ऐसे किसान जो विधिवत पट्टे पर भूमि लेकर खेती करते हैं और अपनी ऊपज नवीन मण्डी स्थल में लाकर बेचते हैं पर लागू होगी इस योजना का मुख्य बिन्दु यह है कि किसान भाई अपनी ऊपज सुखाकर साफ कर अपने क्षेत्र के मण्डी स्थल पर ले जायें जहाँ बिक्री के उपरान्त 6 आर पर्चा (विक्रेता बाउचर) प्राप्त करें। रुपये ..... तक के मूल्य के 6 आर पर्चे पर एक इनामी कूपन समिति कार्यालय पर मिलेगा। यह कूपन प्रत्येक तिमाही और छः माही में लाटरी द्वारा निकाले जाने वाले इनाम से सम्मिलित किया जायेगा। प्रत्येक सम्भाग में निम्नलिखित इनाम किसान भाइयों को इन्हीं कूपन के आधार पर प्राप्त हो सकते हैं–

(क) त्रैमासिक ड्रॉ (सम्भाग स्तर पर)

उपहार	उपहार की वस्तु	प्रत्येक सम्भागों में उपहारों की संख्या
प्रथम	सीड ड्रिल	एक
द्वितीय	स्प्रेयर (कंधे पर टागने वाला)	दो
तृतीय	धातु निर्मित बखारी (पांच कुंतल)	तीन

(ख) छःमाही बम्पर ड्रा (संभाग स्तर पर)

प्रथम	ट्रैक्टर (35 हार्स पावर)	एक
द्वितीय	राइस ट्रांसप्लांटर	एक
तृतीय	पावर ट्रिलर	एक

उत्तर प्रदेश में मण्डी परिषद के 15 प्रकाशकीय सम्भागों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में प्रत्येक सम्भाग में प्रति त्रैमास 6 किसानों को तथा वर्ष में 3 किसानों को उपहार प्रदान करते हुए इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 450 किसानों को लाभान्वित किया जाता है ।

12.4 केन्द्र पुरोनिधानित स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन

1. इस योजना में जनपद में ऐसे कृषक पात्र होंगे जिनके पास पूर्व में ट्रैक्टर न हो।
2. लघु/सीमान्त कृषकों के 22.5 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति के हों।
3. इसके लिये जुलाई माह में आवेदन किया जा सकता है।
4. प्रति लाभार्थी 30,000 रु0 का अनुदान प्रति ट्रैक्टर अनुमन्य है।

12.5 मृदा भूमि परीक्षण

भूमि परीक्षण क्यों ? :– प्रत्येक पौधा/फसल को उचित ढंग से बढ़ने–फलने–फूलने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। नाइट्रोजन (नत्रजन), फासफोरस एवं पोटाश मुख्य पोषक तत्व हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि अमुक फसल के लिए कौन–कौन से पोषक तत्व चाहिए और उनकी भूमि में कितनी मौजूदगी है।

किसानों को समय–समय पर खेतों की मिट्टी की जाँच कर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अपने खेत से जो फसल लेने जा रहे हैं, उसकी भरपूर पैदावार के लिए कौन–कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में डालें। इस प्रकार उचित मात्रा में व संतुलित रूप से उर्वरक डालने से खर्च तो कम होगा ही पैदावार भी भरपूर मिलेगी।

भूमि (मिट्टी) की जाँच कब करायें ? :–

(1) जब भूमि में नमी कम हो।
(2) फसल की कटाई हो जाने अथवा परिपक्व खड़ी फसल में अथवा फसल बोने से एक–डेढ़ माह (30–45 दिन) पहले।
(3) प्रत्येक तीन वर्ष में फसल मौसम शुरू होने से पहले एक बार।

कैसे करायें? (मिट्टी नमूना लेने की विधि) :–

1. एक एकड़ क्षेत्र में लगभग 8–10 स्थानों से 15 सेमी0 के IVm आकार के गहरे गढ्ढे बनायें अथवा 15 सेमी0 लम्बा, 15 सेमी0 चौड़ा, 15 सेमी0 गहरा खोदकर मिट्टी बाहर फेंक दें। फिर गड्ढे की एक दीवार से ऊपर से नीचे तक लम्बवत एक पतली खुरपी से मिट्टी काटकर साफ कपड़े पर रखकर हर स्थानों से एकत्र मिट्टी को मिलायें।
2. मिट्टी के ढेर को 4 बराबर भागों में बाँटकर, आमने–सामने के दो हिस्सों की मिट्टी रखकर बाकी फेंक दें।
3. अब इस मिट्टी को साये में रखकर सुखा लें।

4. लगभग 1/2 किलों सूखे हुए मिट्टी के नमूने को कपड़े की थैली में भरकर नाम/खेत संख्या/फसल का नाम/किसान का नाम एवं पता लिखकर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (जिला स्तर/खंड स्तर पर अथवा चन्द्रभान गुप्त कृषि महाविद्यालय, बक्शी का तालाब, लखनऊ को प्रेषित करें।)

मिट्टी नमूना परीक्षण शुल्क :– प्रतिनमूना रु0 7/– बतौर शुल्क चार्ज किया जाता है, जो सब्सिडाइज्ड है।

12.6 जैव उर्वरकों का प्रयोग :– जैव उर्वरकों में कई प्रकार के पदार्थ प्रयोग में लाये जाते हैं :

1. कल्चर :– राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर तथा पी0एस0बी0 कल्चर प्रमुख हैं। यह सभी कल्चर एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं।

क. राइजोबियम कल्चर :– दलहनी फसलों के बीज को 200 ग्राम कल्चर पैकेट से 10 कि0ग्रा0 का उपचार करके बुवाई करने से जड़ों की ग्रन्थियों में बैक्टीरिया द्वारा वायुमण्डल की नाइट्रोजन को स्थिर करके नत्रजन की आपूर्ति करते हैं। इसके प्रयोग से फसल उत्पाद में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है। साथ ही 10 से 20 कि0ग्रा0 रासायनिक नत्रजन की बचत प्रति हे0 होती है। अलग–अलग फसलों के लिये अलग–अलग कल्चर प्रयोग में लाये जाते हैं। एक पैकेट कल्चर को 500 मिली0 पानी मे डालकर तथा उसमें 50 ग्राम गुड़ मिलाकर घोल बनाया जाता है। जैव उर्वरक के इस घोल को बीजों पर धीरे–धीरे डालें तथा हाथ से तब तक मिलाते जायें जब तक कि सभी बीजों पर समान परत न बन जाये। उपचारित बीजों को किसी छायादार स्थान पर फैलाकर 10–15 मिनट तक सुखा लेने के बाद बुवाई करें।

ख. एजोटोबैक्टर :– यह जैव उर्वरक मुक्त नत्रजन का स्थिरीकरण करता है, जिसका प्रयोग किसी भी फसल में (दलहनी फसल को छोड़कर) किया जाता है। इसमें 10–15 प्रतिशत उपज में वृद्धि के साथ–साथ 20–30 कि0ग्रा0/प्रति हे0 नत्रजन की बचत भी होती है। इसके प्रयोग से अंकुरण शीघ्र व पौधा स्वस्थ होता है।

ग. पी0एस0बी0 कल्चर :– इसका प्रयोग सभी खाद्यान्न फसलों में मृदा की स्थिर फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलने के लिए किया जाता है।

2. खेतों/तालाबों में उगाकर खाद के रूप में प्रयोग किये जाने वाले पदार्थ :–

इसमें दो खादे प्रमुख है।

क. हरी खाद :– ढैंचा, सनई आदि को सिंचाई देकर खेतों में बोया जाता है तथा इसे डेढ़ से दो महीने के बीच खेत में जुताई करके पलट दिया जाता है तथा हल्की सिंचाई कर खेत में सड़ाया जाता है। यह हरी खाद खेतों में कार्बनिक पदार्थों के साथ ही नत्रजन आदि उपलब्ध कराने में सहायक होती है। यह खेत की उर्वरता को बनाये रखने के लिए तथा मिट्टी को स्वास्थ्य बनाये रखने में सहायक होती है।

ख. नील हरित शैवाल :– यह एक प्रकार की काई है तथा संरक्षित तालाबों में पैदा की जाती है। इसका प्रयोग धान के खेत में रोपाई के एक सप्ताह के बाद उस समय किया जाना चाहिए जब खेत में कम से कम 4 से0मी0 पानी भरा हो। इसका प्रयोग 12.5 कि0ग्रा0 प्रति हे0 की दर से किया जाता है। अगर धान में किसी रासायनिक खाद अथवा रसायन का प्रयोग किया गया हो तो ऐसी स्थिति में इस नील हरित शैवाल का प्रयोग 3 से 4 दिन बाद करना चाहिए।

3. कम्पोस्ट :– जानवरों के गोबर, मूत्र, बचे हुय चारे और उनके बिछावन को विधिवत सड़ाकर कम्पोस्ट तैयार की जाती है जिसे भूमि की तैयारी से पहले खेत में डाला जाता है। इसके लिये गांव के बाहर गड्ढे खोदकर उसमें प्रतिदिन उपलब्ध होने वाला गोबर आदि विधिपूर्वक इकट्ठा करते रहना चाहिये।

4. वर्मी कम्पोस्ट :– भूमि की उर्वराशक्ति बढ़ाने में केचुओं का बहुत बड़ा योगदान है। गलत ढंग से खेती करने तथा जैविक खादों का प्रयोग घट जाने से भूमि में केचुओं की संख्या में कमी आयी है जिसके कारण मृदा के भौतिक, रसायनिक एवं जैविक गुणों में असन्तुलन आ गया है। अतः केचुओं द्वारा तैयार खाद जिसे वर्मी कम्पोस्टर कहते हैं, का महत्व अधिक हो गया है। वर्मी कम्पोस्ट केचुये को कृत्रिम रूप से पालन करके तैयार किया जाता है। जिसमें केचुये उपस्थिति रहते हैं। इनका भूमि से प्रयोग करने से केचुओं की बढ़ोत्तरी होती है। भूमि में इनकी संख्या में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा उपलब्ध होती है, जो उत्पादन वृद्धि में योगदान करते हैं। वर्मी कम्पोस्ट छाया में तैयार किया जाता है, इसको तैयार करने के लिए कच्चा गोबर, कूड़ा–कचरा, पुआल आदि का प्रयोग करते हैं। इन पदार्थों में केचुये को डाल कर उनकी वृद्धि की जाती है। अधिकांश पदार्थ को केचुये अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और एक अच्छी खाद तैयार हो जाती है।

12.7 कृषि विभाग से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं :– संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा अधिक उत्पादन के लिए नवीनतम प्राविधिकी एवं तकनीकी के प्रसार के लिए राज्य सरकार समय–समय पर अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं चलाती है। इस समय कृषि उत्पादन से सम्बन्धित निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनायें चयनित जनपदों के चयनित विकास खण्डों में चलाई जा रही हैः

क्रमांक	योजना का नाम	विवरण
अ – उ प ज पालन	मैक्रोमैनेजमेन्ट आफ एग्रीकल्चर (सम्पूण प्रदेश)	यह योजना कृषि विकास एवं उत्पादन के लिए लाभदायी है।
1	एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (तीव्रगामी मक्का) (43 जनपद)	मक्का उत्पादन हेतु अत्यन्त लाभदायी योजना है।
2	कपास विकास एवं आधारित कपास बीज की योजना (25 जनपद)	कपास उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु
3	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (62 जनपद)	तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन हेतु
4	दलहन की फसलों के उत्पादन की योजना (64 जनपद)	दलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु
5	उ0प्र0 में फसलों के क्षेत्रफल एवं उसके उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों की रिपोर्ट तैयार करने की पद्धति के पुनः संगठित करने की योजना	–
6	कृषि सांख्यिकी के सुधार की योजना (सम्पूर्ण क्षेत्र)	कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों के एकत्रीकरण में आने वाली कठिनाई को दूर करने तथा फसलों के उत्पादन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए
7	फसल बीमा हेतु भारत के जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन की प्रीमियम का भुगतान (सम्पूर्ण प्रदेश)	फसलों की प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों तथा रोगों से क्षति की स्थिति में कृषकों को क्षतिपूर्ति के मुख्य उद्देश्य से।
8	कृषि में महिलाओं के प्रशिक्षण की योजना (एक जनपद)	केन्द्रीय योजनायेंः महिलाओं को कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कुटीर उद्योगों में दक्ष बनाकर आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु
	अन्य	
9	राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति विकास, विकास बोर्ड योजना (11 जनपद)	अप्रचलित क्षेत्रों में तिलहनी फसलों (सोयाबीन, मूँगफली अन्डी और कुसुम) को बढ़ावा देना।
	राज्य पोषित योजना	
10	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवम् बीज वर्धन प्रक्षेत्र (सम्पूण क्षेत्र)	गुणात्मक बीजों (जो क्रिटिकल इनुपट हैं) से सम्बन्धित संवर्धन कार्य के लिए योजना
11	किसान मित्र योजना (सम्पूर्ण क्षेत्र)	कृषि प्रसार में कृषकों की भागेदारी तथा प्रचार–प्रसार में उनके सक्रिय योगदान हेतु।
12	कृषि विकास निधि (सम्पूर्ण क्षेत्र)	कृषि विकास के लिए योजनाएं जो कार्यान्वत नहीं हैं तो उनका चलाया जाना आवश्यक हो तो इस निधि से संचालित की जायेंगी।
	मृदा एवं जल संरक्षण	
1	सोडिक लैण्ड रिक्लमेशन प्रोजेक्ट (विश्व बैंक) फेज–2 (17 जनपद)	प्रत्येक वर्ष 30 हजार हेक्टेयर भूमि का उपचार कर उसे फसल उत्पादन में लाया जायेगा। यह योजना विश्व बैंक पोषित है।
2	रिवाईन स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट (ई.सी.) (6 जनपद)	वर्ष 2001–2002 से योजना का क्रियान्वयन हुआ है जो अगले तीन वर्ष में 6 जनपदों यथा फिरोजाबाद, फतेहपुर, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, एवं बादा में संचालित की जा रही है।
3	वाटर शेड़ डेवलपमेन्ट अन्डर डब्लू0डी0एफ0 (नाबार्ड) (8 जनपद)	यह योजना वर्ष 2001–2002 से चालू हुई है तथा भारत सरकार के जलागम विकास कोष से 8 जनपदों यथा झांसी, जालौन, फतेहपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बहराइच, सोनभद्र तथा बलरामपुर में 5 वर्ष के लिए चलायी जानी है।
4	मैदानी क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण की योजना (4 जनपद)	थारू जनजाति के उत्थान हेतु क्षेत्र विशेष की योजना है जिसका चलाया जाना आवश्यक है।

अध्याय – 13

सिंचाई विभाग

लघु सिंचाई विभाग के कार्यक्रम : ''निजी सिंचाई की यही पहचान, अपना साधन अपना काम। कम लागत में बेहतरीन पानी, हर समय पर आवे काम ।''

13.1 निःशुल्क बोरिंग येजना : प्रदेश में निजी लघु सिंचाई साधनों का कृषि उत्पादकता बढ़ाने में विशेष योगदान है। स्वतंत्रता के पूर्व से ही प्रदेश में नहरों तथा राजकीय नलकूपों का प्रयोग हो रहा है परन्तु उन्नत कृषि के लिये अतिरिक्त सिंचाई साधनों की मांग मुख्यतः निजी लघु सिंचाई साधनों द्वारा ही पूर्ण की जा रही है। कृषकों द्वारा निर्मित इस प्रकार की विभिन्न योजनाओं में अष्ठम पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक आशातीत वृद्धि हुई है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना के अनुसार विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में हाईड्रम, गुल, हौज, मैदानी भाग में बोरिंग पम्पसेट तथा बुन्देलखण्ड एवं अन्य पठारी भाग में गहरे नलकूप ब्लास्टिंग द्वारा कूपों को गहरा, चेकडैम, बन्धी जैसे विशेष योजनाओं के अन्तर्गत लघु सिंचाई संसाधनों का निर्माण कार्य कराया जाता है। प्रदेश के भौगोलिक मंच पर जनपद बांदा पठारी भाग में आता है। यहाँ पर मात्र निःशुल्क बोरिंग पम्पसेट का कार्य ही कराया जाता है।

कार्य का स्वरूप : निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/ जनजाति के लघु एवं सीमान्त लाभार्थियों को निजी लघु सिंचाई साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बोरिंग निर्मित कर उपलब्ध करायी जायेगी तथा बोरिंग के उपयोग के लिए प्रत्येक बोरिंग पर एक पम्पसेट बनाया जायेगा। पम्पसेटों के लिये विभिन्न बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध है। बैंक द्वारा प्राप्त ऋण से पम्पसेट स्थापित करने पर ही लाभार्थियें को अनुदान देय है।

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम अनुदान निम्वत् है :

कृषक की श्रेणी	बोरिंग	पम्पसेट	कुल अनुदान
(अ) 1. सामान्य	रु0 3000/– प्रति बोरिंग	रु0 2800/– प्रति पम्पसेट	रु0 5800/
2. लघु कृषक (2.5 एकड़ से 5 एकड़)	रु0 4000/– प्रति बोरिंग	रु0 3700/– प्रति पम्पसेट	रु0 7750/
3. सीमान्त कृषक (2.5 एकड़ से कम)	रु0 4000/– प्रति बोरिंग	रु0 3700/– प्रति पम्पसेट	रु0 7750/
(ब) अनुसूचित जाति/जनजाति (एक एकड)	रु0 6000/– प्रति बोरिंग	रु0 5650/– प्रति पम्पसेट	रु011,6650/

निर्धारित लागत सीमा में बोरिंग पूर्ण होने के उपरान्त यदि धनराशि बचती है तो धनराशि से निर्धारित अनुदान सीमा तक कृषक की बोरिंग पर पम्पसेट की एक्सेक्रीज, रिफलेक्शन वाल्ब/डिलिवरी पाइप इत्यादि उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि लागत निर्धारित सीमा से अधिक आती है तो अतिरिक्त व्यय सम्बन्धित लाभार्थी/कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

लाभार्थी का चयन : कृषक को निःशुल्क बोरिंग के लिये चयन की प्रक्रिया निम्न अनुसार होगी। बहुउद्देशीय कर्मी द्वारा आर्थिक रजिस्टर के आधार पर ऐसे कृषकों की सूची तैयार की जायेगी जो चयन के लिये पात्र हों। यह भी देखा जायेगा कि सम्बन्धित कृषक/लाभार्थी पूर्व में लाभ ले चुके हैं तो उसे पात्रता सूची से हटा दिया जायेगा। इस सूची पर ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार किया जायेगा। यदि कोई कृषक अपना नाम चयन में लाना चाहते हैं तो उसका प्रपत्र भरवाकर पात्रतानुसार चयन कर लिया जायेगा।

चयन में प्राथमिकतायें एवं प्रतिबन्ध : चयन में निम्न प्रतिबन्ध एवं प्राथमितायें होगी –

चयन करते समय यह ध्यान दे कि जो बोलवेल/नलकूप स्थापित किये जा रहे हैं, वहाँ खेती होनी चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण है। जिन कृषकों की बोरिंग में पम्पसेट स्थापित किया जाना है उसके सम्बन्ध में यह ध्यान

रखा जाये कि प्रस्तावित नलकूप/पम्पसेट से लगभग 3 हेक्टेयर शुद्ध कृषि योग्य भूमि वर्ग सिंचाई सम्भव हो जाये।

अम्बेड़कर ग्रामों में बोरिंग निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

योजना में 0.5 हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषकों की व्यक्तिगत बोंरिग न की जाये। 0.5 हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषकों को प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में चिन्हित कर न्यूनतम चार या पांच कृषकों का समूह बनाया जाये और समूह बनने तथा उसके प्रभावी रूप से सक्रिय होने के उपरान्त समूह के लिए एक बोरिंग निर्मित की जाये। कृषकों के पारिवारिक विघटन एवं उत्तरोत्तर जोत में कमी होने के कारण समूह गठन पर विशेष बल दिया जाये।

सामग्री व्यवस्था : 100 एम0 एस0, एम0एस0 पाइप केन्द्रीय भण्डार के विकास खण्ड के माध्यम से कृषकों को श्रेणी के अनुसार दिया जाता है। सामान्य लघु कृषक को 3000 रुपये की लागत का पाइप तथा सीमान्त कृषक को 4000 रुपये की लागत का पाइप एवं अनुसूचित जाति के कृषकों को 6000 रुपये की लाग का पाइप प्रदान किया जाता है।

अवर अभियन्ता ल0स0 का यह दायित्व होगा कि किसी भी बोरिंग पर निर्धारण सीमा से अधिक व्यय न हो, यदि सीमा के अतिरिक्त धन आवश्यक है तो अन्तर वाली राशि नकद धन के रूप में जमा कराई जायेंगी, अथवा कृषक द्वारा सामग्री आदि के रूप में व्यय की जायेगी।

13.2 पम्पसेट स्थापना, अनुदान स्वीकृत एवं समायोजन

पम्पसेट अनुदान दिये जाने के बाद सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर समायोजन की कृषक वार मासिक सूचना लघु सिंचाई विभाग को दी जायेगी। पूर्व में उपलब्ध कराये गये अग्रिम अनुदान राशि का समायोजन प्राप्त होने के उपरान्त ही ल0सि0 विभाग द्वारा अनुदान की अगली किस्त की धनराशि बैंक को दी जायेगी।

खण्ड विकास अधिकारी इस सूचना को सम्बन्धित बैंक एवं सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को प्रत्येक माह में प्रेषित करेंगे और यदि ऋण स्वीकृत होने के तीन माह के अन्दर कृषक द्वारा पम्पसेट स्थापित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित बैंक द्वारा कृषक से रिकवरी करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

लाभार्थी को इस बात की पूरी छूट होगी कि वह अपने मन पसन्द के आई0एस0आई0 मार्क पम्पसेट खुले बाजार से इच्छा अनुसार खरीद सके। बैंकों द्वारा पम्पसेट क्रय हेतु भुगतान लाभार्थी के पक्ष में एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किया जायेगा।

मानवाधिकार

- जब गिरफ्तार व्यक्ति मारपीट पर उतारू हो, आततायी किस्म का हो या उसके भागने की सम्भावना हो तभी उसे हथकड़ी लगाई जायेगी अन्यथा नहीं (सुप्रीम कोर्ट निर्णय–प्रेम शुक्ला बनाम भारत सरकार)
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 एवं 75 के अन्तर्गत सभी को गिरफ्तार का कारण जानने व वारण्ट देखने का अधिकार है, अपनी पसंद के वकील से मशविरा करने तथा गिरफ्तारी के 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर किये जाने का अधिकार है।
- धारा 51 के तहत तलाशी में प्राप्त वस्तुओं की रसीद देने एवं सामान को सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था का प्रावधान है। Cr.P.C. धारा 53 (2) के तहत महिलाओं की तलाशी केवल महिला द्वारा अत्यन्त शालीनता से किये जाने का अधिकार है।
- गिरफ्तार व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने हेतु जानबूझकर गम्भीर चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 330 व 331 Cr.P.C. के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
- गिरफ्तार व्यक्ति की डाक्टरी जाँच का धारा 53 Cr.P.C. के तहत प्रावधान है। महिला का डाक्टरी परीक्षण महिला डाक्टर द्वारा या उसकी देखरेख में ही किया जा सकता है।
- हिरासत में रखे जाने की कुल अवधि 60 दिन से अधिक नहीं हो सकती।
- मजिस्ट्रेट धारा 94, 95, 97, 98 Cr.P.C. के तहत चोरी की वस्तु या दस्तावेज, अवैध फिल्में, गैर कानूनी या पाबंदित प्रकाशनों, जाली नोट छापने के उपकरणों, अपहृत व्यक्तियों आदि के लिये किसी भी भवन की तलाशी के आदेश दे सकता है। तलाशी के दौरान बरामद वस्तुओं की सूची बनाकर दो निष्पक्ष व्यक्तियों के हस्ताक्षर से रखी जायेगी, ऐसी सूची भवन स्वामी को प्राप्त करने का अधिकार है।
- धारा 436 Cr.P.C. के तहत यदि अपराध जमानत की श्रेणी में आता है तो अभियुक्त का जमानत पर रिहाई का कानूनी अधिकार है। महिलाएं, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या बीमार यदि प्रथम दृष्टि में उस अपराध में लिप्त होना प्रतीत नहीं होते तो जमानत पर रिहा किये जा सकतें हैं।

अध्याय – 14

भूमि एंव जल संरक्षण अनुभाग की योजना
जनसहभागिता आधारित राष्ट्रीय जलागम विकास योजना

14.1 जलागम विकास योजना

केन्द्र पोषित राष्ट्रीय जलागम योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत ऐसे जलागमों का चयन किया जाता है, जिनमें आश्रस्तपूर्ण सिचाई 30 प्रतिशत से कम हो। जनपदों में 500–500 हे0 के कुल 20 जलागमों का चयन योजनान्तर्गत कार्य हेतु किया गया है। इन चयनित जलागमों में जनसहभागिता आधारित भूमि एवं संरक्षण सम्बन्धी क्रिया–कलाप लिए जाते हैं। इसमें कार्यों का नियोजन, विभागीय कर्मियों (डब्ल्यू डी टी) की भूमिका सहयोगदाता की होती है।

उद्देश्य :

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास तथा सतत् प्रबन्ध एवं उनका उपयोग।

- सतत् तरीके से कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना।
- सिचित और वर्षा आश्रित क्षेत्रों के बीच विद्यमान असमानता को कम करना।
- ग्रामीण समुदायों के लिए जिसमें भूमिहीन लोग भी शामिल हैं, सतत् रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

14.2 भूमि एवं जल संरक्षण अनुभाग द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्य

1. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत से कार्य प्रस्ताव पारित होने तथा धन की उपलब्धता की दशा में भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य (तालाब निर्माण, जीर्णोद्धार, सिचाई व जल निकास नाली निर्माण, जल संचयी बांध, अपवाह प्रबन्ध ढांचे, जल एकत्रीकरण ढांचे व कन्टूर बंड्स आदि का निर्माण) किया जाता है।

2. बंजर भूमि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बनेतर बंजर भूमि तथा सुनिश्चित सूखा प्रवण/सूखोन्मुखी क्षेत्रों को विकसित किया जाता है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- भूमि की उर्वरता तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बंजर भूमि/अवक्रमित भूमि व सूखोन्मुखी क्षेत्रों को जल संग्रहण आधार पर विकसित करना।
- कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में रहने वाले संसाधनहीन गरीब लोगों तथा उपेक्षित वर्गों के समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
- सूखा तथा विषय जलवायुविक परिस्थितियों के कुप्रभाव को कम करना।
- प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, संरक्षण तथा विकास के द्वारा पारिस्थतिकीय सन्तुलन की पुनर्बहाली करना।

14.3 किसान क्रेडिट कार्ड

उद्देश्य : ऋण उपलब्ध कराने हेतु उसकी व्यवस्था के रूप में योजना का उद्देश्य बैंकों के माध्यम से किसानों को पर्याप्त तथा समय से ऋण उपलब्ध कराना है ताकि वह अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा कर सके तथा किफायती मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं को आसानी से खरीद सकें।

पात्रता : समस्त कृषक जो खेती करते है तथा जिनके नाम खेत है, पट्टेदार अथवा आवन्टी सभी किसान।

किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता

- सभी योग्य किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ऋण लेने वालों के लिए सालभर की उनकी ऋण आवश्यकता की पूर्ति होने में सहायक।
- 3 वर्षों के लिए ऋण की स्वीकृति, जिनकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जायेगी।
- आवश्यकता के समय किसानों को पर्याप्त ऋण की उपलब्धता।

15. सहकारिता विभाग

यह विभाग दो प्रमुख क्षेत्रों में अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करता है :–

1. कृषि क्षेत्र, 2. उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र । कृषि में कृषि ऋण सहकारी समितियाँ सदस्यों को आवश्यकतानुसार उर्वरक उन्नतशील बीज, कृषि रक्षा रसायन, उपकरण तथा यंत्र ऋण के रूप में प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त खरीफ तथा रबी अभियान में 11.5 प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराती है। जिसकी वसूली सहकारी कर्मचारियों एवं अमीनों से करायी जाती है। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में यही समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न तथा नियंत्रित वस्त्र आदि निर्धारित मूल्य पर वितरित करती हैं। नगर क्षेत्र में यही कार्य केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों एवं जिला सहकारी संघ की दुकानों के माध्यम से कराया जाता है।

सहकारी कृषक सदस्यों को फसली ऋण प्राप्त करने की सुगमता के लिए माँग के अनुरूप किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जाता है। सहकारी बकायेदार सदस्यों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा एक मुश्त समझौता योजना लागू की गयी है, जो 31 मार्च 2004 तक प्रभावी है। इसके अन्तर्गत पात्रता शर्तें एवं अनुमन्य राहत का विवरण निम्नवत् है :–

1. दीर्घकालीन ऋण : ऐसे बकायेदार सदस्य जिनसे बकाये की अवधि दिनांक 31.3.2006 को तीन वर्ष से अधिक अर्थात जो बकाया दिनांक 31.3.2000 के पूर्व का है।
2. जिनके बकाये की अवधि दिनांक 31.3.2000 के बाद तीन वर्ष से अधिक हो गयी है।

अल्पकालीन/मध्यकालीन ऋण

एक मुश्त समझौता समितियों के केवल उन्हीं बकायेदार सदस्यों के साथ किया जायेगा, जिन पर दिनांक 31.3.2000 को तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से बकाया ऋण था, अर्थात् जिन पर दिनांक 31.3.2000 या पूर्व से बकाया था। दिनांक 31.3.98 के बाद बकाया पड़े ऋण के सम्बन्ध में यह योजना लागू नहीं होगी।

1. दिनांक 31.8.02 तक बकाये की समस्त धनराशि अदा करने पर दिनांक 01.04.98 से अदायगी की तिथि तक ब्याज में शत प्रतिशत छूट।
2. दिनांक 31.08.02 के बाद 31 अक्टूबर 02 तक अदा करने पर दिनांक 01.04.98 से अदायगी की तिथि तक ब्याज में शत प्रतिशत छूट।
3. नवम्बर, 02 में अदा करने पर दिनांक 01.04.98 से अदायगी की तिथि तक देय ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट।
4. दिसम्बर, 02 में अदा करने पर दिनांक 01.04.98 से अदायगी की तिथि तक देय ब्याज का 25 प्रतिशत छूट।
5. संग्रह शुल्क 10 प्रतिशत की छूट

वर्तमान में सहकारिता को जन–जन तक पहुँचानें के उद्देश्य से सहकारिता महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके मुख्य बिन्दु अधोलिखित हैं।

- सहकारी सदस्यों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना।
- सहकारी समिति द्वारा नये सदस्यों को बनाना।
- सहकारी निष्क्रिय सदस्यों को सक्रिय करना।

मोटर वाहन एक्ट

- **ड्राइविंग लाईसेंस अनिवार्य है, 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति कार, 16 वर्ष से अधिक को मोपेट, 20 से अधिक का बस या ट्रक चलायेगा। संभागीय परिवहन अधिकारी आई0ए0आर0टी0ओ0 के दफ्तर में मेडिकल सर्टिफिकेट सहित लाईसेंस हेतु आवेदन किया जाये। पहले छः माह के लिये लर्निंग लाईसेंस दिया जाता है। इसे प्राप्त करने के एक माह बाद नियमित लाईसेंस हेतु आवेदन किया जा सकता है। भारी वाहनों हेतु ड्राईविंग स्कूल का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज 6 फोटो तथा निर्धारित फीस जमा करनी होती है।**
- **शराब पीकर गाड़ी चलाने के गम्भीर प्रकरण में अदालत ड्राइवर को गाड़ी चलाने के अयोग्य घोषित कर सकती है, दुर्घटना में गाड़ी से गम्भीर चोट या मृत्यु की स्थिति में ड्राइविंग लाईसेंस 6 माह के लिये या सजा की अवधि तक सस्पेंड रखा जाता है, इसके बाद एकदम नये सिरे से लाईसेंस बनेगा।**
- **ड्राइविंग स्कूलों में मोटरगाड़ी चलाने के सिद्धान्त, यातायात नियमों की शिक्षा, मोटर गाड़ी की मशीनरी की जानकारी व मरम्मत तथा प्राथमिक चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है।**
- **बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन सार्वजनिक स्थल में नहीं चला सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू में पन्द्रह साल तक वैध होता है। इसे अगले पांच सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक्ट की धारा 50 व 51 में विस्तृत जानकारी दी गई है।**
- **मोटर वाहन का मालिक यदि ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास लाइसेंस नहीं है और जो चलाने की योग्यता नहीं रखता, गाड़ी चलाने देता है तो उसे तीन माह की सजा या 1000 रुपये या दोनों की सजा दी जा सकती है। (धारा 108)**
- **अवैध या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 3 माह की सजा या 500 रुपये तक जुर्माना (धारा 181)**
- **निर्धारित सीमा के गति में गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये तक जुर्माना। (धारा 183)**
- **खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को पुलिस अधिकारी, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को दो वर्ष तक की सजा हो सकती है। (184)**

अध्याय – 16
मत्स्य पालन विभाग

जिला मत्स्य पालक विकास अभिकरण से मछली पालने वालों को मिलने वाली सुविधायें

सुविधाएं	पात्रता
■ **ग्राम पंचायत के तालाबों का पट्टा –** गाँव सभा के स्वामित्व के तालाबों का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टा तहसील स्तर पर शिविरों के माध्यम से उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है। पट्टा दिलाने में अभिकरण सहयोग प्रदान करता है।	2 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के तालाब सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्र के मछुआ समुदाय तथा अनु0 जाति एवं 2 हेक्टेयर से बड़े तालाबों को ग्राम सभा/न्याय पंचायत/वि0 खण्ड के पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को वरीयता क्रम मे आवंटित किये जाने का प्राविधान है।
■ **तालाब सुधार एवं उत्पादन निवेशों की सुविधा –** तालाब सुधार (गहरा करने, बन्धों के निर्माण तथा जल आवागमन द्वार के निर्माण) हेतु रु0 60,000/– तथा उत्पादन निवेशों (मत्स्य बीज, फीड, फर्टिलाईजर व पूरक आहार आदि) हेतु रू0 30,000/– कुल रु0 90,000 प्रति हेक्टेयर की दर से बैंक ऋण तथा सामान्य वर्ग का 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। यह सुविधा 0.2 हेक्टेयर से 0.5 हेक्टेयर तक अनुमन्य है।	ग्राम सभा के तालाब का पट्टा धारक अथवा निजी तालाब का स्वामी जो किसी अन्य योजना का बकायादार न हो।
■ **निजी भूमि पर तालाब निर्माण –** निजी स्वामित्व की उचित जल भराव एवं जल निकासी वाली भूमि अथवा भट्ठे के गड्ढों की निचली भूमि पर नये तालाबों के निर्माण हेतु रुपया 2.00 लाख प्रति हेक्टेयर बैंक ऋण तथा स्वीकृत ऋण पर सामान्य वर्ग को 20 प्रतिशत एवं अनु0जाति का 25 प्रतिशत की दर से अनुदान की सुविधा 0.2 से 5.0 हेक्टेयर तक के लिए दी जाती है।	निजी भूमि पर तालाब निर्माण कराने के लिए इच्छुक व्यक्ति।
■ **मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण –** मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन तकनीकों पर आधारित 10 दिवसीय अल्पकालीन प्रशिक्षण रुपया 50/– प्रति दिवस की दर से प्रशिक्षण प्रतिकार भत्ता की सुविधा सहित दी जाती है।	ऐसे मत्स्य पालक जिसके पास निजी स्वामित्व अथवा पट्टे पर तालाब उपलब्ध हो।
■ **एकीकृत मत्स्य पालन –** मछली के साथ बतख पालन, मुर्गीपालन एवं सुअर पालन कार्यक्रम हेतु रु0 80,000/–प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा तक बैंक ऋण तथा स्वीकृत ऋण पर सामान्य वर्ग को 20 प्रतिशत एवं अनु0 जाति को 25 प्रतिशत अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।	मत्स्य पालक जिसके पास पट्टे अथवा निजी स्वामित्व का तालाब उपलब्ध हो और उसमें संतोषजनक ढंग से मत्स्य पालन कार्य कर रहे हो।
■ **मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि –** 3000 कि0ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने हेतु तथा तालाबों में आक्सीजन की पूर्ति के लिए एरेटर की व्यवस्था हेतु रु0 50,000/– बैंक ऋण एवं स्वीकृत ऋण पर सभी वर्ग के मत्स्य पालकों को 25 प्रतिशत की दर से रु. 12500/– अनुदान की सुविधा दी जाती है।	3000 कि0ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष मत्स्य उत्पादन का स्तर प्राप्त कर चुके सभी वर्गों के मत्स्य पालक।

■ **मिनी हैचरी की स्थापना –** निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन इकाईयो की स्थापना हेतु प्रति यूनिट रु0 8.0 लाख बैंक ऋण तथा स्वीकृत ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से सभी श्रेणी के लाभार्थियों को रुपया 80,000रु– अनुदान की सुविधा।	निजी क्षेत्र के सभी वर्गों के मत्स्य पालक/लाभार्थी जिनके पास 1.5 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो।
■ **फीड मिल की स्थापना –** निजी क्षेत्र में मत्स्य आहार तैयार करने हेतु फीड मिल की स्थापना हेतु भवन, मशीनरी एवं साज–सज्जा हेतु रु0 25.0 लाख इकाई लागत पर 20 प्रतिशत की दर से रु0 5.0 लाख अनुदान अनुमन्य है।	निजी क्षेत्र के इच्छुक मत्स्य पालक अथवा सार्वजनिक उपक्रम।
■ **सघन मत्स्य पालन यूनिटों की स्थापना –** सामान्य पालने वाली मछलियों के साथ सजावटी मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन हेतु हैचरी स्थापना के लिए 15 लाख की इकाई लागत पर 10 प्रतिशत की दर से रु0 1.5 लाख अनुदान अनुमन्य है।	निजी स्वामित्व में पर्याप्त भूमि वाले सभी श्रेणी के मत्स्य पालक।
■ **तालाबों के मिट्टी व पानी की निःशुल्क जाँच –** मत्स्य पालकों के तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु मत्स्य विभाग की प्रयोगशालाओं में मिट्टी पानी की जांच तथा तकनीकी परामर्श की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।	सभी मत्स्य पालन, हैचरी स्वामी।
■ **उन्नतशील प्रजाति का मत्स्य बीज –** मत्स्य पालकों के तालाबों में उन्नतशील प्रजाति (रोहू, भाकुर, नैन, कामनकार्प, ग्रासकार्प, सिल्वर कार्प) का मत्स्य बीज आक्सीजन पैकिंग सहित शासकीय रियायती दर पर प्रति वर्ष संचय की सुविधा।	सभी मत्स्य पालक माह–जुलाई से सितम्बर तक अग्रिम मूल्य जमा करके मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं।
■ **मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन/पंजीकरण –** इन सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण उत्तर प्रदेश मत्स्य निदेशालय, लखनऊ स्तर पर किया जाता है। पंजीकृत समितियों को जलाशयों/झीलों के पट्टों/नीलामी में वरीयता दिये जाने का प्राविधान है।	**मछुआ समुदाय की पंजीकृत सहकारी समितियाँ**
■ **दुर्घटना बीमा योजना –** पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु होने की दशा में रु0 35000/– व अपंग होने की दशा में रु0 17500/– धनराशि दिये जाने का प्रावधान है।	पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के आच्छादित सदस्य।
■ **मछुआ आवास –** भारत सरकार के सहयोग से सीमित मछुआ आवासों के निर्माण हेतु प्रति आवास रु0 20,000/– तथा 20 आवासों पर रु0 15000/की लागत से एक हैण्डपम्प की सुविधा अनुमन्य है।	मछुआ समुदाय के दुर्बलतम सदस्य।

■ **समस्त सुविधाओं हेतु संपर्क व्यक्ति –** सहायक निदेशक (मत्स्य)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास भवन संबन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं तहसील स्तर पर विकास अधिकारी (मत्स्य) ।

17. पशुपालन विभाग की योजनायें

पशुओं में चिकित्सा की पूर्ण सुविधा की योजनाः– जनता के बीमार पशुओं की चिकित्सा की सुविधा राजकीय औषधालयों द्वारा नाम मात्र शुल्क बड़े पशु हेतु 5=00, छोटे पशु हेतु 2=00 लेकर प्रदान की जाती है। पशुपालन विभाग द्वारा दी जाने वाली इस सुविधा से ग्रामीण अंचलों के पशुपालकों को लाभ उठाना चाहिए।

पशुओं में बधियाकरण की योजना :– गाय के बछड़ों को बैल के योग्य बनाये जाने हेतु बधियाकरण तथा बकरों का भी बधियाकरण की सुविधा नाम–मात्र शुल्क (बकरा रु0 5.00 एवं प्रति बैल 10.00) पर पशुपालन विभाग के कर्मचारियों द्वारा मंगलवार एवं रविवार को प्रदान की जाती है।

पशुओं में रोगथाम हेतु टीका की योजना :– बरसात के मौसम में पशुओं में भयंकर बीमारियों के प्रकोप की सम्भावना रहती है, जिसकी रोकथाम हेतु बीमारी फैलने से पूर्व ही पशुपालन विभाग पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा गलाघोंटू, (रु0 2.00) लंगड़ी (ब्लैक कार्क्टर) रोग का रू0 2.00 एवं खुरपका–मुहपका भयंकर बीमारी के रोकथाम हेतु पशुओं में टीकाकरण की सुविधा नाम मात्र शुल्क (लेवी) (रु0 4–80) प्राप्त कर प्रदान की जाती है। मुर्गी का टीकाकरण शुल्क 50 पैसा है। इस सुविधा का लाभ लेकर प्रति वर्ष कई हजार पशुओं को बीमार होने से बचाया जा सकता है।

गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार हेतु कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम की योजना :– जनपदों में पशुपालन विभाग पर कार्यरत स्टाफ द्वारा पशुओं में विदेशी नस्ल के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा (रु0 20=00 शुल्क पर) प्रदान की जाती है। संचालित संस्थाओं के अतिरिक्त अम्बेडकर स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत कार्यरत इनसे–मीनेटरों द्वारा पशुपालकों के घर जाकर राजकीय शुल्क (40=00) के साथ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाती है।

18. अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य

1. राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण : शासन के निर्देशानुसार समय–समय पर विभिन्न मतों का सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराया जाता हैं।

2. साख्यिकीय पत्रिका का प्रकाशन : विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित कर उसकी संकलित पुस्तिका का प्रकाशन कियाजाता है।

3. सामाजिक समीक्षा : विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित कर उसकी संकलित पुस्तिका का प्रकाशन किया जाता है।

4. कर्मचारी संगणना : जनपद में स्थित समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, स्वीकृत पदों आदि से की जाती है।

5. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण : जनपद में स्थापित उद्योगों की सर्वेक्षण रिपोर्ट शासन को भेजी जाती है।

6. 20 सूत्री कार्यक्रम : 20 सूत्री कार्यक्रम का सम्पादन कराया जाता है।

7. 21 बिन्दु की प्रगति रिपोर्ट : मा0 मुख्यमंत्री जी के चिन्हांकित कार्यक्रमों को विभिन्न विभागों से एकत्र कर संकलित सूचना को तैयार किया जाता है।

8. जिला योजना : जिला योजना संरचना, प्रगति रिपोर्ट संकलित करना एवं समय–समय पर समीक्षा बैठक का कार्य सम्पन्न किया जाता है।

9. बुन्देलखण्ड विकास निधि : बुन्देलखण्उ विकास निधि का सम्पादन कराया जाता है।

10. उपभोक्ताभाव सूचकांक : फुटकर बाजार भाव का संग्रह के आधार पर उपभोक्ता, सूचकांक तैयार कर शासन को भेजा जाता है।

11. सार्वजनिक निर्माण में लगे मजदूरों की देय मजदूरी की दरों का त्रैमासिक संग्रह का कार्य।

12. आय–व्यय वर्गीकरण से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना एवं शासन को प्रेषित करना।

13. आय–व्यय पूंजी एवं स्वच्छता सफाई के आंकड़े स्थानीय निकायों से एकत्र कर शासन को भेजनां

14. आधारभूत आंकड़ों का संग्रह कराना एवं उसकी संकलित सूचना तैयार किया जाना।

15. आर्थिक गणना : भारत सरकार द्वारा कराये जाने वाले आर्थिक गणना कार्य का सम्पादन किया जाना।

16. ग्रामवार आधारभूत आंकड़ा : जनपद के समस्त ग्रामों में

उपलब्ध सुविधा तथा निकटतम दूरी का अंकित किया जाना।
17. अन्य कार्य : ग्रामीण मजदूरी की दरों का संग्रह एवं संकलन कार्य। ग्रामीण फुटकर भाव का संग्रह एवं संकलन कार्य। मुद्रणालयों एवं प्रकाशन सम्बन्धी सूचना एकत्रित करना। शुक्रवार के बन्द थोक भाव का सूचकांक तैयार करना। स्थलीय सत्यापन का कार्य शासन के निर्देशानुसार किया जाना एवं उसकी सूचना प्रेषित करना। अनुसूची – 1 एवं पी0डब्ल्यू0डी0 एवं टी0आर0आई0 से 50,000 या अधिक लागत के भवनों से सम्बन्धित आंकड़े एवं नगरीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले भवनों के आंकड़ों का संग्रह। यह सूचना विभाग के माध्यम से भारत सरकार को भेजी जाती है। भूमि उपयोग समिति से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना।

भूमि उपयोग परिषद का अनुरोध

- कृषि योग्य भूमि की रक्षा करें एवं सुनियोजित ढंग से समुचित उपयोग करें।
- कृषि योग्य भूमि पर कोल्ड स्टोरेज, ईंट भट्ठों अथवा फैक्ट्रियों का निर्माण न करें। अकृषिक भूमि पर ही इनका निर्माण करें।
- कृषि योग्य भूमि पर गृह निर्माण न करें, गृह निर्माण बन्जर या डीह की भूमि पर ही करें।
- भूमि के अधिकतम उपयोग हेतु बहुमन्जिली इमारतों का निर्माण करें।
- कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों हेतु अन्तरण को रोंके।
- प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड न करें। प्रकृति की छेड़–छाड से बाढ़, सूखा, वायु, जल–क्षरण, भू–क्षरण, जलजमाव व रिसाव तथा अन्य समस्याएँ उत्पन्न होंगी।
- भूमि के क्षरण या कटाव को रोकने हेतु बन्धों या मेड़ का निर्माण तथा कटाव रोकने वाले पौधों को लगायें।
- जलजमाव वाले क्षेत्रों जैसे बेकार पड़े ईंट भट्ठों की भूमि, तालाबों व तालों में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करें।
- सड़कों एवं नहरों के किनारे बेकार पड़ी भूमि में वृक्षारोपण या मत्स्य पालन करें।
- भूमि, जल एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु नियंत्रित एवं संतुलित नियोजन को बढ़ावा दें।

19. जिला योजना

जनपद स्तरीय जिला सेक्टर योजना के निर्माण कार्य का प्रारम्भ उत्तर प्रदेश में वर्ष 1982–83 से किया गया। वर्तमान समय में योजना संरचना हेतु जनपद को ही इकाई माना गया है। जिले स्तर पर लगभग समस्त विभागों के उत्तरदायी अधिकारी नियुक्त हैं, जो अपने विभागीय योजनाओं का निर्माण स्थानीय समस्याओं/प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यो को ध्यान में रखकर करते हैं।

जनपद स्तरीय योजना निर्माण में जनप्रतिनिधियों का सामयिक सहयोग प्राप्त किया जाता है क्योंकि उन्हें क्षेत्रीय कठिनाइयों एवं विषमताओं का समुचित ज्ञान होता है, जिससे उनके सुझावों का सदुपयोग कार्यक्रमों के निर्धारण एवं वरीयता सुनिश्चित करने में किया जाता है। जनपद स्तर पर जिला सेक्टर योजना की संरचनाक्रम में दो समितियों का गठन किया गया है:–

1. जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति :– इस समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य सचिव तथा अर्थ एवं संख्याधिकारी संयुक्त सचिव एवं जनपद स्तरीय अनय समस्त विभागों के अधिकारी सदस्य होते हैं। जिला स्तरीय योजनाओं की संरचना एवं प्रारूप तैयार करने तथा अनुमोदन योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए यही समिति उत्तरदायी होती है।

2. जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति :– उ0प्र0 मंत्रि परिषद के नामित सदस्य इस समिति के अध्यक्ष होते हैं तथा जनपद के समस्त माननीय सांसद, विधायक एवं सदस्य विधान परिषद इसके सदस्य होते हैं। जिला योजनाओं के निर्माण के क्रम में यह सर्वोच्च इकाई है जो समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा संरचित जिला योजनाओं की समीक्षा, अनुश्रवण एवं कार्यक्रम की वरीयता का मूल्यांकन कर अपनी स्वीकृति प्रदान करती है।

अध्याय – 20

श्रम विभाग

1. शहरी क्षेत्र जहाँ पर छ.प. दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के प्राविधान लागू हैं, के अन्तर्गत आवर्त दुकानों के पंजीयन, नवीनीकरण,
2. निर्धारित समय के विरुद्ध दुकान खुलने, साप्ताहिक व सार्वजनिक बन्दी न किये जाने पर निरीक्षण व वैधानिक कार्यवाही,
3. कृषि कार्य में रु0 58/– प्रतिदिन तथा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का परिपालन सुनिश्चित कराने हेतु निरीक्षण व प्रभावी कार्यवाही,
4. श्रमिकों के वैध देयों का समय से भुगतान का प्रयास करना तथा पक्षों के मध्य वार्ता कराकर निस्तारण करना, विवाद की स्थिति में उप श्रमायुक्त के समक्ष वादा प्रस्तुत करने की सलाह देना,
5. समान कार्य के लिए समान वेतन,
6. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आवर्त अन्य प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को बोनस दिलाये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण कार्य करना एवं कार्यवाही करना,
7. खतरनाक/गैर–खैतरनाक उद्योगों व प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य लेने की प्रथा को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण/निरीक्षण करना।
8. बन्धुआ श्रमिकों के प्रकरण संज्ञान में आने पर छानबीन करना एवं उनका निदान करना,
9. परिक्षेत्र में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने हेतु सेवायोजक एवं श्रमिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रखने का कार्य,
10. दुकानों एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों का पंजीयन निर्धारित फीस कोषागार में जमा कराकर पंजीयन प्रमाण–पत्र निर्गत करना।
11. राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना के अन्तर्गत विशेष बालश्रम विद्यालय संचालित करना। प्रत्येक विद्यालय में मानदेय कर्मचारियों एवं छात्रों को बैंक/पोस्ट आफिस में खाता खोलकर मानदेय/छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है।

बुन्देलखण्ड में नींबू वर्गीय फलों के विकास की योजना

प्रारम्भ :

बुन्देलखण्ड़ में नींबू वर्गीय फलों के विकास की योजना वर्ष 1987–88 में प्रारम्भ की गई है।

उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु अनुदान वितरित करना।

कार्यक्रम :

प्रदेश का बुन्देलखण्ड में नींबू वर्गीय फलों यथा–किन्नों, सन्तरा, नींबू आदि के उत्पादन हेतु विशेष रूप से उपयुक्त है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये यह योजना बुन्देलखण्ड़ क्षेत्र (झांसी मण्डल) के पांचों जनपदों में चलाई गई है। वर्ष 1992–93 से यह योजना, जिला सेक्टर में चलाई जा रही है। वर्ष 1994–95 में इस योजना को केन्द्रीय नींबू वर्गीय फलों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार की योजना की भांति परिवर्तित कर प्रथम वर्ष में 4,300 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा दूसरे एवं तीसरे वर्ष में 1,290 रुपये प्रति हेक्टेयर, चतुर्थ वर्ष में 1,720 रुपये प्रति हेक्टेयर अर्थात चार वर्षों में कुल 8,600 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान सुविधा पौध रोपण सामग्री तथा अन्य निवेशों पर उपलब्ध कराई जायेगी। बाँदा एवं हमीरपुर जनपदों में कुल 34.5 हेक्टेयर क्षेत्र पर यह योजना चलाई जायेगी।

अध्याय – 21

वन विभाग की योजनाएँ

वर्तमान समय में बढ़ते औद्योगीकरण, जनसंख्या व वाहनों से हो रहे प्रदूषण से पर्यावरण को संरक्षित एवं संतुलित रखने हेतु वृक्षारोपण कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस कार्य में संलग्न विभागों व संगठनों में वन विभाग का प्रमुख स्थान है। अक्टूबर 1979 में सृजित समाजिक वानिकी प्रभाग वन विभाग की एक मुख्य इकाई है, जिसके द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित हो रही है :–

1. सामाजिक वानिकी योजना : इस योजना के अन्तर्गत विभागीय पौधशालाओं में विभागीय वृक्षारोपण तथा वृहद पौधे सरकारी दर पर उपलब्ध कराने हेतु पौधे तैयार किए जाते हैं।

2. शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी योजना: सामाजिक वानिकी योजना का जो कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में है वही कार्य इस योजना का शहरी क्षेत्रों में है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभाग को मात्र वृक्षारोपण कार्य हेतु वित्तीय संसाधन राज्य सेक्टर से प्राप्त हो रहा है तथा वृक्षारोपण व्यवस्था ब्रिकगार्ड हेतु वित्तीय संसाधन अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है।

3. पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम : इस योजना के अन्तर्गत जनपदों में पर्यावरण प्रदूषण एवं वानिकी के प्रति जनचेतना जागृत करने के उद्देश्य से जागरूकता गोष्ठियों, प्रदर्शनियों, स्टालों आदि का आयोजन किया जाता है। स्कूली बच्चों में पर्यावरण जागरूकता जागृत करने के लिए राज्य स्तरीय भाषण व चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता में नामित करने हेतु बच्चों की जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन जनपद में किया जाता है।

4. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम : राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विभाग प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसमें ग्राम विकास समिति के माध्यम से वन क्षेत्रों में बनीकरण एवं वन विकास से संबंधित कार्य कराये जा रहे हैं।

उत्पाती वन रोजों (नीलगाय) तथा बन्दरों को नष्ट किये जाने हेतु अनुज्ञा–पत्र (लाइसेंस) : उ0प्र0 शासन ने अपनी विज्ञप्ति सं0 736/14.04.94–854/92 दिनांक 9.3.94 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत नियुक्त कर दिया है। धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) शिड्यूल (2), (3), (4) मे आने वाले वन्य जीव यदि सार्वजनिक सम्पत्ति या फसल को हानि पहुँचाते हैं, तो उन्हें मारने की अनुमति प्रदान की जाती है। यानि कि अनुसूची (2) में अंकित बन्दर, लंगूर तथा अनुसूची (3) में अंकित नीलगाय उन पर अनुसूचियों में अन्य वन्य जीव एवं अनुसूची (4) के वन्य जीव यदि मानव जीवन, फसल हेतु खतरनाक हों, तो उन्हें मारने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) प्रदान किया जा सकेगा।

वृक्षारोपण पर ग्रामवासियों को सुविधायें : शासनादेश सं0 700/14–प0भू0वि0/91 दिनांक 30.03.91 को अतिक्रमित करते हुए शासनादेश सं0 2291/14–प0भू0वि0/99–47/99 सं0 दिनांक 20.10.99 द्वारा नवीनतम आदेश जारी किया गया है।

इस शासनादेश की प्रमुख बाते निम्न है :– 1. सड़क, नहर एवं रेलवे के किनारे बहुपंक्ति वृक्षारोपण की स्थिति में अन्तिम लाइन के वृक्षों पर सन्निकट खेत के मालिक का स्वामित्व होगा। यदि एक ही पंक्ति का वृक्षारोपण है, तो स्वामित्व वन विभाग का होगा। 2. प्रजातियों के चयन में स्थानीय ग्राम पंचायत/सन्निकट भू–स्वामी से परामर्श लिया जायेगा। 3. अंतिम पंक्ति में वृक्षारोपण की सुरक्षा का दायित्व सन्निकट खेत मालिक का होगा। 4. इनके काटने की अनुमति प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ही दी जायेगी। 5. अन्तिम लाइन के वृक्षों के कटने के पश्चात् भी अन्य पंक्तियों के पौधे की सुरक्षा का दायित्व सन्निकट खेत मालिक का होगा।

इसे भी जान लें : उत्तर प्रदेश की छावनी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में वृक्ष गिराने हेतु वन विभाग की अनुमति आवश्यक है। राज्य सरकार ने पदेश के समस्त मैदानी क्षेत्र में निम्नलिखित 19 प्रजातियों को वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के समस्त उपबन्धों से मुक्त कर दिया है।

वृक्ष प्रजातियाँ (19) : ■ अगस्त, अरू, केजुरिना, जंगल जलेबी, पॉपलर, फरास, बबूल, विलायती बबूल, रोबीनिया, सिरिस, सूबबूल, कठबेर, जामुन, यूकेलिप्टस, ढाक/पलास, पेपर मलवरीबेर, सहजन, एवं शहतूत। ■ उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 के अन्तर्गत इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज को लाने के लिए वन विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। ■ शासन द्वारा–जन साधारण की सुविधा के लिए देवरिया सहित 42 मैदानी जनपदों में उपरोक्त 19 वृक्ष प्रजातियों के अभिवहन (लाने–ले जाने) के लिए वन विभाग की अनुमति से छूट प्रदान कर दी गई है।

पर्यावरण : हमारे आस–पास का वातावरण, पर्यावरण का एक अंग है। वायुमण्डल, भूमि, नदियाँ, समुद्र वनस्पति, जीव–जन्तु और यहाँ तक की सूक्ष्म बैक्टीरिया और वायरस भी पर्यावरण के विभिन्न अवयव हैं। पर्यावरण के सभी अवयव एक–दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए इनमें थोड़ा–सा परिवर्तन भी पूरे पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। वैसे 'पर्यावरण' का अर्थ है– प्रकृति के सभी भौतिक, रसायनिक एवं जैविक गुणों का समूह तथा उनके बीच अन्तर्सम्बन्ध, जो कि प्राकृतिक क्रियाओं को चलाते हैं।

स्वस्थ पर्यावरण के लिए : ■ अधिक वृक्ष लगाएँ तथा हरियाली बढ़ायें। ■ वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ाया दें। ■ नदी, झरने, तालाबों, कुओं जल–स्रोतों को प्रदूषण से बचावें। ■ घनी बस्तियों और इलाकों में पेड़–पौधों की हरित पट्टी का विकास करें। ■ वायु और शोर प्रदूषण की यथा संभव रोकथाम करें। ■ औद्योगिक विकास अथवा आर्थिक लाभ के लिए वनों के विनाश को रोके। ■ उद्योगों के साथ–साथ वृक्षारोपण कर हरित पट्टी का विकास करें, क्योंकि घने और हरे–भरे वनों का अर्थ है अधिक वर्षा, उपजाऊ भूमि और बांधों आदि का दीर्घ जीवन एवं वायु प्रदूषण से मुक्ति।

पर्यावरणीय विनाश की रोकथाम के लिए : ■ अपने आस–पास को साफ–सुथरा रखें। ■ कूड़ा–करकट इधर–उधर फेंक कर गन्दगी न फैलायें। ■ हर परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ जरूर लगाए। खाली बंजर जमीन, खेतों को मेड़, सार्वजनिक स्थान आदि का सदुपयोग, वृक्ष लगाकर करें। ■ उद्योगों से निकले कचरे की समुचित सफाई करें। ■ रासायनिक कचरों का विनाश कर पुनः उपयोग के योग्य बनाना। ■ बस्तियों से दूर उद्योगों की स्थापना। ■ पानी में गन्दगी डालना या गंदे नालों का नदी, झरनों से मिल जाना हानिकारक है इसे रोकें। ■ नदी, कुओं, तालाबों में गन्दकी फैलाना, पशुओं को नहलाना, कपड़े आदि धोना अनुचित है, विशेष रूप से ठहरे पानी में (तालाब, कुएँ आदि में) इसे रोकें। ■ वायु प्रदूषण को रोकने के लिए के लिए और अधिक वृक्षारोपण के साथ–साथ धुआँ छोड़ने वाले वाहनों का कम उपयोग व इनकी उचित देखभाल करें तथा प्रदूषण जाँच करावें।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 (यथा संशोधित) : उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत जनसाधारण को वन या वन भूमि में स्थित वृक्षों के कटान हेतु निम्न व्यवस्था लागू हैं–

1. 27 चिन्हित प्रजातियों के कटान हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
2. शेष वृक्ष प्रजातियों के लिए अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

वन्य जीवों से जान–माल की हानि की दशा में अनुग्रह सहायता : शासनादेश सं0 2384/14–4–69/92, दिनांक 6.12.96 में वन्य पशुओं द्वारा मारे या घायल व्यक्तियों तथा वन्य पशुओं द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने वाले जंगली हाथियों द्वारा ग्रामवासियों के मकान व फसल की क्षति की दशा में अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। जनपदों में नीलगायों द्वारा फसल नष्ट करने पर उन्हें मारने/मरवाने के लिए शासन द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी को अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है।

अध्याय – 22

वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, (नेडा) की योजनाएँ

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, भारत सरकार तथा उ0 प्र0 सरकार द्वारा चलाई जा रही वैकल्पिक ऊर्जा की योजनाएँ एवं उन पर दिये जाने वाले अनुदान का विवरण :–

1. घरेलू सोलर लाइट : दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ घरेलू रोशनी हेतु सौर ऊर्जा बनाने वाला एक पैनेल, एक 12, बोल्ट की बैटरी, दो टयूब लाइट एवं पोल आदि जिसकी कुल कीमत रु0 10,900/– है रु0 5,175/– अनुदान के उपरान्त रु0 5,725/– में दी जा रही है। इससे दो टयूब जलाई जाती है तथा टी0वी0 भी चलाया जा सकता है। बैटरी पाँच वर्ष तक खराब नहीं होती है। पूरे संयंत्र की एक वर्ष की वारंटी होती है।

2. सोलर लालटेन : सौर ऊर्जा से चलित 12 बोल्ट की बैटरी, एक ऊर्जा पैनेल एक टयूब लाइट, लालटेन, तार आदि जिसकी कुल लागत रु0 3,250/– है, तथा जिस पर रु0 1,500/– का अनुदान उपलब्ध है। अनुदान उपरान्त लाभार्थी को मात्र 1750/– में दी जा रही है। बैट्री दो वर्ष तक खराब नहीं होती है। इसे रात्रि में कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस संयंत्र की भी एक वर्ष की वारंटी है।

3. सोलर कुकर : बिना ईधन, बिना बिजली के भोजन पकाने हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाला सोलर कुकर जिसकी कुल कीमत रु0 1600/– है, इसमें रोटी के अतिरिक्त सभी पकवान बनाये जा सकते हैं। अण्डा, आलू, शकरकन्द तथा बैगन आदि बिना पानी में डाले भूने जाते है। इसमें भोजन बनाने में 1 घण्टे से लेकर 2 घण्टे का समय लगता है। इसमें बनाया गया खाना कुकर के अन्दर चार घण्टे तक गरम बना रहता है। विद्युत व्यवस्था सहित सोलर कुकर की कुल कीमत रु0 2500/– है।

4. सोलर वाटर हीटर : बिना ईंधन बिजली के पानी गरम करने हेतु 100, ली0 क्षमता के सोलर वाटर हीटर का मूल्य रु0 20,000/– है, इसमें अनुदान उपलब्ध नहीं है। इस संयंत्र में रात भर पानी गरम बना रहता है। सुबह 40 डिग्री पर 100 ली0 पानी गरम मिलता है।

5. सोलर लालटेन चार्जिंग स्टेशन : जहाँ पर कम से कम चालीस व्यक्ति लालटेन लेने के इच्छुक होते हैं वहाँ पर सामुदायिक रूप से एक स्थान पर सोलर पैनेल स्थापित कर लालटेनों को चार्ज करने हेतु स्टेशन बनाया जाता है। ग्राम पंचायत को चार्जिंग स्टेशन बनाने हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना होता है तथा प्रति लाभार्थी रु0 1,000/– जमा होता है। सभी लाभार्थी अपनी–अपनी लालटेन चार्जिंग स्टेशन पर लाकर रखते हैं तथा चार्ज होने के उपरान्त शाम को वापस ले जाते हैं।

6. सोलर पावर प्लांट : इस योजना में सम्पूर्ण ग्राम में घरेलू लाइट स्ट्रीट लाइट एवं टेलीविजन, पंखे आदि चलाने हेतु एक ही स्थान पर सौर ऊर्जा के पैनेल स्थापित कर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाता हे। जिसके लिए कम से कम 2000 वर्ग फुट निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना होता है तथा रु0 1,000/– प्रति लाभार्थी धरोहर धनराशि जमा करना होता है। प्लांट को चलाने हेतु ग्राम की एक ऊर्जा समिति बनाई जाती है। चौकीदार का मानदेय तथा स्ट्रीट लाइटों व संयंत्रों की मरम्मत हेतु प्रति लाभार्थी प्रतिमाह रु0 25 /– समिति के पास जमा करना होता है।

23. जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा संचालित योजनायें

1. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (नगरीय स्वतः रोजगार योजना) : स्वरोजगार देने के उद्देश्य से इस योजना का संचालित किया जाता है। इसमें निम्नांकित पात्रता होती है :–

(क) उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष

(ख) अधिकतम नौंवी उतीर्ण तक हेाना चाहिए किन्तु शिक्षा की बाध्यता नहीं है।

(ग) वार्षिक आय पाँच सदस्यों तक 19,250.00 से अधिक नहीं होना चाहिए।

प्रक्रिया : विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदक को आवेदन करना पड़ता है। आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की फोटो कापी, शैक्षिक प्रमाण पत्र (यदि शिक्षित हो) शपथ पत्र एवं फोटो संलग्न करना पड़ता है।

धनराशि : आवेदक को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है जो अधिकतम रु0 50,000.00 तक होता है तथा विभाग द्वारा 15 प्रतिशत अनुदान धनराशि दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा रु0 7,500.00 निर्धारित है। इसमें 5 प्रतिशत मार्जिन मनी लाभार्थी को स्वयं जमा करना पड़ता है।

2. नगरीय स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना : स्वरोजगार देने हेतु मलिन बस्तियों के निवासियों (युवक एवं युवतियों) को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण इस विभाग द्वारा दिलाया जाता है तथा अपना रोजगार प्राप्त करने हेतु महिलाओं को ड्वाकरा योजना के अन्तर्गत समूह गठित करके इस विभाग द्वारा रोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाकर उद्योग स्थापित कराया जाता है। समूह को स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत अधिकतम 1,25,000.00 तक अनुदान धनराशि विभाग द्वारा दिये जाने का प्राविधान है।

3. नगरीय मजदूरी रोजगार योजना : शहर की मलिन बस्तियों के लोगों को स्वास्थय शिविर के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क दवा वितरण, विकलांगों को कृत्रिम अंगो (ट्राइसिकिल, वैभारवी, हिमरिंग यंत्र ह्वील चेयर) का वितरण तथा अन्य सामाजिक सुविधायें कम्बल वितरण, वस्त्र वितरण आदि से मलिन बस्तियों के गरीब व्यक्तियों के गरीब व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जाता है।

4. बालिका समृद्धि योजना : 25 अगस्त, 1997 के पश्चात पैदा हुई शिशु बालिका की माता को इस योजना के अन्तर्गत रु0 500.00 की आर्थिक मदद की जाती है जिसमें 400 रुपये के किसान विकास पत्र/बचत पत्र, 95.00 रुपये का 18 वर्ष हेतु बीमा कराने का प्राविधान है। यह योजना मात्र दो बच्चियों तक ही लागू होती है।

5. थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट योजना : इस योजना के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में निवासित महिलाओं को छोटी–छोटी बचत करने हेतु प्रेरित किया जाता है। एक वर्ष में जितनी धनराशि समूह के रूप में गठित महिलाओं द्वारा की जाती है उसके समतुल्य मैचिंग ग्रान्ट विभाग द्वारा उनके द्वारा खोले गये बचत खाता में जमा करा दिया जाता है। समूह के रूप में महिलाओं की संख्या कम से कम 10 से 15 होनी चाहिए। इस योजना में अधिकतम 100 रुपये तक मैचिंग ग्रान्ट (रिवाल्विंग फण्ड) देने का प्राविधान है।

6. सामुदायिक ढाँचा (सामाजिक सुविधायें) : शहर की मलिन बस्तियों के लोगों को स्वास्थ्य शिविर के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क दवा वितरण, विकलांगों को कृत्रिम अंगों (ट्राइसिकिल, वैभारवी, हिमरिंग यंत्र ह्वील चेयर) का वितरण तथा अन्य सामाजिक सुविधायें कम्बल, वस्त्र वितरण आदि से मलिन बस्तियों के गरीब व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जा है।

24. जिला ग्रामोद्योग विभाग की योजनाएं

ग्रामोंद्योग कैसे लगायें ? :

उद्देश्य तथा लक्षित समूह : ग्रामीण औद्योगीकरण के क्षेत्र में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की अहम भूमिका है। इसका सीधा सम्बन्ध अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलायें, विकलांग, भू0पू0 सैनिक एवं पिछड़े व कमजोर वर्गों के उत्थान से है।

ग्रामीण क्षेत्र में आज भी परम्परागत कौशल देने से विकास की अच्छी संभावनायें हैं। ग्रामीण अंचलों के शिक्षित–बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करके उन्हें अपने ही गाँव में मनपसन्द उद्योग स्थापित कराने में बोर्ड आर्थिक सहायता एवं सुविधा प्रदान करता है।

ग्रामोद्योग की परिभाषा : ग्रामोद्योग का तात्पर्य यह है कि यह उद्योग नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर जो ग्रामीण क्षेत्र में हो तथा जहाँ की आबादी बीस हजार से अधिक न हो वहाँ स्थापित हो, जिसके उत्पादन व सेवा करने में विद्युत का प्रयोग हो अथवा न हो एवं 50 हजार प्रति व्यक्ति पूँजी विनियोग से अधिक न हो, ऐसी इकाईयों को ग्रामोद्योग माना जायेगा।

ऋण–सहायता सुविधा किसको ? : उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निम्नलिखित को सहायता सुविधा प्रदान की जाती है। (अ) पंजीकृत ग्रामोद्योग सहकारी समितियों को। (ब) पंजीकृत समाज–सेवी संस्थाओं को। (स) व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ–साथ शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, महिलाओं, अनु0जाति व जनजाति के सदस्यों एवं परम्परागत कारीगरों को।

बोर्ड द्वारा संचालित योजनायें : उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोंद्योग बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से वर्तमान में 3 योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। (1) बैंक कन्सोर्टियम योजना (2) राज्य सरकार की ब्याज उत्पादन योजना (3) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित मार्जिन मनी ऋण योजना।

1. बैंक कन्सोर्टियम योजना : खादी आयोग द्वारा वर्ष 1995–96 से बैंक कन्सोर्टियम योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 25 लाख रु0 तक की इकाईयाँ स्वीकृत करने के अधिकार बोर्ड को प्रतिनिधानित किये गये हैं। योजना के अन्तर्गत 14.5 प्रतिशत वार्षिक वर्तमान ब्याज की दर पर ऋण स्वीकृत किया जाता है। यह दर घट बढ़ भी सकती है। 10 लाख रु0 तक के ऋण के लिये व्यक्तिगत उद्यमी भी पात्र होंगे परन्तु 10 लाख से 25 लाख रु0 तक के प्रोजेक्ट हेतु केवल संस्था/समितियों को ऋण दिया जाता है। स्वीकृत ऋण पर ब्याज की धनराशि धन के अवमुक्त होने की तिथि से देय हो जाती है परन्तु इसकी अदायगी हेतु एक वर्ष का मोरोटोरियम उद्यमी को प्राप्त होता है। समस्त ऋण की अदायगी उद्यमी को 8 वर्षों में पूर्ण करनी होती है, जिसके ऋण की अदायगी एक वर्ष के बाद से प्रारम्भ की जाती है। एक लाख रु0 के अधिक के ऋण प्रार्थना पत्र जनपदों से मण्डलीय अधिकारी के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किये जाते हैं, जहाँ इन प्रस्तावों को योजना अधिकारियों द्वारा परीक्षण हेतु मुख्यालय पर गठित अप्रेजल समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। उर्पयुक्त प्रस्तावों के धन की स्वीकृति ''स्थायी–वित्त समिति'' द्वारा प्रदान की जाती है। दस लाख रु0 तक ऋण पर 25 प्रतिशत तथा रु0 10 लाख से रु0 25 लाख रु0 तक प्रस्ताव पर 10 प्रतिशत ब्याज रहित मार्जिन–मनी उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, जो कि इकाई सफलतापूर्वक स्थापना के पश्चात् अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। अनु0 जाति/जन–जाति, अल्पसंख्यक, महिलायें, पर्वतीय क्षेत्र आदि के उद्यमियों हेतु विशेष छूट दी गई है, जिसके अन्तर्गत इन उद्यमियों को केवल 5 प्रतिशत अपन अंशदान लगाना होता है तथा उन्हें 30 प्रतिशत मार्जिन–मनी भी उपलब्ध कराई जाती है। शेष का अंशदान 10 प्रतिशत होता है।

2. व्यक्तिगत/साझेदारी उद्यमियों के लिये ब्याज–उपादान योजना (जिला सेक्टर) : शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों का शहर की ओर पलायन रोकने

के उद्देश्य से गाँव में ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा जिला सेक्टर के अन्तर्गत पूँजी निवेश पर ग्रामोद्योग की इकाईयाँ ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों से 2.00 लाख तक पूँजी निवेश इकाईयों हेतु ऋण स्वीकृत कराकर 4 पतिशत से अधिक ब्याज की धनराशि उपादान के रूप में जिला सेक्टर से अनुमन्य की जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत खादी आयोग से अनुमन्य योजनायें, नाबार्ड अनुमोदित प्रोजेक्ट तथा स्थानीय उपलब्धता के अनुरूप ग्रामोद्योग इकाइयों को रु0 2.00 लाख अधिकतम लागत के प्रोजेक्ट हेतु ऋण अनुमन्य है।

3. खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित मार्जिन मनी ऋण योजना : इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत/संस्था/समिति के लिए ग्रामीण क्षेत्र में इकाई की स्थापना करने पर 10 लाख रुपये तक 25 प्रतिशत एवं 10 लाख रुपये से 25 लाख तक 10 प्रतिशत अनुदान मार्जिन राशि के रूप में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उद्यमी को प्रोजेक्ट लागत का कम से कम 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना पड़ता है। अनु0जाति/अनु0 जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अंशदान की राशि 5 प्रतिशत लगाना होता है।

♦ बोर्ड द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को प्रदत्त सुविधायें: उद्यमियों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट के आधार पर आर्थिक सहायता के साथ–साथ उद्योग विशेष के सम्बन्ध की इकाई की स्थापना से पूर्व तकनीकी ज्ञान प्राप्त कराने हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। बोर्ड द्वारा संचालित मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों एवं अच्छी कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। कतिपय ग्रामोद्योगी इकाइयों को प्रदेश शासन द्वारा 50.00 लाख रु0 तक के टर्न ओवर को पूर्ण रूप से व्यापार कर से मुक्त रखा गया है तथा संस्था/समितियों को आयकर की भी छूट अनुमन्य है। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण इकाइयों के उत्पादन को अनेक विभागों द्वारा क्रय में वरीयता दिये जाने का प्राविधान है।

♦ बन्धक की प्रक्रिया : स्थाई वित्त समिति द्वारा उद्यमी को स्वीकृति पत्र जारी करने के उपरान्त ऋण प्राप्त करने हेतु बन्धक पत्र स्वीकृत होने के पश्चात उद्यमी को पहली किश्त भूमि, भवन एवं मशीनरी हेतु दी जाती है। पहली किश्त का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात कार्यशील पूँजी का भुगतान किया जाता है। ♦ रु0 4000 तक व्यक्तिगत ऋण ग्रुप गारन्टी के आधार पर। ♦ रु0 4000 से 30,000 रु0 तक ऋण पर्सनल (व्यक्तिगत) बाण्ड तथा दो जमानतदारों के आधार पर दिया जा सकता है। ♦ रु0 30,000 से अधिक धनराशि वित्त पोषित होने पर ऋण के विपक्ष में अचल सम्पत्ति के सम्यक बन्धक की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अचल सम्पत्ति प्रदत्त ऋण से सवा गुना मूल्य की होनी चाहिए। ♦ संस्था द्वारा कार्यशाला निर्माण हेतु क्रय की भूमि का समयक बन्धक सोसाइटीज अधिनियम की धारा 5 'ए' के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय/न्यायालय जिला जज से खादी बोर्ड के पक्ष में बन्धक करना अनिवार्य है। समयक बन्धक की कार्यवाही संस्था के उसी पदाधिकारी द्वारा की जायेगी जिसके पदनाम से भूमि क्रय की गई हो।

♦ आवेदन कैसे करें ? : जनपदों में बोर्ड का जिला ग्रामोद्योग कार्यालय स्थापित है। उद्यमियों को चाहिए कि वे अपने जनपदीय कार्यालय से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर आवश्यक समिति/संस्था का गठन करें। सहकारी समिति के पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त फार्म एवं नियमावली आदि जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

समाज सेवी संस्था हेतु रजिस्ट्रार सोसाइटीज चिट्स एण्ड फण्ड एक्स 1860 के अन्तर्गत (मण्डल स्तरीय कार्यालय) अपनी संस्था पंजीकृत करायें। व्यक्तिगत उद्यमी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करके निर्धारित प्रारूप पर अपना प्रार्थना–पत्र आर्थिक सहायता हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। खादी आयोग के पैटर्न के अनुसार एक लाख रुपये तक ऋण की स्वीकृत जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा विचार करके स्वीकृत की जा सकती है। एक लाख से ऊपर तथा 25 लाख रु0 तक के ऋण जिला ग्रामोद्योग अधिकारी की संस्तुति के आधार पर मुख्यालय में स्थाई वित्त समिति के विचारोपरान्त स्वीकृत किये जाते हैं।

25.जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित योजनाएँ

मानव संसाधन की दृष्टि से भारत वर्ष विश्व के अग्रणी देशों में एक है। प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद हमारा देश अभी तक विकसित देशों के वर्ग में स्थान नहीं पा सका है। इसका एक प्रमुख कारण है– युवा वर्ग में स्वरोजगार के प्रति पर्याप्त आकर्षण का अभाव एवं उनका नौकरी के पीछे भागना। देश के समुचित विकास के लिए अपरिहार्य है कि तमाम युवा वर्ग नौकरी के पीछे न जाकर स्वरोजगार के प्रति आकर्षित हो। इसी उद्देश्य से जिला उद्योग विभाग की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा अनेक योजनाएँ शिक्षित बेरोजगारों के लिए संचालित की जाती है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना :– इस योजना की स्थापना 15 अगस्त 1993 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के ग्रामीण, नगरीय नगरपालिका एवं महानगर पालिकाओं में युवाओं को स्वरोजगार में स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य शिक्षित, योग्य साधनहीन नवयुवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक साधन, प्रोत्साहन एवं परामर्श आदि प्रदान करना है।

पात्रता :– योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु निम्नलिखित अर्हताएँ होना आवश्यक हैं –

1. अभ्यर्थी कम से कम 8 उत्तीर्ण, आई0टी0आई0 पालिटेक्निक अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त हो।
2. अभ्यथी की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष सामान्य वर्ग, हेतु तथाअनुसूचित जाति/ जनजाति/ महिला/ विकलांग / भूतपूर्व सैनिक हेतु 10 वर्ष की छूट।
3. उसकी वार्षिक पारिवारिक आय रु0 40000 से अधिक न हो।
4. कम से कम 3 वर्षों से उस क्षेत्र का स्थायी निवासी हो।
5. इस योजना में अभ्यर्थी को परियोजना की मार्जिन मनी अधिकतम 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत अथवा मार्जिन मनी+ अनुदान की धनराशि 20 प्रतिशत रु0 से अधिक नहीं होगी।

सुविधाएँ :–

1. बेरोजगार युवको/युवतियों को अपना स्वरोजगार (उद्योग, सेवा एवं व्यवस्था) स्थापना हेतु अधिकतम 2.00 लाख (दो लाख) तक, उद्योग एवं सेवा हेतु अधिकतम रु0 1.00 लाख (एक लाख) तक व्यवसाय हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त होगा।
2. इस योजना में अभ्यर्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम रु0 7,500/– (सात हजार पांच सौ) अनुदान प्राप्त होगा।
3. समय से ऋण जमा करने एवं सुचारू रूप से परियोजना के चलने पर विभाग द्वारा जनपद एवं प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है।

चयन प्रक्रिया :– स्टाक फोर्स समिति द्वारा साक्षात्कार लेकर चयनित अभ्यर्थियों के ऋण आवेदन पत्र राष्ट्रीय बैंकों को भेजे जाते हैं। बैंक स्वीकृत एवं वितरण करता है। स्वीकृत अभ्यर्थियों को जिला उद्योग केन्द्र में प्रशिक्षण दिया जाता है।

1. उद्योग :– (1) पत्त की प्लेट होना (2) बाल पेन रिफिल (3) फाइल कवर बोर्ड (4) हवाई चप्पल (5) कपड़े धोने का साबुन (6) कपड़े की वैण्डस पट्टी (7) पी0पी0सी0पाईप (8) धूप बत्ती, अगरबत्ती (9) आयल एक्सपेलर (10) मिनिराइस प्लाण्ट।

2. सेवा :– (1) टैक्सी, टैम्पो (2) पी0सी0ओ0 (3) इलेक्ट्रो स्टेट मशीन (4) टैंट हाउस (5) घड़ी रेडियो, टी0वी0 रिपेयरिंग वर्क्स (6) हेयर कटिंग (7) गैस चूल्हा

3. व्यवसाय :– (1) स्टेशनरी की दुकान (2) सिनेटरी व्यवसाय (3) विद्युत गुड्स की दुकान (4) हार्ड वेयर की दुकान (5) जनरल स्टोर्स एवं किराना स्टोर, सभी तरह की दुकानदारी।

इसके अतिरिक्त

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :

1. हर विकास खण्ड ओर आयोजित किये जाते हैं जिनमें उद्यमियों का चयन कर प्रधान मंत्री रोजगार योजना में ऋण आवेदन पत्र भरवाये जाते हैं।
2. लघु उद्योगों का प्रशिक्षण एवं स्थाई पंजीयन किया जाता है।
3. औद्योगिक क्षेत्र में भूरागढ़ में प्लाट आवंटित किये जा रहे हैं जिनमें बाहर के उद्यमी अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं।
4. लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार योजना भी है इसके अतिरिक्त बैंकों से टर्मलोन तथा कार्यशील पूंजी के ऋण आवेदन पत्र भरवाकर बैंको को प्रेरित किये जाते हैं।

26 उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों हेतु कार्यक्रम

मंत्री रोजगार योजन :– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस निगम की स्थापना मार्च 1995 में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई। निगम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं–

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास करना। अनुसूचित जति के व्यक्तियों को वित्तीय/प्राविधिक एवं विपणन सम्बन्धी सहायता प्रदान करना बैंक/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त निगम के सहयोग से वित्तपोषित कराकर अनुदान तथा 'मानसिक मनी' ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पात्रता

1. अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो।
2. गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहा हो। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की सालाना आय रु0 11000/– एवं शहरी क्षेत्र में 11850/– रुपये निर्धारित है।
3. ग्रामीण क्षेत्र में आय प्रमाण–पत्र आर्थिक रजिस्टर के आधार पर ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा एवं शहरी क्षेत्र में तहसीलदार परगनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।
4. ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रा में जाति प्रमाण–पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी जिसमें जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगनाधिकारी एवं तहसीलदार सम्मलित हैं, द्वारा निर्गत किया जायेगा।

निगम द्वारा संचालित योजनाएं

1. स्वतः रोजगार योजना : अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्ति को अपने क्षेत्र एवं रुचि की आवश्यकतानुसार 7.00 लाख लागत तक की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाएं बैंक के सहयोग से वित्त पोषित कराई जाती हैं। कुल भौतिक लक्ष्य का 85 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 15 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में आच्छादित करने का प्राविधान है। निर्धारित लक्ष्य का 55 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में तथा 45 प्रतिशत अकृषि क्षेत्र की परियोजनाओं में वित्त पोषित किया जाता है। योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत रु0 25000/– निर्धारित की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10000/– जो भी कम हो अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। कृषि क्षेत्र में रु0 20000/– तथा अकृषि क्षेत्र में रु0 25000/– से अधिक लागत की परियोजनाओं में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत धनराशि 4 प्रतिशत ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण के रूप में निगम की अंशपूंजी से तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। अनुदान एवं मार्जिन मनी ऋण का योग योजना की लागत के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना : इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को 13.32 वर्ग मी0 (मय बरामदा सहित) के क्षेत्रफल में दुकाने निर्मित करायी जाती हैं, जिसकी लागत मैदानी क्षेत्र में 38000/– रुपये है। दुकानों का निर्माण व्यावसायिक रूप से विकसित स्थल पर ही जहाँ लाभार्थी के पास स्वयं की अपनी निजी भूमि उपलब्ध हो, लाभार्थी द्वारा कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को योजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा 6000/– जो भी कम हो अनुदान के रूप में तथा शेष धनराशि निगम द्वारा ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी वसूली 10 वर्षों में समान मासिक किस्तों में की जाती है। चयनित लाभार्थियों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जायेगा। दुकान पूर्ण होने पर निगम की स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का भी प्रावधान है।

3. निःशुल्क बोरिंग योजना : निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले मैदानी क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों में बोरिंग करायी जाती है। इसमें अनुदान की अधिकतम सीमा 6000/– रुपये है।

इस योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड़ों से प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं। बोरिंग का कार्य स्थानीय एजेन्सी जैसे यूपी, स्टेट एग्रो, लघु सिचाई या किसी भी सरकारी अथवा

अर्द्ध सरकारी संस्था का चयन कर किया जाता है।

4. वाहन योजनाएं : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम (अनुविनि) नई दिल्ली के सहयोग से इस निगम द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित हैं –

1. अम्बेडकर डीजल कार नोवा (फेस – 2)
2. मारूति ओमनी वैन (फेस – 2)
3. ट्रैक्टर ट्राली (फेस–2)
4. महेन्द्रा जीप, कमाण्डर माडल हार्ड टाप (फेस–2)

पात्रता :

1. लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो।
2. लाभार्थी कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो।
3. अनुविनि योजनान्तर्गत पास लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय शासन द्वारा निर्धाति गरीबी रेखा के दुगुने से अधिक नहीं होना चाहिए, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाय कि जनपद में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध हों तो उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाए।
4. अनुविनि ऋण रु0 5.00 लाख तक की योजनाओं में 7 प्रतिशत तथा 5.00 लाख से ऊपर तक की योजनाओं में 9 प्रतिशत ब्याज देय होगा। मार्जिन मनी ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
5. अनुविनि योजनान्तर्गत योजना लागत के आधार पर निम्न प्रकार लाभार्थी अंश प्राप्त किया जायेगा –

अ. रु. 1.00 लाख तक की योजनाओं में	शून्य
ब. रु0 1.00 लाख से ऊपर रु0 2.50 लाख लागत की योजनाओं में	2 प्रतिशत
स. रु0 2.50 लाख से ऊपर रु0 5.00 लाख लागत की योजनाओं में	3 प्रतिशत
द. रु0 5.00 लाख से ऊपर की लागत की योजनाओं में	5 प्रतिशत

6. ऋण की वसूली चेक निर्गत होने की तिथि से 1 माह बाद 60 किश्तों में की जायेगी।
7. इस योजना के क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थी के चयन आदि हेतु जनपद स्तर पर निम्नलिखित समिति गठित की जायेगी।

अ. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
ब. जिला प्रबन्धक अनु0 जाति वित्त निगम	सदस्य
स. सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
द. सहायक प्रबन्धक अनु0 जा0 वित्त निगम	सदस्य/सचिव

5. सेनेटरी मार्ट योजना :

1. पृष्ठभूमि : शुष्क शौचालयों में मैला ढोने जैसी अमानवीय प्रथा से सम्बद्ध स्वच्छकारों को मुक्ति दिलाने हेतु शासन द्वारा सेनेटरी मार्ट योजना संचालित की जाती है।

2. उद्देश्य : 1. ऐसे स्वच्छकार जो शुष्क शौचालयों में मैला, सफाई के कार्य में लगे हपु हैं, को उक्त पेशे से पूर्ण रूप से मुक्त कराया जाना। 2. ऐसे उपलब्ध वातावरण तथा परिस्थिति तैयार करना जिससे इस अमानवीय पेशे की आवश्यकता ही न रह जाये एवं समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा हो।

3. योजना का स्वरूप : सेनेटरी मार्ट एक ऐसा बाजार है जहाँ सामान्य व्यक्तियों की स्वच्छता सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यह उत्पादन केन्द्र, दुकान एवं सेवा केन्द्र तीनों रूप में कार्य करता है।

4. क्रियान्वयन : सेनेटरी मार्ट योजना जनपद के समस्त शहरी/नगरी क्षेत्रों में संचालित की जायेगी।

(क) सर्वेक्षण व चिन्हीकरण : जिले में नगरीय/शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया जायेगा, जहाँ शुष्क शौचालय प्रचलन में हैं, तथा ऐसे आवासों की भी सूची तैयार की जाएगी जहाँ पर शुष्क शौचालय हैं। तत्पश्चात उक्त शुष्क शौचालयों में कार्यरत स्वच्छकारों एवं उनके पात्र आश्रितों को उक्त पेशे से विमुक्त कराया जायेगा।

(ख) पात्रता : इस योजना के अन्तर्गत वे ही स्वच्छकार एवं उनके आश्रित लाभान्वित किए जायेंगे जो मैला ढोने के पेश में कार्यरत हैं। मैला ढोने का तात्पर्य शुष्क शौचालयों में मानव–मल मूत्र, बाल्टियों या किसी बर्तन में ढोकर फेंकने अथवा उसे नालियों में बहाकर झाड़ू से सफाई करने वाले पेशे से है।

(ग) समूहों का गठन : चिन्हित स्वच्छकारों एवं पात्र आश्रितो की आश्यकता एवं सुविधानुसार 10–30 व्यक्तियों के स्वयं सहायता समूह गठित किए जायेंगे।

(घ) प्रशिक्षण : समूह गठन के पश्चात् यूनिसेफ विकास संस्थान, सुलभ इण्टरनेशनल आदि संस्थाओं का सक्रिय सहयोग लेते हुए समन्वित प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह रु0 500 वृत्तिका तथा प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह रु0 800 प्रशिक्षण देने वाली संस्था को मानदेय के रूप में दिया जायेगा।

(च) गठित समूहों का वित्त पोषण : गठित समूह के प्रत्येक व्यक्ति को रु0 20,000 की परियेाजना लागत के सापेक्ष रु0 10,000 प्रति व्यक्ति अधिकतम अनुदान व रु0 3000 प्रति व्यक्ति अधिकतम मार्जिन मनी ऋण की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर तथा शेष 7000 की धनराशि संस्थागत व वित्त के रूप में उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जायेगी।

सेनेटरी मार्ट के संचालन हेतु संस्था के सभी सदस्य व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त उपरोक्तानुसार धनराशियों को समूह/समिति के माध्यम से एकत्र (पूल) करते हुए सेनेटरी मार्ट के कार्यकलापों के क्रियान्वयन में लगाएंगे।

कौशल वृद्धि योजना : कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजनान्तर्गत कम्प्यूटर, सिलाई, कढाई, टी0वी0 रेडियो मरम्मत आदि ट्रेडो में अनु0 जाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अविध 6 माह से एक वर्ष तक होती है। प्रशिक्षण आदि पर होने वाला व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न योजनाओं में 100 से 300 रुपये तक की छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

27. मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना

प्रारम्भ :

नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियों के पर्यावरण में सुधार लाने हेतु यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972–73 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आरम्भ की गई थी। पाँचवी पंचवर्षीय योजना से यह योजना के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दी गई।

उद्देश्य :

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सीवरेज, स्वच्छ पेयजल, मार्गों में खड़ंजा बिछाने, निकास नालियों के निर्माण की सुविधा प्रदान की जाती है।

वित्तीय व्यवस्था :

इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित नगरों या कस्बों की स्थानीय निकायों को 200 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

28. अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता कार्यक्रम

प्रारम्भ :

यह योजना प्रदेश में वर्ष 1977–78 से चलाई जा रही है।

उद्देश्य :

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उत्थान करना है।

कार्यक्रम :

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या दो करोड़ जातियों के लोगों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों की घटनाओं की सूचना जिला स्तर पर प्राप्त होती रहती है। अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्पीड़ित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित दरों से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	उत्पीड़न का प्रकार	दिनांक 19.1.95 से स्वीकृत दर (रु.)
1.	परिवार के कमाने व गैर कमाने वाले सदस्य की मृत्यु	1.00 लाख
2.	परिवार के किसी सदस्य को स्थायी शारीरिक अक्षमता पर	1.00 लाख
3.	अस्थायी शारीरिक अक्षमता पर	0.50 लाख
4.	बलात्कार पर	0.50 लाख
5.	शारीरिक अक्षमता की सीमा से कम की गम्भीर चोट पर कमाई करने वाले साधन/सम्पत्ति तथा गाड़ी, नाव, जानवर आदि के क्षति पर	0.50 लाख
6.	चल सम्पत्ति तथा अनाज, कपड़े, घरेलू समान की क्षति पर	0.20 लाख
7.	सिंचाई, पीने का पानी, कूप, नलकूप, इलेक्ट्रक मोटर आदि में उत्पीड़ित व्यक्ति को सहायता	0.05 लाख

ABOUT AKHIL BHARTIYA SAMAJ SEWA SANSTHAN (ABSSS) CHITRAKOOT (U.P.)

Philosophy of ABSSS

ABSSS believes in ***Rachna*** (Creation) and ***Sangharsh*** (Non-Violence Struggle) to empower the most marginalised and exploited sections. Hence, ***"Antya Ka Uday"*** Rise of the last has been the core developmental value statement of ABSSS by reflecting its meaning in all developmental interventions and initiatives to build a society where adivasis, dalits and women get equal opportunity (socially, economically and culturally) to live and work with dignity.

Vision of ABSSS

Our Vision is "to see a prosperous society where all have equality, access to social justice and opportunities for better livelihood."

Mission of ABSSS

"Advocacy and lobbying for the rights of adivasis and dalits and strengthen local institutions in the Bundelkhand Region to ensure self empowerment for Sustainable Development."

Goals and strategies of the ABSSS

Goal 1 :To improve accessibility of tribal and dalits children and youth to basic education and livelihood skills respectively

Strategies

- *Support early age (FE, NFE) and adult education based on local environment and culture;.*
- *Promote education based on human values, social cohesion and local culture;*
- *To widen the range of knowledge and understanding of the social, economic and political system in order to create a critical awareness about the environment;*
- *Increase employment generation skills and options among youths.*

Goal 2 :To minimise gender inequality and undertake proactive women empowerment initiatives

Strategies

- Effective redressal mechanism on women exploitation and atrocities against women;
- Promotion and strengthening of grassroots level women's organisations and networks to take up inequality and empowerment related issues;
- Increased participation of women in Gram Sabhas and PRIs;
- Increased access by women to easy credit for creation of productive assets and income generation opportunities;
- Increased access by women to basic health support services.
- To improve the health status of women and children of dalit, tribals and backward communities
- To ensure that people have access to better health, education and sanitation in villages.

Goal 3 : To improve the socio- economic and political conditions of the tribal and dalits and facilitate them to have increased control over natural resources and its optimal utilisation

Strategies

- Land and water resource management & development;
- Improve rain-water harvesting and percolation for improving agricultural productivity;
- Promotion of agro-based support services;
- Value addition to local natural resources and marketing options;
- Improve scope for inform income generating activities;

Goal 4 :To improve community participation in local planning and strengthen of PRIs for increased access to and use of developmental resources;

Strategies

- Capacity building of Gram Sabhas and PRIs;
- Strengthening of Gram Sabha members for their active participation and decision-making in local governance process;
- Promotion of community managed village development information centres;
- Information dissemination on power of Gram Sabha and their role in mobilising resources for local area development.

Goal 5 : To strengthen the civil society and improve their access over information and opportunities

Strategies

- Strengthening of individuals, CBOs and networks to act as catalyst and pressure groups;
- Strengthening of local cadres and volunteers to identify and find solutions to address local problems effectively;

Goal 6: To promote and undertake necessary actions for protecting social justice and fundamental rights among tribal and dalits

Strategies

- Situation assessment and documentation of ground realities to highlight violation and denial of social justice and fundamental rights;
- Network with local civil society institutions and strengthen alliance to identity issues in relation to human rights violations;
- Interface and exchange of information between the target groups and the government machinery;
- Public hearings between the effected families and concerned administration;
- Issue based campaign and lobbying at both micro and micro level for redressal;
- Highlighting of issues by using local media and various other mediums; and
- Legal support and facilitation to effected families in the form of taking up both individual and common cases with judiciary.

Goal 7 :To create a sustainable environment by influencing public policy at state level on pro-poor livelihood and human rights issues

Strategies

- Promotion of a human rights resource centre to act as human rights violation watch-dog and support centre;
- Awareness building and sensitisation among tribal and dalits about their fundamental right to livelihood;
- Issue based advocacy and lobbying of issues with government bureaucrats and legislative members;
- Policy advocacy to influence government policies on common issues;
- Public interest Litigations to draw attention of the judiciary for giving legal direction to concerned government machinery for action and policy change;
- Workshops and seminars on pro-poor livelihood support and human rights related issues in regular interval ;

Developmental Priorities

ABSSS has the following three development priorities that are core to its intervention process and on which other programme-wise thematic intervention issues are based to address widespread poverty and deprivation that is rampant in the targeted programme locations :

- Improvement and upliftment of Tribals & Dalits in the materials situation such as provision for minimum livelihood opportunities; opportunities for culturally sound and value based education; provision for basic health support & improved environment
- Human rights protection, advocacy & legal support to reduce social imbalance and inequality among tribal and dalits;
- Networking with like-minded civil society groups and make them proactive in addressing human rights and rural entitlement issues in Bundelkhand region;

Strategic Issues

- **Developing of a long-term perspective action plan on Bundelkhand region in relation to livelihood issues, education, healthcare, sustainable agriculture, natural resource management, poverty, social exclusion and deprivation among tribals and dalits;**
- **Masco and Macro level Policy advocacy and intervention in relation violation of basic rights among tribal;**
- **Strengthening the local cadres, social entrepreneurs among dalits and tribal; and**
- **Networking with local civil society organisations and concerned citizens for identification critical issues to undertake joint ctions with object oriented focused programme interventions.**

SHREE NARAYAN PRINTING PRESS, ALLAHABAD. Ph. 0532-3097744, Mob. 9415305959